Con. 3. 5.8.47
750

अंक 5
संख्या 8

बुधवार
27 अगस्त,
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर रिपोर्ट 1
2. परिशिष्ट 'क' 101
3. परिशिष्ट 'ख' 105

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार, 27 अगस्त, सन् 1947 ई०

माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के दस बजे भारतीय विधान-परिषद् की बैठक प्रारम्भ हुई।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर रिपोर्ट

***अध्यक्ष:** मेरा विचार है कि परिषद् को इस समय अल्पसंख्यकों के लिये निश्चित की गई परामर्श समिति की रिपोर्ट पर विचार करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि इस विषय में जिस विधि का अनुसरण हमें करना है वह इस प्रकार होनी चाहिये:

इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये एक प्रस्ताव किया जाए। परंतु इस संबंध में मुझे ज्ञात हुआ है कि संशोधन के रूप में कई एक प्रस्ताव (परिषद् के सामने) हैं। ये सब संशोधन इस आशय के हैं कि रिपोर्ट पर विचार को आगामी अधिवेशन तक स्थगित कर दिया जाये, अथवा उस समय तक इस रिपोर्ट पर विचार न हो जब तक कि पहली रिपोर्ट जो कि परिषद् के विचाराधीन थी, समाप्त न कर ली जाए। मैं उन संशोधनों को इस रिपोर्ट पर विचार करने के प्रस्ताव पर होने वाले साधारण वाद-विवाद के साथ ही लूंगा। जब उस पर विचार समाप्त हो जाए तो मेरी इच्छा है कि फिर इस परिशिष्ट को हाथ लगाया जाये और प्रत्येक मद पर बारी-बारी से एक-एक मद संबंधी संशोधनों को दृष्टि में रख कर विचार किया जाये। इस प्रकार बहुत से संशोधन, जो कि रिपोर्ट के साधारण कलेवर से संबंधित हैं, स्वमेव समाप्त हो जायेंगे, क्योंकि यह रिपोर्ट आखिरकार परिशिष्ट में दी गई सिफारिशों का संग्रह मात्र ही तो है। मेरी समझ में इस विषय को निपटाने के लिये यही उचित मार्ग और सरलतम उपाय है।

***श्री एच०वी० कामत** (मध्य प्रांत तथा बरार: जनरल): 'ध्वनि यंत्र' बिगड़ गया प्रतीत होता है, क्योंकि हमें तो यहां एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

***अध्यक्षः** यदि ऐसा है तो मुझे सब कुछ पुनः दोहराना होगा। मेरे पूर्व कथन का सार है कि आज के कार्यक्रम को निपटाने के लिये सरलतम मार्ग यह है: मेरा विचार है कि (सबसे पहले) अल्पसंख्यकों के लिये निश्चित की गई परामर्श समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाये। इसे विचाराधीन लाने के लिये नियमपूर्वक एक प्रस्ताव पेश किया जायेगा। इस संबंध में और भी कई-एक प्रस्तावों का नोटिस मुझे मिल चुका है। इन प्रस्तावों का आशय है कि इस रिपोर्ट पर विचार को आगामी अधिवेशन तक स्थगित कर दिया जाये, अथवा उस समय तक इस रिपोर्ट पर विचार न किया जाये जब तक कि कार्यावली पर के अन्य विषय, जो कि कल तक परिषद् के विचाराधीन थे, समाप्त न हो जायें। इसके पश्चात् मैं रिपोर्ट का परिशिष्ट लेना चाहता हूं। हमें इसकी एक-एक मद पर विचार करना होगा। इस प्रकार प्रत्येक मद से संबंधित संशोधन बारी-बारी से पेश किये जायेंगे और वाद-विवाद के पश्चात् उन पर निश्चय किया जाएगा। इस भांति जब हम परिशिष्ट पर वाद-विवाद करके निश्चय कर लेंगे तो रिपोर्ट के साधारण कलेवर पर विचार किया जायेगा। रिपोर्ट का साधारण कलेवर और कुछ भी नहीं, यह तो केवल परिशिष्ट के आशय का संग्रह मात्र है।

अब मैं सरदार वल्लभभाई पटेल से प्रार्थना करूंगा कि वह रिपोर्ट पर विचार करने का अपना प्रस्ताव पेश करें।

***श्री बी॰ पोकर साहब बहादुर** (मद्रासः मुस्लिम): आपने जिस कार्य-विधि की व्यवस्था की है, वह यह है कि परिशिष्ट के सब विषय एक-एक करके मदवार लिये जायें। परंतु मेरा निवेदन है कि परिशिष्ट में संशोधनों से संबंधित प्रत्येक मद में अनेकों विषय हैं जो भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक मद पर समान ढंग के संशोधनों को एक-एक करके जुदा-जुदा निपटाया जाये। ऐसा होने से एक ही मद पर समान ढंग के सब संशोधनों पर एक ही बार विचार करके उन्हें तुरंत ही निपटाया जा सकेगा। अन्यथा यदि सबको एक बार ही इकट्ठा कर दिया गया तो कई एक बाधायें उत्पन्न हो जायेंगी।

***अध्यक्षः** यही तो बात है जो मैं करने की सोच रहा हूं। परिशिष्ट में लिखी प्रत्येक मद को जुदा-जुदा एक-एक करके लिया जायेगा। और प्रत्येक मद पर तत्-तत् मद संबंधी सारे संशोधनों पर एकदम ही विचार कर लिया जायेगा।

***श्री बी. पोकर साहब बहादुरः** विविध प्रकार के संशोधनों को निपटाने में संशोधनों के प्रकार को अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिये। अर्थात् प्रत्येक मद पर किसी विशेष प्रकार के संशोधन को पूर्णतया निपटा कर ही, उसी मद पर किसी अन्य प्रकार के संशोधनों को हाथ लगाया जाना चाहिये।

***अध्यक्षः** माननीय सदस्य 'संशोधनों के प्रकार' से क्या आशय लेते हैं, मैं यह समझ नहीं सका। प्रत्येक मद पर विचार करते समय तत्-तत् मद संबंधी सारे संशोधनों पर एकदम ही विचार कर लिया जायेगा।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल** (बम्बईः जनरल)ः श्रीमान्, मैं परामर्श समिति की ओर से अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर लिखी गई रिपोर्ट परिषद् के सामने रखने की आज्ञा आपसे मांगता हूं। यह रिपोर्ट 'अल्पसंख्यक समिति' की रिपोर्ट तथा विविध अल्पमतों को दिये जाने योग्य संरक्षणों से संबंधित देश भर में चर्चा किये गये सारे दृष्टिकोणों पर पूर्णतया विचार करके लिखी है। आप सब को यह भली भांति स्मरण ही है कि अल्पमतों को दिये जाने वाले संरक्षणों पर कई बार पर्यालोचन हो चुका है, तथा कई समितियां इस पर खूब विचार कर चुकी हैं। अतः इस विषय में किसी नये दृष्टिकोण के उठाये जाने की संभावना नहीं। पिछले कई वर्षों से सर्वदा ही एक न एक समिति में इस प्रश्न पर विचार कई बार विस्तृत रूप से और कई बार साधारणतया होता आया है। कई बार इस पर्यालोचन ने भयंकर रूप धारण किया है और कई एक बार इसके परिणामस्वरूप (विविध संप्रदायों में) कटुतम वाद-प्रतिवाद उत्पन्न हुआ है। परंतु मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता होती है कि यह रिपोर्ट अल्पसंख्यकों के विचारों से बहुमत के विचारों के समन्वय का फलस्वरूप है। यद्यपि सबको संतुष्ट करना संभव नहीं, तो भी आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट में बहुत-सी बातों पर सर्वसम्मत निश्चय किये गये हैं, और जहां कहीं मतभेद उत्पन्न हुआ है तो अतिप्रबल बहुमत की ही सिफारिशें मानी गई हैं। अतः एक विषय के अतिरिक्त यह रिपोर्ट यथार्थ रूप में सर्वसम्मत ही है। कई एक भाई कुछ एक विषयों पर हमारे साथ सहमत नहीं हो सके पर हम मजबूर हैं, हमें तो सब अल्पसंख्यकों के—चाहे वे छोटे हों या बड़े—सारे दृष्टिकोणों, भावों और अनुभवों को सामने रखना है। हमने जहां तक संभव हो सका है सब अल्पमतों की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। अल्पसंख्यक आपस में भी विभक्त हैं। उनके हित कई स्थानों पर आपस में टकराते हैं। हमने अल्पमतों के पारस्परिक मतभेदों से लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया। हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि अल्पसंख्यक बजाय इसके कि आपस में विभक्त

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

रहें, अपने हितों की रक्षा के लिये वे एक संगठित रूप उपस्थित कर सकें। परंतु कई एक ऐसे विषय हैं जिन पर अल्पसंख्यक एकमत हो ही नहीं सकते, क्योंकि अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक विद्यमान हैं। सो यह एक बड़ी कठिन समस्या है। हमने इस कठिन समस्या को बिना किसी प्रकार की कटुता और तीव्र वाद-प्रतिवाद के जिससे कि किसी प्रकार का विद्वेष अथवा कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न होने की संभावना हो, निपटाया है। और मुझे पूर्ण आशा है कि यह परिषद् भी इस प्रश्न का निश्चय मित्रता के भावों से युक्त और सदाशापूर्ण वायुमंडल में ही करेगी। हमें आशा है कि पूर्वोत्पन्न पारस्परिक कटुता को त्यागते हुये और इस प्रकार अतीत को भुलाकर हम शुद्ध अंत:करण से आरंभ करेंगे। हमारे इर्द-गिर्द बहुत सी ऐसी घटनायें हो रही हैं जिनके कारण हमें अपना कार्य यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करना चाहिये। इसके साथ ही हमें इस परिषद् में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे हमारी अथवा हमारे उन पड़ोसियों की, जो कि इस समय एक तीव्र संघर्ष में उलझे हुये हैं, बाधाओं में वृद्धि हो। विशेषतया ऐसे समय में जबकि हमारे हृदय भारत के सर्वोत्तम प्रांत पर शत्रुओं द्वारा लगाई गई चोटों से विचलित हो रहे हों, हमें इस बात का और भी ध्यान रखना चाहिये। अत: मुझे विश्वास है कि इस परिषद् में एक ऐसे प्रश्न पर विचार करते हुये कि जिसका प्रभाव सब अल्पसंख्यकों पर पड़ना है, हम किसी प्रकार का जोश व्यक्त न करेंगे तथा न ही किसी ऐसी युक्ति का सहारा लेंगे जिससे कि अन्यत्र प्रतिघात होने की आशंका हो। मुझे आशा है कि हम इस विषय को मित्र-भावना से शीघ्र ही निपटा लेंगे।

आपको स्मरण होगा कि हमने 'परामर्श समिति' द्वारा भेजी गई 'मौलिकाधिकार-समिति' की रिपोर्ट पास की थी। उन अधिकारों के एक बड़े भाग पर इस परिषद् ने अपना निश्चय कर लिया है और वे पास हो गये थे। इनमें अल्पमतों को अपनी रक्षा के लिये दिये गये अधिकारों का एक बहुत बड़ा भाग आ गया है। परंतु फिर भी हमें कुछ एक राजनैतिक संरक्षणों पर विशेष रूप से विचार करना होगा। इस रिपोर्ट में उन संरक्षणों को, जो कि साधारण ज्ञान का विषय है, गिनने का प्रयत्न किया गया है, जैसे कि धारा-सभाओं में प्रतिनिधित्व अर्थात् देश में संयुक्त निर्वाचन हो या पृथक निर्वाचन। यह वह प्रश्न है जिस पर कि लगभग पिछले दस वर्षों से जनता में एक बड़ा भारी वाद-प्रतिवाद उत्पन्न हो गया है। इससे हमारी बहुत हानि हुई है और हमें इसका बहुत बड़ा मूल्य देना पड़ा है। परंतु सौभाग्य की

बात है कि इसका निपटारा इस ढंग से हुआ है कि हम सारे ही इस बात पर सहमत हो गये हैं कि भविष्य में पृथक् निर्वाचन न हुआ करे और आज के पश्चात् हम संयुक्त निर्वाचन से ही काम लेंगे। इस प्रकार यह एक बहुत बड़ा लाभ हमें प्राप्त हुआ है।

पुनः पासंग (weightage) के प्रश्न पर भी हम एकमत हो गये हैं। निश्चय किया गया है कि पासंग (weightage) उड़ा दिया जाये और संयुक्त निर्वाचन द्वारा विविध संप्रदाय अपनी जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व ग्रहण करें। हमने एक मत से यह भी निश्चय किया है कि यह उचित ही है कि अल्पमतों के भाग को उनकी जनसंख्या के अनुपात से सर्वत्र सुरक्षित कर दिया जाये। कुछ एक अल्पमतों ने हर्षपूर्वक अपने इस अधिकार को छोड़ दिया है। वे कहते हैं कि उन्हें न पासंग (weightage) चाहिये और न ही पृथक् चुनाव। वे तो भारत में होने वाले उथल-पुथल में अपने आपको मिटा कर राष्ट्र से अभिन्न हो जाना चाहते हैं। उन्हें अपने आप पर विश्वास है और वे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। जिन्होंने अपना ऐसा पक्ष निर्धारित किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। परंतु साथ ही मुझे उनसे भी सहानुभूति है, जिन्हें उचित मान (standard) पर पहुंचने के लिये अभी तक भी राष्ट्र से सहायता लेने की आवश्यकता है। हमने अब यह भी निश्चय किया है कि सरकारी नौकरियां भी कतिपय संप्रदायों के लिये एक विशेष अनुपात से सुरक्षित कर दी जायें–विशेषकर ऐंग्लो-इंडियन संप्रदाय और परिगणित जातियां कतिपय बातों में विशेष व्यवहार के योग्य हैं। हमने इस विषय में अपनी सिफारिशें लिख दी हैं। मुझे यह कहते हुये हर्ष होता है कि इस विषय में भी हम और वे संप्रदाय, जिनके हितों पर आघात पहुंचता है, एकमत हैं।

हमने इन संरक्षणों को जो यहां दिये गये हैं, कार्यरूप में परिणत देखने के लिये एक शासन व्यवस्था भी उपस्थित कर दी है, ताकि संबंधित संप्रदायों को यह शिकायत न हो कि उक्त संरक्षण केवल नाममात्र के ही हैं; और कि उन पर अमल तो होता ही नहीं। विविध प्रांतों की शासन-व्यवस्था के कार्य में उपस्थित किये गये संरक्षणों पर निरंतर जागरूकतापूर्वक ध्यान रखा जाना चाहिये। इस कार्य से संबंधित अफसर अथवा शासन व्यवस्था का यह कर्तव्य होगा कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा में जो त्रुटियां अथवा न्यूनतायें हों, धारासभाओं अथवा प्रांतीय सरकारों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करें। हमने अल्पसंख्यकों को उनकी सत्ता अथवा उनकी जनगणना के अनुसार विभक्त कर दिया है। इस परिगणना में तीन

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

भाग बनाये गये हैं और जुदा-जुदा इन पर विचार किया गया है। तीनों की जनसंख्या को सामने रखते हुये उनकी ओर जुदा-जुदा ध्यान देना आवश्यक ही था।

ऐंग्लो-इंडियन को विशेष अधिकार अथवा विशेष सुविधायें अर्थात् खास रियायतें प्राप्त हैं। इन अधिकारों का उपयोग वे कुछ एक विभागों की नौकरियों में जैसा कि रेलवे की अथवा एक या दो अन्य विभागों में भी करते रहे हैं। इस समय एकदम इन रियायतों को हटा लेना और उनसे कहना कि वे इन विशेष सुविधाओं अथवा अधिकारों को छोड़ दें और सर्वसाधारण के मान-दंड (standard) को अपना लें, उचित न होगा। क्योंकि ऐसा होने से संभवत: वे एक विकट स्थिति में फंस जायेंगे। वे शायद इस समय इस बात के लिए तैयार भी न हों। इसलिये यह अच्छा होगा कि हम उन्हें अपने आपको वातावरण के अनुकूल बनाने के लिये कुछ समय और दें। उन्हें अब पता लग गया है कि इस बात के लिये उन्हें तैयार होना ही पड़ेगा। उन्हें पर्याप्त समय की पहले ही सूचना मिल गई है। मैं प्रसन्न हूं कि उन्होंने इस सूचना को अंगीकार कर लिया है। उन्होंने धीरे-धीरे इन सुविधाओं को छोड़ना स्वीकार कर लिया है। ऐसी ही सुविधायें उन्हें शिक्षा के विषय में भी प्राप्त हैं। कतिपय शिक्षा संस्थाओं के लिये वे विशेष आर्थिक सहायता लेते हैं। ये शिक्षा संस्थाएं अन्य संप्रदायों के छात्रों के लिये भी खुली हैं। परंतु साधारणतया ये संस्थायें ऐंग्लो-इंडियन संप्रदाय के लिए ही हैं। और उन्हें वहां पर आर्थिक सहायता संबंधी विशेष रियायतें भी प्राप्त हैं। यह विचार उपस्थित किया गया है कि कुछ समय के लिये यह सहायता जारी रखी जाए और फिर धीरे-धीरे घटा दी जाए। ऐसा करने से कुछ समय पश्चात् एक ऐसी स्थिति आ जायेगी जब कि ये दूसरे संप्रदायों के बराबर आ जायेंगे और आर्थिक बोझ, आभारों तथा संकटों में उनका हाथ बटायेंगे। अत: इस विषय में भी हमने एकमत से ही इस समस्या को हल किया है।

रही धारा-सभाओं में प्रतिनिधित्व की बात; यह एक बड़ी मुश्किल की बात थी। यह एक लाख या इससे कुछ अधिक का एक बहुत ही छोटा सा संप्रदाय है। इतने थोड़े होते हुए भी ये सारे भारत में फैले हुए हैं और किसी एक प्रांत में इकट्ठे बसे हुए नहीं। साधारण चुनाव में खड़े होकर 'स्थानों' पर वे कब्जा नहीं कर सकते। इसलिये निर्वाचन की साधारण विधि से यदि किसी प्रांत अथवा केन्द्र में उन्हें उचित अथवा पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता तो उनकी नियुक्ति के लिये रास्ता बना दिया गया है। नियुक्ति का यह अधिकार स्थानानुसार गवर्नर या गवर्नर जनरल को दे दिया गया है।

अब दूसरे विषय अर्थात् पारसियों के संबंध में सुनिये। उन्होंने तो स्वयं ही 'सुविधाओं' को जो कि उन्हें मिलनी थीं छोड़ दिया है। उनका यह निश्चय बड़ा ही बुद्धिमत्तापूर्ण है। इसके अतिरिक्त उनके संबंध में यह बहुत मशहूर है कि यद्यपि वे थोड़े हैं पर हैं बड़े शक्तिशाली और संभवतया बुद्धिमान भी। उन्हें पता है कि इस प्रकार प्राप्त हुई 'सुविधायें' उन्हें लाभ के स्थान पर अधिक हानि ही पहुंचायेंगी। अब वे अपनी योग्यता से कहीं पर भी अपने लिये स्थान बना सकते हैं। इस प्रकार वे अवश्य ही किसी भी प्रकार की सुविधा (Reservation) अथवा निर्वाचन की किसी पृथक विधि द्वारा प्राप्त अधिकारों से अधिक अधिकार तो हस्तगत कर ही लेंगे। धारासभाओं में अथवा नौकरियों में कहीं पर भी हो, वे इतने उच्च स्थान पर स्थित हैं कि उन्होंने स्वयं ही किसी प्रकार की भी रियायतों को लेने से साफ इन्कार कर दिया है। मैं उन्हें इस निश्चय पर बधाई देता हूं।

अब ईसाइयों के विषय में भी सुन लीजिये। यह संप्रदाय दो या तीन प्रांतों में तो पर्याप्त संख्या में बसा हुआ है। परंतु अन्य प्रांतों में इसकी स्थिति ऐसी नहीं कि यह चुनाव-विधि से किसी प्रकार के थोड़े से भी साक्षात प्रतिनिधित्व (direct representation) को हस्तगत कर सके। ऐसा होने पर भी वे अपनी जनसंख्या के अनुपात से 'सुरक्षा' मिल जाने पर 'पृथक निर्वाचन' के अधिकार को छोड़ने के लिये मान गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी संरक्षण के लिये उन्होंने मांग की ही न थी।

जहां तक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, हमने सन् 1935 के एक्ट में एतत्संबंधी व्यवस्था को, जिस पर कि आजकल भी अमल हो रहा है, अपना लिया है। वैधानिक रीति से उचित समझते हुये ही हमने इसे सर्व-सम्मति से अंगीकार किया है।

इसके पश्चात् नौकरियों में प्रतिनिधित्व का प्रश्न सामने आता है। साधारण मान-दंड, जो हमने इस विषय में स्वीकार किया है, यह है कि प्रतियोगिता द्वारा दी जाने वाली नौकरियों पर नियुक्तियां आमतौर पर योग्यता को ध्यान में रखकर ही की जानी चाहियें। यदि इस नियम से विपरीत हम आचरण करेंगे तो शासन-कार्य में सर्वत्र हानि ही होगी। यह सबको ज्ञात ही है कि जब से नौकरियों के संबंध में इस नियम का उल्लंघन किया गया है तब से राजकार्य में पर्याप्त हानि हुई है। अब क्योंकि हम नये सिरे से कार्य आरंभ करने लगे हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि जहां कहीं उच्च 'राजकर्मचारी' की नियुक्ति करनी हो, तो

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

ऐसी नौकरियां प्रतियोगिता, परीक्षा अथवा मुकाबले के इम्तिहानों द्वारा ही दी जायें। हमने कुछ एक संप्रदायों के संबंध में जिन्हें अभी कुछ और सहायता की आवश्यकता है, कतिपय सुविधायें इस विषय में रख दी हैं।

संक्षेपत: यह रिपोर्ट दोनों पक्षों के द्वारा सावधानीपूर्वक किये गये विचार-समन्वय का फलस्वरूप है।

मैं एक और बात की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अल्पसंख्यकों को धारासभाओं में दिये गये प्रतिनिधित्व और जनसंख्या के अनुपात से दी गई 'स्थानों की सुरक्षा' के अतिरिक्त यह भी अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी 'साधारण स्थान' पर चुनाव में खड़े हो सकते हैं।

इस विषय पर ''परामर्श-समिति'' और ''अल्पमत समिति'' दोनों में ही बहुत वाद-प्रतिवाद उत्पन्न हो गया था। परंतु अंत में यह बहुमत से स्वीकृत हो ही गया। एक और विषय भी है जिस पर मुस्लिम लीग और परिगणित जातियों के एक भाग की ओर से बड़ी आपत्ति उठाई गई। आपत्तिजनक बात यह थी कि जीतने वाले उम्मीदवार के लिये कुछ प्रतिशत वोट अपनी जाति के प्राप्त करने आवश्यक करार कर दिये जायें। इस बात पर बड़ा मतभेद उत्पन्न हुआ। परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों में से बहुत बड़ी संख्या ने कल मुझे निवेदन-पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि वे इस बात के विरुद्ध हैं। परंतु ''परामर्श समिति'' ने वाद-विवाद के पश्चात् बड़े भारी बहुमत से इसके विरुद्ध निश्चय कर दिया था।

यह है रिपोर्ट का आशय। परंतु यह संभव है कि जब हम परिशिष्ट पर मद-वार विचार करेंगे तो हमें कई स्थानों पर पास करने से पूर्व रिपोर्ट में कुछ अदल-बदल करना पड़े। इसलिये, जैसे अध्यक्ष महोदय ने प्रेरणा की है, हमें अब परिशिष्ट की मदों पर एक-एक करके विचार करना चाहिये। इस प्रकार जब मदें पास हो जायेंगी तो रिपोर्ट में अपने आप यथास्थान अदल-बदल हो ही जायेगी।

***अध्यक्ष:** मेरे पास दो प्रस्तावों की सूचना आ चुकी है। इनका आशय है कि इस साधारण प्रस्ताव पर हम विचार करना स्थगित कर दें। मैं उन माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव पेश करें।

***मि॰ महबूब अली बेग साहब बहादुर** (मद्रास: मुस्लिम): मैं अपना प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हूं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): मैं भी अपना प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा।

***अध्यक्ष:** तब साधारण प्रस्ताव, कि रिपोर्ट पर विचार आरंभ किया जाये, पर्यालोचन के लिये उपस्थित है।

***डा॰ पी॰एस॰ देशमुख** (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अल्पमतों के लिये बनाई गई परामर्श समिति के योग्य और प्रतिष्ठित सभापति और अन्य सारे सदस्य भी हमारे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने भारत में अल्पमतों के अधिकार और प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर इतनी अधिक संतोषजनक रिपोर्ट तैयार की है। मेरे विचार में भारतीय इतिहास में ''अल्पसंख्यक'' से अधिक क्रूरतापूर्ण और कोई शब्द नहीं है। भारत ने ज्योंहि राजनैतिक शिशुकाल से बाहर पैर रखा तभी से अल्पसंख्यकों के अधिकार तथा उनकी रक्षा का भूत हमारे सामने आ खड़ा हुआ। तभी से यह देश की उन्नति का अवरोध किये हुये हैं। यह सब कुछ ब्रिटिश नीति का फल था जो कि अब इतिहास का विषय बन चुका है। अंग्रेजों की यह नीति बड़ी सफल रही। और सचमुच यह अल्पसंख्यक रूपी शैतान का ही कार्य है कि हमारा प्यारा देश, जो एक सौ वर्षों से अखंड चला आ रहा था, अब एक से अधिक भागों में बांटा जा चुका है। इस भूत के आखिरकार अब पर काटे जा चुके हैं। सच पूछो तो यह एक उल्लेखनीय विजय है। मेरा ख्याल है कि परामर्श समिति के सदस्यों ने ऐसा करके एक बहुत बड़ी बात की है। इसलिये मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

सबसे पहली और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह की है कि पृथक निर्वाचन हटा दिया गया है। दूसरी बात जो वे कर सके हैं, यह है कि न्याय पर अनाश्रित पासंग (Weightage) की विधि का खात्मा कर दिया गया है। कानूनन और वैधानिक तौर पर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में लेना अब आवश्यक नहीं। अत: मंत्रिमंडल की बनावट में एतत्संबंधी जो विकट कठिनाइयां उपस्थित हुआ करती थीं, अब वे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही हमें विविध विभागों में कर्मचारी भर्ती करते समय अल्पमतों के हिस्से को, दशमलव के दूसरे अंक तक गिनने के कष्ट से भी छुटकारा मिल गया। क्योंकि अल्पसंख्यकों के विविध प्रतिनिधियों ने इन विषयों में 'सुरक्षा' के लिये अनुरोध नहीं किया। मुझे विश्वास है कि मैं इस परिषद् के बहुत बड़े भाग के हार्दिक उद्गार व्यक्त करता हूं, जब मैं यह कहता हूं कि इन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों ने इस सारे मामले पर बड़ी उदारतापूर्ण और

[डा. पी.एस. देखमुख]

राष्ट्रीय भावों से प्रेरित होकर दृष्टिपात किया है। मैं सबकी ओर से उन्हें यकीन दिलाता हूं कि यदि उन्होंने स्वयं ही इस बात को न बिगाड़ा तो भविष्य में कभी भी ऐसा अवसर न आयेगा जबकि उन्हें अपने किये पर पछताना पड़े। यह सर्वदा स्मरण रखना चाहिये और यह है भी यथार्थ सच ही कि हम अत्यधिक दानी और उदारचित्त लोग हैं। परंतु फिर भी हमारे कतिपय मुस्लिम मित्रों ने प्रायः अंग्रेजी राजनीति से प्रभावित होकर हमें क्रूर और ''बहुमत से मादित'' जालिम के रूप में चित्रित किया है। मुझे इस आरोप के लिये अभी तक कोई आधार नहीं मिल सका। परंतु फिर भी यह आरोप बड़े जोर-शोर से बार-बार दोहराया जाता रहा है और पिछले कई वर्षों से इसे जिस किसी तरह से कायम भी रखा गया है। इन्हीं झूठी बुनियादों पर पाकिस्तान की मांग की गई थी; और इन्हीं अवास्तविक आधारों पर उसे स्वीकार कर लिया गया है। बहुत थोड़े लोगों ने इस बात का विश्लेषण करके विचार करने का कष्ट उठाया है। अल्पसंख्यकों को भयभीत करने की तो बात ही छोड़ दो, तथ्य तो यह है कि बहुत सारे स्थानों पर अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यकों को भयभीत किया। मुसलमान प्रत्येक स्थान पर न्याय और औचित्य द्वारा, जो उन्हे मिलना चाहिये था, उससे कहीं अधिक अधिकार प्राप्त किये हुये थे। मेरे अपने विचित्र प्रांत में अब तक भी ऐसे अधिकारों का उपभोग वे कर रहे हैं जो कि 60 प्रतिशत कृषकों और श्रमिकों को हमारे अपने हिन्दू शासकों ने अभी तक नहीं दिये हैं।

यहां अवसर नहीं कि इस विषय में इससे अधिक मैं और कुछ कहूं। मुझे संतोष है कि कोई भी अल्पसंख्यक भविष्य में दूसरों के उचित अधिकारों पर छापा मारने का प्रयत्न न करेगा। पिछले कई वर्षों से बहुसंख्यकों पर अत्याचार होते आये हैं। दुर्भाग्यवश तथाकथित बहुसंख्यक बधिर और मूक हैं। हममें से बहुत से यद्यपि सर्वदा उनके नाम पर बोलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि हम अपने वचनों को कार्यरूप में परिणत करने में सर्वथा असफल रहे हैं। श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि लाखों जाट, अहीर, गूजर कुर्मी, कुनबी और आदिवासी तथा अन्यों को हमने अब तक कौनसा स्थान दिया है? क्या यह सच नहीं कि हम अपने ही मामलों में बहुत उलझे रहे हैं और हमने उन हजारों निर्धन लोगों की ओर जिन्होंने हमारे लिये वर्तमान स्वतंत्रता को लाने में अपनी जानों की बलि दी है, कुछ ध्यान ही नहीं दिया। हमने राष्ट्र में उनका कौनसा स्थान निश्चित किया है? यही न कि अब भी हम

उनके संबंध में यही सोचते हैं कि वे पहले की तरह अब भी अंधाधुंध चुपचाप धर्म समझ कर हमारे द्वारा चुने गये व्यक्ति के लिये मत (Vote) डाल देंगे? इस दृष्टिकोण से देखा जाये तो स्थिति आज भी अंधकारमय है। और अब तो यह हमारे वर्तमान शासकों का कर्तव्य है। हां, यदि वे इस कर्तव्य को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिये कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर विचार करें, सोचें और समझें और फिर उसे कार्य में परिणत करें। यदि वे ऐसा न करेंगे तो कष्ट और बरबादी भविष्य में सामने आयेगी। इसलिये मैं प्रेरणा करूंगा कि कम-अज-कम अब जब कि अल्पसंख्यक मंत्रिमंडल में अपना उचित भाग और सरकारी नौकरियों में उपयुक्त अनुपात लेने मात्र से संतुष्ट हो गये हैं, तो हमारे शासकों को चाहिये कि वे ग्रामीण जनता की ओर ध्यान दें। अब तक हम इनकी ओर पूरा ध्यान नहीं दे सके। ग्रामीण लोग सर्वदा सताए ही जाते रहे हैं और कांग्रेस के पवित्र नाम के जेरेअसर से भी उनका उपकार के स्थान पर अधिक अपकार ही हुआ है। राजनैतिक बातों के दबावों में आकर बड़े-बड़े प्रजातंत्रवादियों ने भी छोटे-छोटे अल्पसंख्यकों के हितों को ही आगे लाने का प्रयत्न किया है। वे उन नौकरियों और सुविधाओं का उपभोग करते रहे हैं जिन पर कि उनका कुछ भी अधिकार न था। यह सुस्पष्ट ही है कि जो व्यक्ति अपने अधिकार से अधिक उपभोग करता है तो वह अवश्य ही किसी अन्य को अपने उचित अधिकार से वंचित करता है। विविध हिन्दू संप्रदायों में शक्ति और नौकरियों का बंटवारा करते समय इस नियम को ध्यान में रखा जाना चाहिये और आज से आगे इस शैतानियत की नीति का खात्मा होना चाहिये।

***श्री वी॰आई॰ मुनिस्वामी पिल्ले** (मद्रास: जनरल): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं अनुभव करता हूं कि आज का दिन इस विस्तृत देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की भलाई की दृष्टि से एक चिरस्मरणीय दिवस होगा। विषय पर अग्रसर होने से पूर्व मैं माननीय सरदार पटेल को बधाई देता हूं कि जिन्होंने अपनी उच्च बुद्धि और योग्यता से यह रिपोर्ट तैयार करवाई है। इस रिपोर्ट की विशेषता यह है कि यह इस देश में रहने वाले बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों दोनों के लिये ही संतोषजनक है। परामर्श-समिति द्वारा जो लिखतम की गई है, मेरे विचार में इस देश के रहने वाले हरिजनों के लिये वह 'मेगना कार्टा' के तुल्य है। श्रीमान्, जैसे पहले ही मेरे एक मित्र ने कहा है कि विविध अल्पसंख्यकों की उत्पत्ति देश में रहने वाली तीसरी पार्टी के कारण ही हुई; मैं इस बात को तो स्वीकार करता हूं। परंतु श्रीमान्, यह अवतार रूप महात्मा गांधीजी के भाग्य में ही लिखा था

[श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले]

कि हिन्दुओं के एक भाग अर्थात् दलित जातियों की, जो कि विविध नामों से परिज्ञात थी, कष्टों का पता लगा कर उनकी सहायता को आते। उन्होंने युग-स्मरणीय अनशन व्रत रखा जिसने भारत के सारे प्रदेशों में सवर्ण हिन्दुओं को 'अछूत' कौन हैं, 'दलित जातियां' किन्हें कहते हैं, 'परिगणित जातियां' कौनसी हैं और उनके लिये क्या किया जाना चाहिये इत्यादि बातों पर विचार करने के लिये बाध्य किया। यह पूना पैक्ट ही था कि जिससे इस देश में (एतद्विषयक) बहुत जागृति उत्पन्न हुई। आपको स्मरण होगा कि डा॰ अम्बेडकर के साथ आपने और मैंने भी इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किये थे। श्रीमान्, उस समय देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न था कि क्या पूना पैक्ट सवर्ण हिन्दुओं में हृदय परिवर्तन के चिन्ह प्रदर्शित करेगा या नहीं? श्रीमान्, आज आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं कि वह परिवर्तन आ गया है। यद्यपि शत प्रतिशत नहीं, किन्तु 50 प्रतिशत तो अवश्य ही आ गया है। मैं यहां एक उदाहरण दे दूं। डा॰ अम्बेडकर का औपनिवेशिक मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाना ही सवर्ण हिन्दुओं के हृदय परिवर्तन का परिचायक है। यह साफ जाहिर करता है कि हरिजनों की अब अवहेलना नहीं की जाया करेगी। श्रीमान्, मैं आपको बता दूं कि मेरे अपने प्रांत में भूतपूर्व बड़े मंत्री श्री प्रकाशम् ने दलित जातियों की स्थिति को सुधारने के लिये एक करोड़ रुपया अलग रख दिया था *(सुनो, सुनो की आवाजें)* और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री ओमन्दर रामस्वामी रेडियर ने एक बड़ी समिति की नियुक्ति की है, जो इस विषय में जांच करके दलित जातियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिये पंचवर्षीय योजना उपस्थित करेगी।

अब श्रीमान्, समुपस्थित साध्य (proportion) अर्थात् इस रिपोर्ट पर विचार करने के विषय में मुझे यह कहना है कि कोई भी विधान जो कि इस देश के 30 करोड़ लोगों के लिये बनाया जाये उसमें उचित संरक्षणों का होना आवश्यक ही है। कुछ अपने मन में सोच रहे होंगे कि क्या वे इस देश में अल्पसंख्यक नहीं। श्रीमान्, अछूत लोग जो कि इस उपमहाद्वीप (Sub-continent) की आबादी का छठा हिस्सा है और जिनकी सामाजिक, राजनैतिक और शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति बहुत निम्न है, वे तो अवश्य ही एक अल्पसंख्यक हैं।

श्रीमान्, पूना पैक्ट के पश्चात् अब हम दूसरी स्टेज (Stage) की ओर आ रहे हैं। सचमुच यह दूसरी स्टेज (Stage) है क्योंकि अछूतों अर्थात् परिगणित जातियों को इस रिपोर्ट के अनुसार जो कि अब इस परिषद् के सामने प्रस्तुत की जा

रही है, कतिपय सुविधायें दी गई हैं। श्रीमान्, एक महत्त्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं परिषद् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह है कि हमें हानिकारक पृथक निर्वाचन से छुटकारा मिल गया है। इसको इतना गहरा दबाया गया है जिससे कि यह उठकर फिर हमारे देश में न आ सके। विविध प्रान्तों में उस समय जो हालात विद्यमान थे वे ही असल में पृथक निर्वाचन विधि के जारी किये जाने के असली कारण थे। पूना पैक्ट ने हमें पृथक और सम्मिलित दोनों ही चुनाव दिये। परंतु इस रिपोर्ट के अनुसार जो कि यहां प्रस्तुत की गई है, हमें बताया गया है कि दलित जातियां भविष्य में सम्मिलित निर्वाचन का उपभोग करेंगी। श्रीमान्, यह आशा की जाती है कि इस वृहत् संघ में, जिसे निर्माण करने का हम स्वप्न देख रहे हैं, यह देश भावी कतिपय वर्षों में ऐसा बन जायेगा कि जहां सम्मिलित निर्वाचन सवर्ण हिन्दुओं और अल्पसंख्यकों को पारस्परिक सम्पर्क और मिल कर कार्य करने के समान अवसर प्राप्त करायेगा। ऐसा होने पर ही हम भारत को बेहतर बना सकते हैं। श्रीमान्, अब जनसंख्या के आधार पर ''स्थानों की सुरक्षा'' हमें प्राप्त होगी। श्रीमान्, भूमि की काश्त करने वाली और जंगलों को काटने वाली दलित जातियों के लिये यह अधिकार उपयुक्त ही है। देश के शासन-कार्य में उन्हें बराबर का भाग मिलना ही चाहिये। इसके अतिरिक्त क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं होती, अतः उनके लिये यह संभव नहीं कि वे असुरक्षित 'स्थानों' पर चुनाव लड़ सकें। सो 'परामर्श समिति' ने यह महत्त्वपूर्ण सिफारिश करके कि सारे अल्पमतों को असुरक्षित स्थानों पर चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया जाये, एक शुभ कार्य किया है। याद रहे कि विविध प्रान्तीय धारा-सभाओं में 'स्थानों' की 'सुरक्षा' उन्हें इसके अतिरिक्त मिली ही रहेगी। यह भी बहुत अच्छा शकुन है कि आज के पश्चात् सवर्ण हिन्दू तथा हरिजन अर्थात् परिगणित जातियां मिलकर काम करेंगी। इससे देश की भलाई के लिये जो सुधार यहां प्रचलित किये जायेंगे, तथा जो एक्ट इस परिषद् के सामने लाये जायें वे सारे सब जातियों को मान्य हों। साथ ही वह वाक्य-खंड जो कि अल्पसंख्यकों को असुरक्षित स्थानों पर चुनाव लड़ने की आज्ञा देता है, बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों के प्रति सदाशय प्रदर्शित करता है।

मंत्रिमंडल में अल्पमतों के प्रतिनिधित्व के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। श्रीमान्, मैं उन लोगों में से हूं जो देश के निर्बल भाग को उठाने के लिये राजनैतिक शक्ति में विश्वास रखते हैं। पदों को प्राप्त करके ये लोग अवश्य ही इन अभागे अल्पसंख्यकों के सम्पर्क में आयेंगे और फिर अपनी आंखों से देखकर विचारेंगे कि इनकी दशा को सुधारने के लिये क्या किया जाना चाहिये। श्रीमान्, यदि मैं

[श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले]

इस बात पर जोर देता हूं कि इन अल्पमतों को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये तो मेरा आशय यह नहीं कि ऐसा होने से मंत्रिमंडल अपवित्र या अयोग्य बना दिये जायें। मैं तो केवल सबके लिये (सर्वत्र) समान अवसर की मांग करता हूं। श्रीमान्, यदि आप एक बार जनसंख्या के अनुपात से 'सुरक्षा' देंगे तो मेरा यह दावा है कि इसी अनुपात से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व भी आपको देना ही होगा। श्रीमान्, वाकियात (घटनाओं) ने देश भर में यह स्पष्ट कर दिया है कि विविध पदों पर जो सदस्य परिगणित जातियों की ओर से मंत्री अथवा धारासभाओं के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये गये थे वे दूसरों की तरह अपने कार्य में पूर्णतया योग्य साबित हुए हैं। अब आगे से बहुमत को अपने मन से यह विचार निकाल देना चाहिये कि जो लोग इन जातियों में से उच्च पदों के लिये चुने जायेंगे वे योग्य नहीं होंगे। मैं अनुभव करता हूं कि सन् 1935 ई॰ के एक्ट के अनुसार अब इस विषय में एक परंपरा (Convention) बना ली जानी चाहिये। मुझे विश्वास है कि बहुमत सद्भावना से प्रेरित करके मंत्रिमंडलों में अल्पमतों को, जोकि इस समय निर्बल हैं, उचित प्रतिनिधित्व दिलाने में प्रयत्नशील होगा। श्रीमान्, नौकरियों के विषय में मैं बलपूर्वक प्रार्थना करूंगा कि अल्पमतों को हर प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिये ताकि इस उपमहाद्वीप (Sub-continent) की नौकरियों में वे अपना पूरा भाग प्राप्त कर सकें। यह प्रायः करके कहा जाता है कि दलित जातियों के लोगों को आवश्यक योग्यता के होने पर भी किसी न किसी बहाने से नौकरियां प्राप्त करने के पूर्ण अवसर नहीं दिये जाते। श्रीमान्, मेरी इच्छा है कि इस रिपोर्ट के विधान-परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् वे बहुसंख्यक जातियां, जिनकी बात इस विषय में मानी जाती है, यह ध्यान रखेंगी कि परिगणित जातियों की उपयुक्त मांगें इस संबंध में भुलाई नहीं जातीं। मैं जानता हूं और यह एक तथ्य भी है कि आरम्भ के तौर पर वर्तमान औपनिवेशिक मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक चलाऊ (executive) आदेश जारी भी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार परिगणित जातियों के लिये प्रतियोगिता वाली और प्रतियोगिता के बिना ही दी जाने वाली नौकरियों में यथा संख्य करके 12½% और 16½% भाग सुरक्षित कर दिया है। यह एक शुभ शकुन है। मुझे विश्वास है कि यह हृदय परिवर्तन की परम्परा और भी आगे जायेगी और नौकरियों में परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों को एक उचित भाग (quota) मिलता ही रहेगा।

श्रीमान्, अंतिम बात यह है कि यह रिपोर्ट एक वैधानिक पंचायत (Statutory Commission) और प्रांतों में कुछ एक अफसरों की नियुक्ति के बारे में विचार

उपस्थित करती है। उक्त पंचायत और अफसरों के जिम्मे यह कार्य होगा कि वे जांच करके पता लगायें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण ये लोग सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा-क्षेत्रों में अभी तक पिछड़े हुए हैं। मैं भाषण समाप्त करने से पहले इन प्रस्तावनाओं (तजबीजों) का स्वागत करता हूं। इन बातों से हमें बहुत दूर तक लाभ पहुंचेगा। यह पंचायत और अफसर स्वयं अपनी आंखों से परिगणित जातियों के कष्टों को देखकर आगामी दस वर्षों में ऐसे उपायों को कार्यरूप में लायेंगे कि इन दस वर्षों के पश्चात् परिगणित जातियां एतद्विषयक बातों और प्रान्तीय धारा-सभाओं में कहीं भी 'सुरक्षा' की मांग न कर सकेंगी। यह बहुमत का कर्तव्य है कि वह देखे कि इन अल्पमतों के साथ न्याय हो ताकि इन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके और समाज में इनका स्थान ऊंचा किया जा सके। ऐसा होने पर ही तो ये लोग देश के प्रशासन में पूरा भाग ले सकते हैं। श्रीमान्! मेरे बहुत-से मित्रों के और विशेषकर परिगणित जातियों के मन में यह आंशका हो रही है कि अब जब कि हिंदू शक्ति संभाल रहे हैं और हिंदूराज पुनः स्थापित हुआ चाहता है, कहीं ये लोग (हरिजनों को) तंग करने के लिये 'वर्णाश्रम' को फिर जारी न कर दें। ऐसे अपने मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि इस बार यदि 'वर्णाश्रम' धर्म का आरंभ हुआ तो इसका स्वरूप पहले जैसा न होगा; इस बार यह हजारों वर्ष पहले देश में प्रचलित वर्णाश्रम धर्म से सर्वथा भिन्न होगा। मैं यकीन रखता हूं कि यह रिपोर्ट परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत कर ली जायेगी। और कि इसमें कोई ऐसा संशोधन पेश न किया जायेगा जिससे कि मेरे मित्र माननीय श्री वल्लभभाई जी पटेल द्वारा तैयार की गई इस उत्तम रिपोर्ट का सदाशय ही नष्ट हो जाये।

***श्री एफ०आर० एन्थॉनी** (मध्य प्रांत और बरारः जनरल): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय! मैं महसूस करता हूं कि ''अल्पमत उप-समिति'' और ''परामर्श समिति'' के सदस्य होने की हैसियत से मैं भी कुछ शब्द इस रिपोर्ट के संबंध में कहूं। मैं आपको बता दूं कि कुछ एक विषय बड़े ही विवादास्पद थे। इनमें से अनेकों पर न केवल कई घंटों तक अपितु कई बार तो कई दिनों तक भी युक्तियां-प्रतियुक्तियां दी जाती रहीं। परंतु दोनों ओर से यह विचार विनिमय बड़ी उदारतापूर्वक किया गया। श्री मुंशी जैसे शक्तिशाली वकील की युक्तियों का उत्तर देना सर्वदा कोई आसान बात न थी। इस बहस में कई दृष्टिकोण थे। बहुत सारे व्यक्ति तो, स्पष्ट ज्ञात होता था अपने अटल सिद्धांतों को सामने रखकर बातचीत करते थे। यह सौभाग्य की बात है कि कतिपय दूसरों ने वस्तुस्थिति को समझकर सच्चे राजनीतिज्ञों की तरह इस बात पर विचार किया।

[श्री एफ.आर. एन्थानी]

जहां तक मेरी जाति के हितों का संबंध है, मुझे सब सदस्यों और विशेषतया सरदार पटेल की प्रशंसा करना तथा धन्यवाद देना है; जिन्होंने हमारी समस्याओं पर यथार्थता की दृष्टि से विचार किया। अपनी ओर से हमने सर्वसम्मत निश्चय पर पहुंचने के लिये जो कुछ संभव था, सब कुछ किया और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आखिरकार हम सफल हो ही गये। मैं अनुभव करता हूं कि मुझे अपनी जाति की ओर से उन सबकी प्रशंसा तथा धन्यवाद करना चाहिये जिन्होंने एंग्लो इंडियन जाति की विशेष आवश्यकताओं को समझा और आखिर में उन्हें 'परामर्श समिति' की रिपोर्ट में उचित रूप से उपस्थित किया। श्रीमान्, यह रिपोर्ट भविष्य के लिये एक शुभ शकुन है। मैं सर्वदा उन लोगों में रहा हूं जो यह महसूस करते हैं कि हमें अपने सिद्धांत बदलकर यथार्थ तथ्यों के अनुकूल बना लेने चाहियें। राजनीतिज्ञता का मार्ग समझौते का मार्ग है। मैं प्रसन्न हूं कि राजनीतिज्ञता और यथार्थता के भावों ने हमारी कार्यवाही पर पूरा प्रभाव डाला। सच पूछो तो ये दोनों ही इसमें ओत-प्रोत हो गये और यह सब कुछ सरदार पटेल ने ही किया। वदान्य होकर—और सचमुच बहुसंख्यक ऐसा था ही, अर्थात् अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता का व्यवहार दर्शाकर आपने हमारे इस भय को कि अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं और उनके दृष्टिकोणों की परवाह न की जायेगी, हटाने में सहायता दी है। राजनीतिज्ञता के इस कारनामे से आपने जाति-निर्माण के कार्य के प्रति अल्पसंख्यकों की वफादारी को जगाने में सहायता की है। और आप जानते हैं कि जाति-निर्माण का महान् कार्य ही इस समय मुख्यतया हमारे सामने है।

मैं समझता हूं कि आज के हालात अल्पसंख्यकों के लिये एक चुनौती (Challenge) हैं। प्रत्येक बुद्धिमान अल्पमत उस भावी समय की ओर देख रहा है जबकि वह सांप्रदायिक चिन्ह (label) या नाम का परित्याग करके सारी भारतीय जाति में घुल मिल जायेगा। याद रखो, ऐसा समय जल्दी आए या देर से, पर आएगा अवश्य *(सुनो, सुनो की आवाजें)*। मैं समझता हूं कि आज के हालात कतिपय घटनाओं की भित्ति के कारण बहुमत के कुछ सदस्यों के लिये भी एक चुनौती हैं। मैं उनसे कहता हूं कि इस भावना से प्रेरित होकर आओ, हम आगे बढ़ें। आओ, हम सब इस आदर्श के लिये आगे बढ़ें कि हम बहुत शीघ्र ही सब सांप्रदायिक चिन्हों (labels) का परित्याग कर देंगे। आओ, सबको मजबूर कर देने वाली इस भावना से कि हम सब एक ही भारतीय जाति से संबंधित हैं, प्रेरित होकर एक हो जायें। *(करतल ध्वनि)*

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी** (आसाम: जनरल): मेरी इच्छा है कि मैं इस प्रस्ताव पर बोलूं ताकि इस विषय में अपने भावों को व्यक्त कर सकूं। हमने जब से स्वतंत्रता प्राप्त की है, सचमुच यह पहला अवसर है कि मैं किसी प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। श्रीमान्, मैं नहीं जानता कि मैंने इस वाद-विवाद को समझा है कि नहीं। न ही मुझे पता है कि इस रिपोर्ट का अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परंतु मुझे ऐसा जान पड़ता है और मैं समझता हूं कि मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जायेगा कि इस समय यहां पर दो प्रकार के अल्पसंख्यक विद्यमान हैं। इन अल्पसंख्यकों में से एक तो उस भारत से संबंधित हैं जो कभी हमारा था परंतु जो आज सर्वथा विनष्ट कर दिया गया है। इस अल्पसंख्यक की रक्षा स्वर्ग में जो कि सब धार्मिक पुरुषों और संत महात्माओं के लिये शरणस्थान है, प्रभु स्वयं कर रहे हैं। इसीलिये तो इह लोक में उनके द्वारा छोड़े गये स्थानों के बदले 16 अगस्त से लेकर आज तक स्वर्ग में असंख्य स्थान उनके लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं। यद्यपि स्वर्ग में स्थानों के लिये इतनी मांग है, परंतु वहां पर जगह की अभी तक कमी नहीं हुई। परंतु हमारा उनके ध्येय से कोई संबंध नहीं। हम तो विधान निर्मातृ संस्था के सदस्य हैं, हमें उनके संतोष और कष्टों से क्या? शुक्रवार तक तो हम कुछ एक नियम बनायेंगे उसके पश्चात् शनिवार को हम विविध प्रांतीय सभाओं और कौंसिलों में चले जायेंगे। इसके पश्चात् हम दशहरा और दुर्गापूजा की छुट्टियां मनायेंगे। हम पुन: फिर एक बार इस विधान को परिमार्जित करने के लिये आयेंगे। तब भारत के विभाजन के शिकार हुए अभागे दुखी लोगों के लिये हमारे पास समय होगा। श्रीमान्! मुझे विश्वास है कि इन अभागे लोगों के हितों को इस परिषद् को कुछ मिनटों के लिये अर्थात् एक या दो मिनटों के लिये मौन रहकर या इसी प्रकार की कोई और बात करके जीवित रखना चाहिये। इस प्रकार हम उन लोगों को जिन्होंने लड़ते हुए जान दी है मौन रहकर श्रद्धांजलि पेश करते हैं। हमने मरने वालों के लिये मौन रखने का रिवाज आज जारी किया है। परंतु मुझे डर है कि हमारे इस अभागे देश में इस रिवाज का अनुकरण बहुत ही लंबे समय तक होता रहेगा।

श्रीमान्, एक दूसरे प्रकार का अल्पसंख्यक भी है जिससे हमारा संबंध जल्दी नहीं होगा। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि उस अल्पसंख्यक के लिये काफी कुछ कर दिया गया है। उनके लिये आगामी दस वर्ष तक के लिये 'स्थान' सुरक्षित कर दिये गये हैं। साथ ही उन्हें असुरक्षित स्थानों पर चुनाव लड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। सुरक्षित 'स्थानों' द्वारा वे अपनी सांप्रदायिक पार्टी से चिमटे रहेंगे

[श्री रोहिणी कुमार चौधारी]

और कांग्रेस पार्टी की उदारता के सहारे वे असुरक्षित स्थानों पर भी काबिज हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि इस विधि से दस वर्षों से पहले ही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में परिणत हो जायेगा। उसके बाद फिर कोई अल्पसंख्यक न रहेगा। और ऐसा होना ठीक भी है क्योंकि हमने ऐसी नीति को अपनाया है जिसने हमारे कर्तव्य और उत्तरदायित्व को विभक्त कर दिया है।

वह प्रदेश कि जिसका 'पाकिस्तान' नाम है वहां की सरकार बहुसंख्यक के हितों की रक्षा करेगी और उस प्रदेश में कि जिसको हिन्दुस्तान कहा जाता है, हम लोग अल्पसंख्यक की रक्षा करेंगे। आज तक हम ऐसा करते आये हैं और भविष्य में भी हम खुशी से ऐसा ही करेंगे।

श्रीमान्, इस देश के विविध प्रांतों में बसे हुये अल्पसंख्यकों का विचार करते हुये इस परिषद् को एक अत्यंत ही पिछड़े हुये प्रांतों को भी भुला नहीं देना चाहिये। मेरा आशय आसाम और उड़ीसा से है। इन दोनों प्रांतों में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं मिल सका कि जिसे भारतीय सरकार में लिया जा सकता या अधिष्ठाता (Governor) बनाया जाता या रेलवे, डाक, अथवा तार के विभागों के उच्च पद पर या इम्पीरियल सेक्रेटेरियट में ही, जिसकी कि राजसी शान अभी तक कायम है, नियुक्त किया जा सकता।

मिट्टी और राख को वहां एकत्रित करके किसी प्रांत विशेष को अवहेलित (Cindrella) करार देना बहुत आसान है। और इसी प्रकार, अन्य प्रांतों को जो अवसर मिलते हैं उनसे वंचित रख कर किसी प्रांत विशेष के लोगों को जो कि पहले ही न्यून भाव (inferiority complex) का शिकार हो रहे हों, ऐसे नामों से पुकारना और भी आसान है। श्रीमान्, इस परिषद् के कतिपय माननीय सदस्यों के चेहरों पर मैं कोप के चिन्ह देख रहा हूं और मैं समझता हूं कि मेरी खैर अब इसी में है कि मैं दौड़ कर अपने स्थान पर चला जाऊं।

***श्री एस॰ नागप्पा** (मद्रास: जनरल): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, सचमुच आज का दिन भारतीय इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण है। अत: जैसा कि मेरे मित्र पहले ही कह चुके हैं, परामर्श समिति सर्वसम्मत रिपोर्ट के लिये धन्यवाद की पात्र है। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये अल्पसंख्यक बहुत देर से हमारी स्वतंत्रता का मार्ग रोके हुये थे। अंग्रेज अल्पसंख्यकों का पक्ष आज तक इसलिये लेते रहे हैं ताकि हमें स्वतंत्र करने में वे देर कर सकें। हम

15 अगस्त को स्वतंत्र हुये हैं और आज 27 तारीख है और केवल 12 दिनों में ही अल्पसंख्यकों के साथ समझौता हो गया है। अत: श्रीमान्, आप स्वयं देख सकते हैं कि भारत में कितनी एकता विद्यमान है। क्योंकि हम हमेशा के लिये बटे हुये दिखाई देते थे, इसलिये अंग्रेज यह चाल हमारे साथ खेल रहे थे। अब कुछ महीनों में ही हमने एक दूसरे को समझ लिया है और इस कारण ही हम अल्पसंख्यक समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट तैयार कर सके हैं। याद रखें कि इस समिति में सब मतों के प्रतिनिधि तो थे ही, परंतु बहुसंख्या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों की थी। इन्होंने इन बातों के आधार पर हमारी स्वतंत्रता के प्रश्न को बहुत देर तक खटाई में डाले रखा। इससे हमारे मित्रों की ईमानदारी का खोखलापन क्या स्पष्ट जाहिर नहीं होता? पर खैर मैं अतीतकाल की बातों में नहीं जाना चाहता। मैं प्रसन्न हूं कि रेम्जे मैक्डेनल्ड द्वारा 15 वर्ष पहले पैदा की गई शरारत को आज हमने समाप्त कर दिया है। आज जो तबाही हो रही है उसके लिये वह उत्तरदायी है। इस देश में जो जाती और माली नुकसान हुआ है उसके लिये वह ही जिम्मेदार है। यदि मेरे पास शक्ति होती तो मैं उसे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये बुलाता। यही वह व्यक्ति है जिसने 15 वर्ष पूर्व सांप्रदायिक बटवारे द्वारा हमारे देश में फूट का बीज बोया।

श्रीमान्! आज का दिन बहुत मंगलमय है क्योंकि सब अल्पसंख्यक एक होकर समझने लग गये हैं कि व्यक्ति या किसी संप्रदाय विशेष के हितों से देश का हित बहुत ऊंचा है।

अब मैं विशेष रूप से श्री सरदार जी को बधाई देता हूं जिन्होंने अल्पमतों को असुरक्षित स्थानों पर चुनाव लड़ने की आज्ञा दी है। सचमुच यह एक बहुत बड़ी चीज है। हमें उन्हें बधाई इसलिये भी देनी है कि वे जब समय था तब अवसरनुसार सख्त भी हो गये थे। जहां आवश्यकता हो वहां सख्त हो जाना ही तो राजनीतिज्ञता है। कुछ एक मांगों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, विशेषकर मतों की प्रतिशत संख्या वाली मांग को। जहां उदार होने की आवश्यकता हो वहां उदार हो जाना और जहां दृढ़ता की आवश्यकता हो वहां दृढ़ता का प्रदर्शन करना, ये ही राजनीतिज्ञता के प्रमुख गुण हैं।

1935 के एक्ट (Act) के 'आदेश यंत्र' (Instrument of Instruction) में मंत्रिमंडल की बनावट के संबंध में एक शर्त है। परंतु यह अच्छा होगा कि अल्पसंख्यक के सदस्यों को यकीन दिला दिया जाये कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में

[श्री एस. नागप्पा]

लिया जायेगा और यदि इस विषय में कोई वैधानिक शर्त बना दी जाये तो यह और भी संतोषजनक होगा। उदाहरण के तौर पर मैं अपने प्रांत को ही लेता हूं। हमारे यहां 215 सदस्य हैं। इनमें 30 हरिजन हैं। इस तरह धारा-सभा में उनकी संख्या 117 है जबकि प्रांत भर में उनकी गणना 115 है। उनकी जनसंख्या चार करोड़ नब्बे लाख के प्रांत में अस्सी लाख है। अर्थात् वे जनसंख्या में $1^{1}/_{5}$ और धारा-सभा में वे 117 हैं। परंतु मंत्रिमंडल में उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिला। हमारे मंत्रिमंडल में 13 या 14 मंत्री हैं, अतः अपनी सदस्य संख्या के अनुपात से उनके 2 मंत्री होने चाहिये थे क्योंकि वे धारा-सभा में 117 की गिनती से हैं। लेकिन जब मंत्रिमंडल के निर्माण का प्रश्न उठा तो हरिजनों को एक स्थान भी न दिया गया। अब हमारे यहां 13 मंत्री हैं और उनमें से एक भी हरिजन नहीं। मैं कहता हूं कि हरिजन स्वयं मंत्री चुनना नहीं चाहते। मंत्रियों को चुनने का कार्य प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया गया है। मेरी मांग तो केवल यह है कि मंत्रिमंडल में हरिजनों का भाग विधान द्वारा सुरक्षित कर दिया जाये। मैं अनुभव करता हूं कि हमें प्रधान मंत्री की दया पर नहीं रहना चाहिये। अपनी मर्जी से मंत्रियों को चुनने का अधिकार तो प्रधानमंत्री को मिल जाना चाहिये, परंतु हम ऐसी स्थिति में रहने के लिये तैयार नहीं जिससे हमें महसूस हो कि उसने हम पर कोई मेहरबानी की है। मंत्रिमंडल में लिया जाना हमारा उचित अधिकार है। यह मांग करके हम कोई दान नहीं मांग रहे। श्रीमान्! यह मार्ग है जिस पर चल कर न्याय किया जायेगा। आज हम खुली आंखों से अन्याय होता देख रहे हैं। इसलिये यह बेहतर होगा कि इन अल्पसंख्यकों को मंत्रिमंडल में उनकी वास्तविक स्थिति के संबंध में कोई यकीन दिला दिया जाये।

श्रीमान! यह संभव नहीं कि अल्पसंख्यकों में से प्रधानमंत्री लिये जायें, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वह ही बन सकता है जिसे सदस्यों की बहुसंख्या का विश्वास प्राप्त हो। इसलिये यह आशा करना कि बारी-बारी सब संप्रदायों में से प्रधानमंत्री बनाये जायेंगे, ठीक न होगा। परंतु यह संभव है और शायद ऐसा हो भी कि एक ऐसी शर्त बना दी जाये जिसके अनुसार प्रांतों के अधिष्ठाता (Governors) बारी-बारी करके सब संप्रदायों में से चुने जाया करें। यदि इस रिपोर्ट में यह बात शामिल कर ली जाती तो काम बहुत ही सरल हो जाता।

श्रीमान्! पुनः यह भी संभव नहीं कि अल्पसंख्यक के किसी व्यक्ति को औपनिवेशिक प्रधानमंत्री बना दिया जाये। परंतु साथ ही साथ यह तो सहज है कि

औपनिवेशिक अध्यक्ष, अधिष्ठाता, उपाधिष्ठाता (Deputy Governor) और उपाध्यक्ष उन में से बारी-बारी से बनाये जायें। उदाहरणार्थ, 12 बारियों में–ये पद 6 बार बहुसंख्यक जाति के, 3 बार परिगणित जातियों के, 2 बार मुसलमानों के और एक बार अन्य छोटे अल्पसंख्यकों के हिस्से में आने चाहियें। यदि इस प्रकार किया जाये तो अल्पसंख्यकों को पर्याप्त विश्वास हो जायेगा कि बहुसंख्यक उनके प्रति ईमानदार और अनुकूल हैं।

औपनिवेशिक सरकार ने हाल ही में नौकरियों के बारे में जिस नीति का अवलंबन किया है, तदर्थ प्रसन्नतापूर्वक मैं उसे बधाई देता हूं। इसने कई एक जातियों से न्याय किया है और विशेषतया ईसाई जाति और ऐसी ही किसी अन्य जाति को तो न्याय से भी अधिक भाग दिया गया है। इस विषय में सरकार का कदम उपयुक्त ही है। मेरे विचार में यदि रिपोर्ट में ही यह दर्ज कर दिया जाता कि प्रत्येक जाति विशेष को नौकरियां उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही मिलेंगी तो बेहतर होता। मैं एक से छीन कर दूसरे को देने के हक में नहीं। यह नीति बहुत ही बुरी है। मैं अपना हिस्सा लेना चाहता हूं, चाहे मैं अज्ञानी, अबोध अथवा गूंगा भी क्यों न होऊं। मेरी उपयुक्त मांग अवश्य स्वीकार की जानी चाहिये। मेरे गूंगे अथवा अबोध होने का आप लोग लाभ न उठायें। मैं तो केवल अपना उचित भाग चाहता हूं और कुछ नहीं। अन्य लोगों की भांति मैं पासंग (Weightage) या पृथक राजसत्ता नहीं चाहता, हालांकि इस देश के आदिवासी होने के कारण पृथक राजसत्ता के लिये हमारा सबसे अधिक अधिकार है।

श्रीमान्! जहां तक नौकरियों का मामला है मैं औपनिवेशिक सरकार को बधाई देता हूं। बेहतर होता कि इस रिपोर्ट में एतत्संबंधी कोई शर्त रख दी जाती, ताकि प्रांतीय सरकारें भी उसका अनुकरण कर लेतीं। अब भी औपनिवेशिक सरकार प्रांतीय सरकारों को इस विषय में अनुकरण करने का आदेश दे सकती है। अब मैं जनसंख्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमान्, सन् 1931 की जनगणना के अनुसार हमारी संख्या 7 करोड़ थी। हम देखते हैं कि 1941 की जनगणना के अनुसार देश में औसतन 14 प्रतिशत लोगों की बढ़ोतरी हुई। क्योंकि गरीबी में जनसंख्या अधिक बढ़ती है, अत: हमारी जाति की संख्या 20 प्रतिशत से कम क्या बढ़ी होगी। यह श्री माल्थस (Mr. Malthus) का सिद्धांत (theory) है। परंतु मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि धनी लोगों का जीवन स्तर (standard of life) ऊंचा होता है। अत: वे तब ही विवाह करते हैं जब वे किसी उच्च पद अथवा शक्ति या सम्पत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इस

[श्री एस. नागप्पा]

कारण उनके यहां औलाद कम होती है। किसी अमीर के यहां जाकर देख लीजिये आप उसे परमात्मा के दरबार में बच्चों के लिये प्रार्थना करते पायेंगे। इसके विपरीत यदि आप किसी निर्धन के यहां जायें तो आपको बच्चे ही बच्चे इधर-उधर घूमते हुए मिलेंगे। अत: हम श्री माल्थस (Mr. Malthus) के इस सिद्धांत से कि गरीबी में जनसंख्या अधिक बढ़ती है, चौंक उठने का कोई कारण नहीं देखते। श्रीमान्! 1931 की जनगणना में तो हम 6 करोड़ से अधिक थे फिर 1941 की जनगणना में घटकर किस तरह साढ़े पांच करोड़ रह गये हैं। इसमें सचमुच कोई गोलमाल हुआ है। विशेषकर के पंजाब और बिहार में; ओहो, आप मुझे क्षमा करें, पंजाब मैं भूल से कह गया, बंगाल कहना था; बिहार और बंगाल में इस संबंध में किसी ने बहुत शरारत की है। उन दिनों बंगाल में हिंदू और मुसलमानों में आपस में वाद-प्रतिवाद चल रहा था। इन दोनों ने ही निर्धन अबोध हरिजनों पर छापा मारने में अपनी भलाई समझी। इस तरह बहुत से हरिजन या तो मुसलमान बना लिये गये या हिन्दू होने के कारण उन्हें हिन्दुओं के खाने में लिख दिया गया और पृथक संकेत न किया। इस तरह 7 करोड़ से अधिक बढ़ जाने की बजाय हम घट कर साढ़े पांच करोड़ रह गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हरिजनों को 'स्थान' देते समय 1931 की जनगणना को सामने रखा जाये। जनगणना हरिजनों ने नहीं की थी। यह तो सरकारी व्यवस्था द्वारा की गई थी और हमारा उसमें कोई हाथ न था। कोई हरिजन भी इस विषय में शरारत न कर सकता था क्योंकि यह तो सरकारी लिखत थी। आप जानते हैं सारी ही जनता की आबादी बढ़ी है। आप हमारे बारे में माध्यमिक बढ़ती का ही हिसाब लगा लें। मैं कोई विशेष शर्त रखवाना नहीं चाहता। उसी जनगणना के अनुसार कृपया फैला कर देख लें। पिछले दस वर्षों में हम दो करोड़ घट गये हैं, यदि इसी हिसाब से घटते गये दो आगामी दस या बीस वर्षों में कोई भी हरिजन न रहेगा। हरिजन से मेरा आशय यथार्थ अर्थों में हरिजन है और क्योंकि भविष्य में प्रतिनिधित्व जनगणना के आधार पर दिया जाना निश्चय हुआ है, अत: इस विषय में मुझे बहुत आशंका हो रही है। जैसा कि बम्बई के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं यदि आर्थिक दृष्टि से उनसे ऊंचा नहीं, तो उन जैसा ही होता या उनके बराबर ही होता तो मैं केवल एक 'स्थान' लेने को ही अधिक महत्त्व देता। परंतु अब यह सब कुछ विधान पर छोड़ दिया गया है। यह अभी देखा जाना है कि इस जाति के मामले में आप कितनी शीघ्र गति से काम करेंगे।

सारी की सारी ही यह रिपोर्ट हमारी बधाई की पात्र है। सरदार पटेल भी जिन्होंने इस प्रकार यह सर्वसम्मत रिपोर्ट तैयार की, हमारी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ

ही हमें 'परामर्श समिति' और 'अल्पसंख्यक समिति' के प्रत्येक सदस्य को भी बधाई देनी है कि जिनके सहयोग से यह रिपोर्ट तैयार की जा सकी। श्रीमान्, मैं परिषद् से सिफारिश करता हूं कि इस रिपोर्ट पर अब विचार आरंभ किया जाये।

***डा॰ एच॰सी॰ मुखर्जी** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): माननीय अध्यक्ष महोदय! मैं आरंभ में ही यह कह देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जिनका ख्याल हो कि देश के अंगीभूत किसी समुदाय विशेष के महत्त्व या उसकी आर्थिक अथवा राजनैतिक महत्ता को ऊंचा कर देने से देश का गौरव बढ़ जाया करता है। इसके विपरीत मैंने तो सर्वदा ही राष्ट्रीय हितों को समुदाय विशेषों के हितों से ऊपर रखने का प्रचार किया है। इसके साथ ही ''अल्पसंख्यक-उप-समिति'' के सभापति की हैसियत से मेरे अनुभव ने मुझे यह विश्वास करा दिया है कि शांति के निमित्त और देश की भावी उन्नति के निमित्त अल्पमतों की इच्छाओं को पूरी करने के लिये प्रयत्न अवश्य किये जाने चाहिये। मैं स्वयं एक अल्पसंख्यक जाति का सदस्य हूं और मुझे यह देखकर कि मेरी जाति ने सब विशेष सुविधाओं को छोड़ने का निश्चय किया है, बड़ा गर्व महसूस होता है। अत: सबसे पहले मैं अपनी जाति के उन साथियों को जो यहां के सदस्य हैं और जो आज यहां उपस्थित भी हैं, धन्यवाद देता हूं। इस बात के साथ-साथ ही मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि देश के कई एक समुदाय अल्पसंख्यक में अविश्वास रखते हैं। यदि मैं अपने अनुभव की बात कहूं तो यह है कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों की बहुसंख्या की ही ऐसी धारणा है। मैंने अपने तौर पर उन्हें कई बार कहा और अब भी बार-बार कहता रहता हूं कि उन्हें बहुसंख्यकों का थोड़ा बहुत विश्वास करना ही होगा। क्योंकि वे यदि संरक्षणों की मांग करते हैं तो वे संरक्षण तभी पूरे किये जा सकते हैं जब बहुसंख्यक पर विश्वास किया जाये, अन्यथा नहीं। परंतु मैं समझता हूं कि जब तक यह अविश्वास दूर नहीं होता हमें उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिये कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इस अवसर पर मैं श्री मुंशी महोदय की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता कि जिन्होंने 'अल्पसंख्यक-उप-समिति' में विविध समुदायों की न्यून से न्यून मांग को जानने के लिये दौड़-धूप की। इतना ही नहीं इसके बाद उन्होंने जोर देकर परामर्श-समिति से ये मांगें पास भी करवाई। सरदार पटेल ने जो उदारता हमारे प्रति प्रदर्शित की है उसकी ओर संकेत किये बिना मैं नहीं रह सकता। इसलिये 'परामर्श-समिति' जिन परिणामों पर पहुंची है उनकी मैं परिषद् के सामने सिफारिश करता हूं। अपने बारे में मैं यह स्पष्ट बता

[डा. एच.सी. मुखर्जी]

देना चाहता हूं कि मेरा पक्ष तो बहुसंख्यक में विश्वास करने का है। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि हममें से कुछ एक जो अधिक स्वाभाविक (radical) नीति का अवलंबन करना चाहते थे, उन्हें सरदार पटेल के विरुद्ध एक शिकायत सी हो गई है। इसका कारण यह है कि उन्होंने हमें अपनी मर्जी चलाने नहीं दी, यद्यपि मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि हमें बहुसंख्यकों से हार हुई।

***अध्यक्षः** इस प्रस्ताव पर हमने काफी लंबी बहस कर ली है। यद्यपि मैं वक्ताओं को रोकना नहीं चाहता, परंतु मैं अगले दस मिनटों में इस बहस को समाप्त करना चाहता हूं। अभी तीन वक्ताओं को अपने विचार और प्रकट करने हैं। इसलिये मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपनी वक्तृताओं को तीन मिनटों तक ही सीमित करें।

***श्री आर०के० सिधवा** (मध्य प्रांत और बरारः जनरल): श्रीमान्, मैं परिषद् का अधिक समय नहीं लूंगा। बालकपन से ही मनुष्यमात्र की जाति अथवा मत आदि के भेदभावों से ऊपर होकर सेवा करना मैं एक धार्मिक कर्तव्य समझता रहा हूं। इसी एक बात को मैंने सर्वदा सामने रखा है और इसी का ही प्रचार करता रहा हूं। मैंने अपनी जाति को भी इसके अपनाने की प्रेरणा की है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी जाति ने धारासभाओं अथवा नौकरियों में कभी भी पृथक निर्वाचन अथवा पृथक या विशेष प्रतिनिधित्व ग्रहण करने पर जोर नहीं दिया, हालांकि जाति का एक पर्याप्त भाग इस बात का विरोध करता रहा है। मुझे यह भी गर्व है और मैं इसे कहते हुये प्रसन्नता महसूस करता हूं कि यद्यपि हमने किसी प्रकार के विशेष प्रतिनिधित्व की प्राप्ति के लिये जोर नहीं दिया तो भी धारासभाओं के सुरक्षारहित सम्मिलित चुनावों से हमें वास्तविक खुशी हुई है। सरदार पटेल ने ठीक ही कहा है कि हमने राजनीतिक, शिक्षा और सामाजिक जीवन तथा जिंदगी के दूसरे अंगों में भी पूर्ण हिस्सा लिया है। इस प्रकार मैंने अपने दृष्टिकोण से अल्पसंख्यकों पर भी ऐसा प्रभाव डाला है कि वे अब समझने और महसूस करने लगे हैं कि एक ऐसी जाति को जो लोक जीवन के इन सारे ही अंगों में इस प्रकार भाग ले रही हो, कभी भुलाया नहीं जा सकता।

श्रीमान्, 'अल्पसंख्यक उप-समिति' में मेरे साथी सर होमी मोदी 'धारा सभाओं' में विशेष प्रतिनिधित्व ग्रहण करने के पक्ष में थे। मैंने उनकी इस बात का घोर विरोध किया था। मुझे वहां केवल तीन मत (votes) मिले थे, हालांकि मेरे विरोधी पक्ष को 22 । मेरा विरोध इसलिये नहीं था कि मैं गलत हूं अपितु इसलिये कि

मेरा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अत्यधिक युक्तिसंगत और इसी कारण बहुत अग्रगामी था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बिना मिले ही दूसरे दिन सर होमी मोदी यह अनुभव करने लग गये थे कि मैंने पहले दिन जो कुछ कहा था वह ठीक था और सर्वथा ठीक था। तब उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदला। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि पारसी जाति के लिये वह किसी विशेष प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करते। अब वह अनुभव करने लग गए थे कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो जाति को इससे बड़ी हानि होगी। इस बात से आप जान सकते हैं और सरदार पटेल ने वह कह भी दिया है कि हमें ही परस्पर में मिलकर अनुकूलता का ढंग बनाना होगा। मेरे एकांत में अथवा खुले रूप से मिले बिना ही सर होमी मोदी को अपना विचार बदलना पड़ा। अल्पसंख्यकों को तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि सचमुच यदि वे भविष्य में अपने दृष्टिकोण को बहुसंख्यकों के दृष्टिकोण से मिलाने का प्रयत्न करेंगे, तो आगामी दस वर्षों के पश्चात् जो कि उन्हें मिले हैं, उन्हें बहुसंख्यकों के विरुद्ध न कोई क्षोभ रहेगा न कोई शिकायत। हालात को अपने अनुकूल बनाने के लिये अल्पसंख्यकों को केवल 'हृदय' की आवश्यकता है। मेरे विचार में दस वर्ष जो दिये गये हैं यह एक पर्याप्त लंबा समय है। मैं छोटे अल्पसंख्यकों से अनुरोधपूर्वक कहूंगा कि इस अवधि में वे अपने आपको इस तरह ढाल लें कि दस वर्षों की समाप्ति पर उन्हें बहुसंख्यकों के पास जाकर यह न कहना पड़े कि हमें यह दो, हमें वह दो। इसके विपरीत उनकी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिये कि वे मांग कर सकें कि हम इस वस्तु के अधिकारी हैं। उन्हें इस बात को पूरा करके दिखाना चाहिये जैसा कि हमारी जाति करती रही है।

इन शब्दों में, मैं बहुसंख्यकों को उस उदारता के लिये जो कि उसने दिखाई है–हालांकि कुछ अल्पसंख्यकों को जो कुछ मिला है उसके अधिकारी भी न थे–बधाई देता हूं। मैं सचमुच बहुसंख्यकों को उसके लिये जो कुछ कि उसने किया, पूरा-पूरा श्रेय देता हूं। मैंने उनकी बहुत-सी बातों का विरोध किया है और मेरा वहां बहु पक्ष भी न था। परंतु इस सारे दौरान में मैं उनके उस उदारचरित से, जो कि उन्होंने छोटे अल्पसंख्यकों के लिये जगह बनाने के निमित्त व्यक्त किया है, बहुत प्रभावित हुआ हूं। श्रीमान्, मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं कि 'अल्पसंख्यक' यह रूढ़ प्रयोग इतिहास से मिट जाना चाहिये। दस वर्ष का समय जो कि उन्हें दिया गया है, पर्याप्त है। मैं आशा करता हूं कि इन दस वर्षों में ही जब कभी पहली बार हम इकट्ठे होंगे तो ये ''अल्पसंख्यक'' उस समय आगे होकर कहेंगे कि हम अब प्रसन्न हैं और हमें अब कुछ नहीं चाहिये।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार: जनरल): श्री अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं भी परामर्श समिति का सदस्य हूं, अत: स्वयं अपने आपको और अपने साथियों को बधाई देने के लिये मैं खड़ा नहीं हुआ। परंतु मैं तो आदिवासियों की ओर से कुछ शब्द कहने के लिये यहां आया हूं, क्योंकि हम पर भी अल्पसंख्यक उप-समिति की सिफारिशों का प्रभाव पड़ा है। मैं एंग्लो इंडियन और पारसियों के समान छोटे अल्पसंख्यकों को उनकी सफलता पर बधाई देता हूं। मैंने उन्हें छोटा इसलिये कहा है क्योंकि उनकी संख्या हमारी संख्या से बहुत ही कम है और इस दृष्टि से वे अत्यंत ही छोटे हैं। जहां तक एंग्लो इंडियन का संबंध है उन्हें तो निश्चय ही अपनी योग्यता से अधिक भाग मिला है। मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं। प्रभु करे उनका भविष्य और भी भाग्यशाली हो। 'हम संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं' इस बात को सामने रखकर हम यहां व्यवहार नहीं कर रहे। हिंदुओं या मुसलमानों से हम कम हैं अथवा पारसियों से अधिक, हमारी इस स्थिति का इस बात से कोई संबंध नहीं। हमारा पक्ष तो इस बात पर निर्भर है कि हमारे और जाति के अन्य लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा-स्तरों (Standard's) में जमीन और आसमान का फर्क है। और यह विधान द्वारा लगाई गई किसी विशेष शर्त द्वारा ही संभव हो सकता है कि हम लोगों को साधारण जनता के तल तक लाया जा सके। मेरे विचार में आदिवासी अल्पसंख्यक नहीं। मेरा तो हमेशा से ही यह ख्याल रहा है कि वे लोग जो देश के आदिस्वामी थे उनकी संख्या चाहे कितनी ही थोड़ी क्यों न हो कभी भी अल्पसंख्यक नहीं समझे जा सकते। उन्हें ये अधिकार परम्परा से प्राप्त हुये हैं और संसार में कोई भी उनसे ये छीन नहीं सकता। हम इस समय परम्परा से प्राप्त इन अधिकारों की मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो दूसरे लोगों से जो व्यवहार होता है उसकी ही मांग करते हैं। भूतकाल में हमें इस तरह अलग-अलग रखा गया था मानों कि हम किसी चिड़ियाघर में रहते हों। इसके लिये मुझे बड़े राजनैतिक दलों, अंग्रेजी सरकार और प्रत्येक शिक्षित भारतीय को धन्यवाद देना है। भूत में हमारे प्रति सब लोगों का इस प्रकार का व्यवहार रहा है। हमारा कहना तो यह है कि आपको हमारे साथ मिलना ही होगा और हम भी आपके साथ मिलने के लिये तैयार हैं। इसी कारण से तो हमने धारासभाओं में स्थानों की सुरक्षा के लिये जोर लगाया है ताकि हम आपको अपने समीप आने के लिये बाध्य कर सकें और स्वयं अवश्य ही आपके समीप आयें। हमने पृथक निर्वाचन की कभी मांग नहीं की और वस्तुत: हमें यह कभी प्राप्त भी नहीं हुआ। केवल आदिवासियों के एक छोटे से अंग को जो कि अन्य मतों को और विशेषकर पाश्चात्य ईसाई धर्म को अपना चुका था, पृथक निर्वाचन प्राप्त हुआ था। परंतु इनकी

बहुत बड़ी संख्या, जहां कहीं पर भी उन्हे मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, साधारण निर्वाचन के ही मातहत थी। हां, उनके लिये स्थान सुरक्षित कर दिये गये थे। अतः जहां तक आदिवासियों का संबंध है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु आंकड़ों की दृष्टि से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। सन् 1935 के एक्ट (Act) के अनुसार भारत की सारी प्रांतीय धारासभाओं के 1585 सदस्यों में से आदिवासियों के केवल 24 ही थे और केन्द्र में तो एक भी उनका सदस्य न था। अब वयस्क मताधिकार विधि के अनुसार, जो प्रत्येक लाख आबादी के पीछे एक सदस्य भेजने का अधिकार देती है, हमारी स्थिति में बड़ा भारी फर्क पड़ जायेगा। अब यह गिनती पहले से दस गुना होगी। जब मैं भारतीय भारत का जिक्र करता हूं, तो क्या मैं देशी रियासतों (Princely India) से भी यह निवेदन कर सकता हूं। देशी रियासतों (Princely India) में आदिवासियों को कहीं थोड़ा-सा भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं। मैं आशा करता हूं, भारतीय भारत के भाव वहां पर भी उचित रूप से प्रवेश कर जायेंगे।

***श्री एम॰एस॰ अणे** (दक्षिणी रियासतें): अभारतीय भारत अब कहीं नहीं है।

***श्री जयपाल सिंहः** मैं श्री अणे को बता दूं कि मैं 'अंग्रेजी भारत' इसके स्थान पर 'भारतीय भारत' इस नये रूढ़ का प्रयोग कर रहा था। इसी कारण रियासतों को मैंने देशीराज (Princely India) कहकर के पुकारा है। आप यदि किसी दूसरे प्रयोग को इस्तेमाल करना चाहें, कर लें। परंतु 'भारतीय भारत' से मेरा तो केवल 'देशी राज्यों से भिन्न' इतना ही आशय था। मैं आशा करता हूं कि भारतीय समाज के अत्यंत पिछड़े हुये भाग को आगे ले जाने के भाव देशी राज्यों में भी प्रवेश करने लगेंगे।

श्रीमान्, परिगणित जातियों के नेताओं ने नौकरियों में उनके लिये रखी गई 'सुरक्षा' के संबंध में कृतज्ञता प्रकट करते हुये बहुत कुछ कह डाला है। थोड़े ही दिन हुये जब कि भारतीय सरकार ने घोषणा की थी कि इस विषय में एक विषय नीति पर अमल किया जायेगा जिससे परिगणित जातियों को केन्द्रीय सरकार में स्थान दिया जा सके। मुझे बहुत खेद है कि अत्यंत अधिकारी समुदाय आदिवासियों को इस विषय में सर्वथा ही भुला दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि मेरे ये शब्द भारतीय सरकार तक पहुंच जायेंगे और वह इस विशेष विषय की ओर कुछ ध्यान देगी। हम किसी असमान शर्तों पर 'सुरक्षा' की मांग नहीं करते। हमारी तो केवल इतनी ही इच्छा है कि जब तक नौकरी के लिये वांछित

[श्री जयपाल सिंह]

मानों (Standard's) को हम पूरा करते हैं तो उनसे हमें सर्वथा ही वंचित न रखा जाये।

आदिवासियों के संबंध में और बहुत कुछ कहा जा सकता है। परंतु कबीलों संबंधी दो उप-समितियों की रिपोर्टों पर विचार करते समय इस समस्या विशेष को सोचने का अवसर परिषद् को फिर प्राप्त होगा। अतः इस विषय में मैं अधिक नहीं कहूंगा। एतदर्थ: मैं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की सिफारिशों पर परिषद् द्वारा विचार किये जाने का समर्थन करता हूं।

***अध्यक्षः** मेरा विचार है कि यदि परिषद् की मर्जी इसके विरुद्ध न हो तो अब बहस बंद कर दी जाये, क्योंकि इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है। सदस्यों को इस विषय पर विचार करने का पुनः अवसर मिलेगा जब कि हम वाक्यखंडों को लेंगे।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, परामर्श समिति की ओर से मैं अल्पसंख्यक समिति का तथा परामर्श समिति के सदस्यों का जिन्होंने इस रिपोर्ट को, जो प्रायः सर्वसम्मत है तैयार करने में सहायता और सहयोग दिया है, धन्यवाद देता हूं। यह ख्याल किया जाता था कि यह रिपोर्ट बहुत वाद-प्रतिवाद पूर्ण होगी। इस परिषद् में किये गये भाषणों से विदित होता है कि यह रिपोर्ट संतोषप्रद है; अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि एंग्लो इंडियन संबंधी विषय समेत ही जिसकी ओर कि अपने आरंभिक भाषण में मैंने भी संकेत किया था, इस रिपोर्ट पर विचार किया जाये, तब हम अनुखण्डशः (clause by clause) विचार कर सकेंगे।

***अध्यक्षः** प्रश्न है कि–एंग्लो इंडियन संबंधी परिशिष्ट सहित इस रिपोर्ट पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव पास हो गया।

***अध्यक्षः** अब हम रिपोर्ट के परिशिष्ट की मदों पर विचार करेंगे।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** सर्वप्रथम मद चुनावों की ओर संकेत करती है और वह इस प्रकार है:

''केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभाओं के सब चुनाव संयुक्त चुनाव विधि से होंगे।''

मेरा अनुमान है कि परिषद् इस विषय में एकमत है, अतः मैं इस विषय में कोई भाषण नहीं देना चाहता। श्रीमान्, मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

***अध्यक्षः** क्या इस प्रस्ताव पर कोई संशोधन है?

***श्री बी॰ पोकर साहब बहादुरः** श्री अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रस्तावक का उन भावों के लिये, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने परिषद् से पिछली बातों को भुलाकर मित्र भाव से प्रेरित होकर बातचीत करने के लिये अनुरोध किया है, धन्यवाद देता हूं। मैं इस भावना का स्वागत करता हूं और श्री प्रस्तावक महोदय की इच्छा को अवश्य ही पूरा करूंगा। श्रीमान्, आपको ज्ञात ही है कि हम बहुत ही विकट समय में से गुजर रहे हैं। यहां पर कहा हुआ प्रत्येक शब्द दोनों ओर बहुत गहरा असर उत्पन्न करेगा। इससे दोनों संप्रदायों का पारस्परिक संबंध घनिष्ठ बन सकता है और इससे ही दोनों में झगड़े डलवाये जा सकते हैं। श्रीमान्, इन भावों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं, जिससे कि मुझे श्री माननीय प्रस्तावक महोदय तथा समिति की सिफारिशों से मतभेद प्रकट करना पड़ा है। श्रीमान्, इन शब्दों के पश्चात् मैं अपना पहला संशोधन जो कि आज के कार्यक्रम में अंकित है, पेश करता हूं। यह इस प्रकार है किः

> **''अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार इत्यादि पर विचार करने के लिये बनाई गई परामर्श समिति द्वारा तैयार की गई अल्पसंख्यकों के अधिकारों संबंधी रिपोर्ट पर विचार करके विधान-परिषद् की यह बैठक निश्चय करती है कि जहां तक मुसलमानों का संबंध है, केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभाओं के सारे चुनाव पृथक विधि के अनुसार किये जायें।''**

श्रीमान्, इस प्रस्ताव को पेश करते समय मुझे पूरा ज्ञान है कि मुझसे मतभेद रखने वाले सज्जन यहां बहुत हैं। यही नहीं कि वे पृथक चुनाव को पसंद ही नहीं करते, अपितु वे यह भी महसूस करते हैं कि पृथक चुनाव ही देश पर इस समय आई हुई सारी मुसीबतों की जड़ है। उनके विचार में देश की इतनी भारी हानि करने वाली आपस की भ्रांति (misunderstanding) के लिये भी यह ही जिम्मेदार है।

श्रीमान्! मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर विचार करते समय परिषद् के माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे माननीय प्रस्तावक महोदय की प्रार्थना पर अमल करें

[श्री बी. पोकर साहब बहादुर]

और पिछली बातों को भुलाकर साफ हृदय से कार्यारम्भ करें। उन्हें चाहिये कि पिछले कुछ वर्षों से पूर्वानुभाषित (pre-conceived) नए विचारों को काम में न लाएं और अतीत काल की बातों को भूल जाएं। इस प्रश्न पर उन्हें केवल इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि वह शर्त जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, दोनों जातियों में अच्छे संबंध पैदा करने के निमित्त कितनी लाभकारी है और इससे सब जातियों की खुशी में कितनी वृद्धि होगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि वे पिछली घटनाओं से अपने आपको पृथक रखकर इस प्रश्न पर विचार करें और देखें कि दो पारस्परिक मैत्री संबंधों को घनिष्ठ करना कितना आवश्यक और संभव है। उन्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जायेगा कि देश भर की सब जातियों को संतुष्ट रखना बहुत जरूरी है और इस विषय में वे मेरी ओर से प्रस्तुत की गई शर्त को विविध जातियों की खुशी में वृद्धि करने वाली ही पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा कि हमें अपना कार्य निम्न प्रकार की प्रस्तावना से आरंभ करना चाहिये कि हमारा सबसे पहला और मौलिक कर्तव्य है कि हम ऐसा विधान बनावें जिससे कि सारी जातियों की तृप्ति हो जाये और जिसके द्वारा इन सब में संतोष का प्रसार हो। श्रीमान्! मुझे आशा है कि सारी परिषद् इस बात में मुझसे सहमत होगी कि यदि मुख्य-मुख्य जातियां असंतुष्ट रहीं और उनमें यह भावना कि देश के राजकार्य में उनकी बात उचितरूपेण सुनी नहीं जाती, तो यह एक ऐसी बुराई होगी कि जिसका निराकरण हमें हर कीमत पर करना चाहिये। सब जातियों का संतोष और तृप्ति करना अच्छे विधान का एक अनिवार्य अंग है और यह हमारा एक धार्मिक कर्तव्य है कि हम इसे पूरा करें।

मैं देखता हूं कि कुछ एक भाषणों में तो अल्पसंख्यक अर्थात् अल्पसंख्यक जातियों की सत्ता पर भी खेद प्रकट किया गया है। तथ्य तो यह है कि ऐसी विचारधाराओं को सामने रखने से, जो कि पूरी ही न की जा सकती हों, कोई भी लाभ नहीं हो सकता। यह तो मनुष्य स्वभाव के विरुद्ध कार्य करने के समान है। मनुष्य स्वभाव जैसा कि आज है यदि ऐसा ही रहे तो 'अल्पसंख्यक' और 'अल्पसंख्यक जातियों' का किसी भी देश में होना अनिवार्य है। विशेष करके भारत जैसे किसी उप-महाद्वीप (Sub-Continent) तुल्य विस्तृत प्रदेश में तो उनका होना आवश्यक ही है और यह मनुष्य की शक्ति से बाहर है कि उनकी सत्ता को मिटा सके। हम तो केवल इतना ही कर सकते हैं कि उनके मतभेदों को कम करें और कार्य को इस प्रकार चलाएं कि सारे अल्पसंख्यक संतुष्ट होकर तृप्ति का आस्वादन लें। इस विषय में दो नियम हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। विविध जातियों में ले दे कर कार्य करने की भावना होनी चाहिये और विशेषकर

बहुसंख्यक में तो उदारता के भाव काम करने चाहियें। उन्हें बहुत हिसाब से काम नहीं लेना चाहिये। न ही इस संकुचित दृष्टि से इन बातों पर विचार किया जाना चाहिये। जब कुछ अल्पसंख्यकों को बहुत ही हीन दशा (disabilities) में कार्य करना पड़ रहा हो और वे यह अनुभव भी कर रहे हों कि देश के राजकार्य में उन्हें अपना उचित भाग नहीं मिल रहा, तो ऐसी उचित शर्तें लगा देनी चाहियें जिससे कि उनका संतोष हो सके। यदि बहुसंख्यक यह भी अनुभव करें कि कोई अल्पसंख्यक विशेष अपनी बात को पूरा करवाने के लिये जिस विधि की मांग कर रहा है वह ठीक नहीं, तो भी मैं कहूंगा कि ''दो और लो'' की भावना से प्रेरित होकर बहुसंख्यक को उदारता का ही व्यवहार करना चाहिये। श्रीमान्! मैं आपके द्वारा परिषद् के सदस्यों से बलपूर्वक प्रार्थना करूंगा कि वे मेरी इस बात को विशेषकर ध्यान में रखें। उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि यदि बहुसंख्यक ने यह उदारता कभी प्रदर्शित की तो वे घाटे में न रहेंगे। आखिर को बहुसंख्यक बहुसंख्यक ही हैं और अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक ही। यदि कोई ऐसा तरीका भी प्रस्तुत किया जाये जिससे किसी अल्पसंख्यक विशेष को अपनी जनसंख्या अथवा किसी अन्य चीज के अनुसार प्राप्त होने वाले भाग से कुछ अधिक भी मिले तो भी बहुसंख्यक को तो ''दो और लो'' की भावना से प्रेरित होकर उदारता का ही व्यवहार करना चाहिये। यह है वह भावना जिससे प्रेरित होकर इस प्रश्न पर विचार करने के लिए मैं परिषद् से प्रेरणा कर रहा हूं। मुझे ये आरंभिक शब्द इसलिए कहने पड़े हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जनता का एक बड़ा भाग पृथक चुनाव के बहुत विरुद्ध है। अल्पसंख्यक समिति और परामर्श समिति की रिपोर्ट में भी यह बात मिलती है। वे लोग पृथक चुनाव को अथवा पृथक चुनाव विधि को अंगीकार करना बहुत ही खतरनाक समझते हैं।

अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारी जातियां और कई एक अल्पसंख्यक हैं और उनकी सत्ता को मिटा देना कभी संभव नहीं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यह हमारा कर्तव्य है, यह उन लोगों का कर्तव्य है कि जो विधान बना रहे हैं कि वे उसे इस प्रकार का बनाएं कि जिसमें ऐसी शर्तें हों कि सारे ही उनसे संतुष्ट रहें।

अब अगली बात यह है कि इन विचारों को कार्यरूप में कैसे परिणत किया जाये। श्रीमान्! मेरा निवेदन है कि जब तक यह बात मानी जाती है कि अल्पसंख्यकों को संतुष्ट रखना चाहिये और कि उनके विचार और उनकी शिकायतों को धारासभाओं में विचार-विनिमय करते समय प्रभावोत्पादक विधि से रखा जाना चाहिये तो मेरा कहना है कि इसका केवल मात्र हल यह है कि उस व्यक्ति को जो कि अल्पसंख्यक का पूर्णतया प्रतिनिधि हो, हथिया लिया जाये। इसके विपरीत, यदि

[श्री बी. पोकर साहब बहादुर]

आप यह कहें कि उस जाति को जाति के रूप मे जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं और कि यह लेखनी की एक घसीट से पूरा हो जाये तो श्रीमान्, मेरी यहां अवश्य ही कोई सुनवाई न होगी। परंतु यह आवश्यक है और यह आपको भी मानना पड़ेगा कि यहां पर ऐसी जातियां हैं कि जिनमें मजहब अथवा किसी और बिना पर बड़े गहरे मतभेद हैं। ऐसी जातियों के लिये हमारा यह कर्तव्य है कि विधान में कोई न कोई ऐसी शर्तें रखें कि जिससे उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। और किसी जाति को प्रतिनिधित्व देने की सबसे उत्तम और प्रभावशाली विधि यह ही है कि कोई ऐसा तरीका बना दिया जाये जिससे उस जाति के सबसे उत्तम पुरुष को जो कि उस जाति का प्रतिनिधित्व कर सके तथा उसके भावों को ठीक तरह से व्यक्त कर सके, धारा-सभा के लिए चुना जाए। केवल मात्र यही एक कसौटी है जिसके आधार पर हमें इस प्रश्न पर विचार करना है। अब सवाल यह है कि इस बात को पूरा करने के लिए पृथक चुनाव की आवश्यकता है कि नहीं। यह बात तो समिति की रिपोर्ट में भी मानी जा चुकी है कि जातियों के हितों को धारा-सभाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। अब केवल भेद यह रह जाता है कि वह ध्येय को किसी और प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं और मेरा कहना है कि उस प्रकार से कदापि सफलता नहीं हो सकती। इस विषय में अल्पसंख्यक समिति का कथन है कि ''उस अल्पसंख्यक विशेष के लोगों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए जाएं'', परंतु यह किए जाएंगे संयुक्त चुनाव विधि से ही। इस प्रकार तो वह व्यक्ति ही चुना जा सकेगा जिसकी पीठ पर कि बहुसंख्यक का हाथ होगा; चाहे वह बहुसंख्यक का अपना ही आदमी क्यों न हो जिसे कि अल्पसंख्यक के भेष में खड़ा किया गया हो। ऐसे उदाहरण हैं जबकि असहयोग के जमाने में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिल करके मखोल उड़ाने के लिए ही धारा-सभाओं का बहिष्कार किया था। ऐसे अवसर पर किसी अनपढ़ चूड़े या भंगी अथवा ऐसे ही किसी और व्यक्ति को किसी जाति विशेष की ओर से चुनाव में केवल सारी बात का हास्य उड़ाने के लिए खड़ा किया जाता रहा है। अगर उन दिनों में ऐसा किया जा सकता था तो मैं पूछता हूं कि आजकल क्या इसकी पुनरावृत्ति न होगी? इसमें कोई संदेह नहीं कि सारा मामला इस बात पर निर्भर है कि प्रश्न पर किस दृष्टिकोण से विचार किया जाये। परंतु मेरा निवेदन है कि एक व्यक्ति का किसी जाति विशेष में से होना इस बात की कोई जमानत नहीं कि उसके विचार उस जाति की तरजमानी करते हैं। किसी जाति का यदि उचित रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है तो यह आवश्यक है कि वह जाति अपने सदस्यों में से स्वयं कोई उचित व्यक्ति चुने। यही मेरी आपसे

प्रार्थना है। यदि कोई अयोग्य मनुष्य अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जो जाति की आवश्यकताओं को समझने की सामर्थ्य भी नहीं रखता, प्रतिनिधि चुना जाना है, तो उससे केवल इसलिए कि वह उस जाति विशेष से संबंध रखता है, उस जाति की तरजमानी की कोई आशा नहीं की जा सकती। श्रीमान्! यह है वह कसौटी जिस पर हमें इस रिपोर्ट को परखना चाहिये और देखना चाहिये कि इससे वह नियम जिसके द्वारा विविध जातियों को धारा-सभाओं में प्रतिनिधित्व देना अभीष्ट था, पूरा होता है कि नहीं। इसके विपरीत यदि अल्पसंख्यक की सत्ता और उसके प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के अधिकार से ही इंकार किया जाना है, तो इस विषय में मुझे और कुछ नहीं कहना। परंतु मैं आपसे इस प्रश्न को उदारतापूर्वक निपटाने की प्रार्थना करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को उन दिनों का स्मरण कराना चाहता हूं जब 1916 की लखनऊ-संधि (Lucknow Pact) पर चलते हुए पृथक निर्वाचन विधि को स्वीकार कर लिया गया था। यह इस बात का ही परिणाम था कि 1920 के असहयोग के दिनों में दोनों जातियां भाइयों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी थीं। श्रीमान्! यदि दोनों जातियों के उन दिनों के भाई-बहिनों के से व्यवहार द्वारा, हमें आज मिलने वाली स्वतंत्रता की नींव डाली जा सकती थी, तो मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि क्यों आज के बाद भी भाई-बहिनों के समान मिलकर हम फिर इस नियम पर अमल न कर सकेंगे और एक ही परिवार के सदस्यों की भांति कार्य करते हुये हम संसार भर की जातियों में क्यों न भारत को गर्वान्वित बना सकेंगे? भारत को संसार भर की जातियों में अग्रगण्य बनाना हमारा काम है और यह तभी हो सकता है, यदि हम सहानुभूति और मित्रभाव से व्यवहार करें। 1920 के असहयोग के जमाने में जिन भावों से प्रेरित होकर हम कार्य करते थे, उन्हें सामने रखकर मैं कह सकता हूं कि आज भी हम उन भावनाओं से काम कर सकते हैं। श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि मन में पूर्वभासित इस भावना को कि देश की सारी बुराइयों की जड़ पृथक् निर्वाचन-विधि ही है, एक तरफ रखकर इस परिषद् के सदस्यों को एक उदाहरण कायम करना चाहिये। यह भावना ठीक है या अशुद्ध, मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता। मेरी तो आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप माननीय प्रस्तावक महोदय के इस कथन का, कि पिछली बातों को भुला देना चाहिये और भविष्य में मित्रभावों से प्रेरित होकर व्यवहार करना चाहिये, समर्थन करें।

मुझे एक और बात पर भी जोर देना है। धारासभा का उद्देश्य सारे देश और सब जातियों के लिये कानून बनाना है। अतः यह कानून बहुत आवश्यक है कि ऐसी धारासभाओं में सभी जातियों की आवश्यकताओं को पेश किया जाये। मैं निवेदन

[श्री बी. पोकर साहब बहादुर]

करता हूं कि इन हालात में, जैसे कि इस समय देश में प्रचलित हैं, एक विशेष जाति के सदस्यों के लिये, उदाहरणार्थ गैर मुस्लिमों के लिये, यह बहुत कठिन होगा कि वे मुस्लिम जाति की आवश्यकताओं को समझ भी सकें। मेरा कहना है कि यदि कोई गैर मुस्लिम पूरा प्रयत्न भी करे तो भी वह महसूस करेगा कि मुस्लिम जाति की भावनाओं की वह तरजमानी नहीं कर सकता। कारण यह है कि जब तक वह उस जाति से संबंधित न हो वह उस जाति विशेष की वास्तविक आवश्यकताओं का पता लगाने, समझने और उनकी कदर करने की स्थिति में ही नहीं होता। उनके लिये आवश्यकताओं को ठीक-ठीक समझना प्रायः असंभव ही है। इस संबंध में हमेशा ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते रहे हैं और विशेषकर के आगे को भी होंगे कि जिनके विषय में जातियों के लिये धारासभाओं में आवाज उठाना जरूरी होगा। जैसा कि दान में दी हुई सम्पत्तियां, विवाह, संबंध-विच्छेद (divorce) तथा समाज के लिये और भी अन्य महत्त्वशाली बातें। मैं परिषद् से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय में तनिक विपरीत दिशा में भी सोचने का कष्ट करे। यदि मुसलमानों को धारासभा में हिंदुओं की शिकायतों की तरजमानी करनी हो और उन्होंने ही उदाहरणार्थ मानो मंदिर प्रवेश तथा विवाह संबंधी रिवाजों इत्यादि के रास्ते में पेश आने वाली कठिनाइयों को हटाने के निमित्त प्रभावोत्पादक उपाय सोचने हों, तो जरा ख्याल दौड़ाइये इसे हिंदू किस प्रकार महसूस करेंगे? मैं मानता हूं कि दोनों ओर ही, हिन्दू और मुसलमान दोनों ही की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से जानने वाले मिल जाते हैं पर उनकी गिनती बहुत थोड़ी है। इसीलिये ही तो मैं कहता हूं कि नियम यह होना चाहिये कि किसी जाति विशेष के सबसे उत्तम आदमी को ही उसके विचारों की तरजमानी करने के लिये चुना जाये। और यह मकसद पृथक निर्वाचन विधि के बिना पूरा नहीं हो सकता।

मैं आपके सामने एक और बात भी रखना चाहता हूं। वह यह है कि पृथक् निर्वाचन विधि रूपी संस्था का उपभोग मुसलमान इस शताब्दी के प्रथम दस वर्षों से ही कर रहे हैं। अर्थात् इस सुविधा से लाभ उठाते हुये उन्हें आज 40 वर्ष हो गये हैं और आज जब कि स्वतंत्रता प्राप्त की जा चुकी है, इसका खात्मा किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इससे मुसलमानों में ये भाव जागृत होंगे कि उन्हें इस विकट समय में पूर्व प्रचलित संस्थाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है और यह कि उनकी अवहेलना की जा रही है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। मैं सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रकार की स्थिति आने ही न दें और भारतीय मुसलमानों में इन भावों को उत्पन्न न होने दें।

एक और बात जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहता हूं, यह है कि इस देश में मुसलमान सुसंगठित हैं। देश के सामूहिक हित की दृष्टि से यह बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्येक महत्त्वशाली जाति सुसंगठित हो जाये। तभी तो सारे मिलकर देश की भावी राजसत्ता के संबंध में कोई समझौता कर सकेंगे। इस समय मुसलमान शक्तिशाली और सुसंगठित हैं। अतः यदि उन्हें यह महसूस करने पर मजबूर किया गया कि उनकी आवाज की धारासभा में सुनवाई नहीं हो सकती तो वे उद्दण्ड हो जायेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसा अवसर आने ही न दें। आपको पूर्णतया पता है कि इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ध्येयों में बहुत थोड़ा भेद है। इसमें कोई शक नहीं कि केवल थोड़े दिन पहले ही उन दोनों में बहुत बड़े मतभेद विद्यमान थे। परंतु बुद्धिमत्ता से कहो या मूर्खता से अथवा गलत या ठीक तौर पर वे अब मिटा दिये गये हैं। आज इन दोनों बड़ी संस्थाओं में समझौता हो चुका है। वे मौलिक बातें जिन पर कि उनका मतभेद था, अब सुलझाई जा चुकी हैं। अतः इस समय इन दोनों में वस्तुतः कोई भेद नहीं। इस दशा में उन्हें आपस में अवश्य मिल जाना चाहिये, ताकि देश से ध्वंसकारी अंशों का विनाश किया जा सके। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि देश में बहुत से ध्वंसकारी अंश विद्यमान हैं। उनकी सरगर्मियां इस समय विधि और मर्यादा (law and order) के विरुद्ध हैं। प्रांतीय सरकारों ने इन ध्वंसकारी अंशों का विनाश करने के लिये आर्डिनेंस (ordinance) जारी करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। अब मैं इस परिषद् के माननीय सज्जनों से अनुरोध करता हूं कि कांग्रेसी सज्जनों, मुसलमानों तथा दूसरी जातियों को आपस में मिलकर इस प्रकार कार्य करना चाहिये जिससे कि इन ध्वंसकारी अंशों का जिन्होंने कि हमारे महत्त्वशाली देश के इतिहास में इस विकट समय पर सर उठाया है, विनाश किया जाये। इस बात को पूरा करने के लिये ही, यह जानता हुआ भी कि इस बात पर बहुत मतभेद विद्यमान हैं, मैं कहता हूं कि मुसलमानों को पृथक चुनाव का अधिकार देकर हम अच्छा ही करेंगे क्योंकि इस प्रकार से धारा-सभा में उनकी सुनवाई हो सकेगी और वे कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। अन्यथा ये ध्वंसकारी अंश देश के लोगों की रक्षा के लिये आभयन्तर और बाह्य दोनों ओर से एक बहुत बड़ा खतरा बन जायेंगे। मैं इस बात को अधिक स्पष्टता से नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि माननीय सदस्यों ने इस विषय में मेरे कथन को जान लिया है। श्रीमान्, इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष महोदय, मैंने और संशोधनों की भी सूचना दे रखी है। वे परिशिष्ट की किसी न किसी मद से अवश्य संबंधित हैं। अतः उन्हें प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को अभी मैं सुरक्षित रखता हूं।

***अध्यक्षः** अब संशोधन और प्रस्ताव पर बहस होगी।

***श्री एमः अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रासः जनरल): श्रीमान्, पूर्व वक्ता के भाषण से मैं बहुत ही निराश हुआ हूं। मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान प्राप्त कर लेने के बाद हिंदुस्तान में रहने वाले मेरे मुसलमान मित्र अपना व्यवहार बदल लेंगे। मुझे, जब मैं यह सोचने लगता हूं कि उनके लिये इससे अधिक और क्या किया जा सकता था, तो सचमुच अचम्भा होता है। हर मुमकिन तरीके से उन्हें मनाने के लिये जब हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा है। 24 जुलाई, सन् 1923 को जनेवा के स्थान पर अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये तुर्की ने जिस संधि पर हस्ताक्षर किये थे वह इस समय मेरे सामने है। मैं इस संशोधन के पक्षपातियों से पूछता हूं कि दुनिया में कहीं भी स्थित किसी देश के किसी कोने से भी (यदि वे दिखला सकते हों तो) मुझे वे कोई उदाहरण दिखलायें कि जहां पर एक राजनीतिक अधिकार को इस प्रकार स्वीकार कर लिया गया हो जैसा कि हमने यहां पर किया है। मैं परिषद् से प्रार्थना करूंगा कि कृपया वे तुर्की की उक्त संधि के 39वीं धारा (Article) को पढ़ें। यह नहीं कहा जा सकता कि मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिये पिछले कुछ वर्षों में तुर्की से बढ़कर जोर लगाने वाला कोई और मुल्क है। आओ, देखें कि तुर्की में अन्य अल्पमतों को उन्होंने कौन से अधिकार दिये हैं और अपने नागरिकों के लिये दूसरे देशों से उन्होंने कौन से अधिकार मांगे हैं। मेरे पास यहां चित्र के दोनों पहलू हैं। ये दोनों ही संधियां वैधानिक उदाहरण नंबर में 3 छपी हुई हैं। मैं 39वीं धारा (Article) पढ़ता हूं:

''गैर मुसलमान जातियों से संबंध रखने वाले तुर्की के नागरिक तुर्की के मुसलमानों के समान ही नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का उपभोग करेंगे।''

सचमुच उन्हें ये अधिकार प्राप्त हैं। इसका मतलब केवल यह है कि उन्हें बाकी जाति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार प्राप्त है। वे चुनाव में कहीं पर भी और किसी भी ''स्थान'' के लिये खड़े हो सकते हैं और बिना किसी रोक-टोक के किसी भी नौकरी अथवा पद के लिये उम्मीदवार बन सकते हैं। उन्हें सब प्रकार से सारी जाति का विश्वास प्राप्त करने दो। केवल यही एक मार्ग है जिसके द्वारा वे इकट्ठे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन सा उचित मार्ग हो सकता है यह मुझे पता नहीं। इस संबंध में आप मेरे

से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य से पूछ सकते हैं। उनकी शिकायत का बीज 1916 में हमारे द्वारा नहीं अपितु अंग्रेजों द्वारा बोया गया था। आप मुझे आज से कुछ देर पहले का देश का इतिहास दोहराने दीजिये, चाहे इसमें परिषद् का कुछ समय ही क्यों न लग जाये। 1857 में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जंग की। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि उस समय हम अपने देश में देशवासियों का ही राज्य स्थापित करना चाहते थे। चाहे वे हिंदू थे या मुसलमान, इस बात की कोई तमीज न थी। जो जहां थे उनका ही राज देश के विभिन्न भागों में कायम करने का प्रयत्न किया गया था। उन्होंने इस देश को विदेशियों से छुड़ाने और स्वतंत्र करने के लिये मिलकर जंग लड़ी। पाश्चात्य इतिहासकार इसे चाहे कुछ भी नाम दें, परंतु यह था जंगे-आजादी। उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने एक जाति को दूसरी के विरुद्ध प्रयोग करने का प्रयत्न किया। अब कभी हिंदुओं पर कृपादृष्टि होने लगी और कभी मुसलमानों पर। यह ठीक है कि कतिपय माने हुये तथा देश-प्रेमी यूरोप के लोगों ने ही भारतीय राष्ट्र सभा (Indian National Congress) को बनाने का विचार हमारे मन में डाला। बेशक यह ठीक है, परंतु उनके पीछे आने वालों ने क्या किया? पंद्रह वर्ष के थोड़े समय में ही उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता का विचार देश में पूरी तरह घर कर गया है और यह उनके लिये घातक था। इसीलिये 1903 में लार्ड कर्जन ने बंगाल में हिंदू और मुसलमानों को जुदा करना चाहा। परंतु इसकी प्रतिक्रिया इतनी प्रबल हुई कि कोई भी मनुष्य स्त्री और बच्चा तक भी बंगाल प्रांत के विभाजन को मलियामेट किये बिना दम नहीं लेना चाहता था। इस तरह हम पुनः एक हो गये। परंतु पृथक चुनाव-विधि के कारण आज हम पुनः जुदा-जुदा हैं। श्रीमान्, मुझे बताया गया है कि एक दिन एक यूरोपवासी ने, जिसका कि इस देश में पृथक चुनाव विधि जारी करने में काफी हाथ था, इंगलिस्तान में अपने किसी मित्र को लिखा कि वह संसार में सबसे उत्तम वस्तु को प्राप्त करने में सफल हो गया है। और वह वस्तु है हिंदुओं और मुसलमानों का जुदा किया जाना। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू और मुसलमानों में मतभेद विद्यमान हैं। एक पूर्व की ओर दूसरा पश्चिम की ओर मुंह करके अपनी प्रार्थना करता है। परंतु इसके साथ ही दोनों को इकट्ठा रखने वाले संयुक्त बंधन भी तो हैं। मुहम्मद ने विविध लड़ाके अंशों (elements) को अपने झंडे के नीचे लाने के लिये मजहब का आरंभ किया। पुराने जमाने में मजहब मिलाने वाली एक शक्ति हुआ करती थी। आज भी कोई संयुक्त प्लेटफार्म होना चाहिये, जहां सारे ही इकट्ठे हो सकें। मैं उस दिन की ओर देख रहा हूं जब सारी मानव जाति एक हो जायेगी। जब जाति और मत के सब भेदभाव मिट जायेंगे *(तालियां)*। जब बच्चे से यह पूछे जाने पर कि तुम्हारा कौन सा मजहब है, उत्तर देंगे कि: ''मेरा किसी धर्म

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

से कोई संबंध नहीं है, मैं तो केवल भारतीय ही हूं और ऐसा होने में मुझे गर्व भी है।'' मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जब कोई भी भेदभाव न रहेंगे। एक बच्चा भी यह जानता है कि माता और पिता में क्या अंतर है। चाहे बिजली की एक बत्ती सफेद हो और दूसरी लाल, परंतु जो बिजली की लहर उसमें से गुजरती है वह तो एक ही है। इन सारी घटनाओं के मध्य में एक तत्वदर्शी का आना आवश्यक है जो आकर यह कहे कि ''आओ, अब हम ईसा के समय को पुनः पृथ्वी पर लायें''। हमारे अपने इलाके अर्थात मद्रास प्रांत में यद्यपि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, परंतु देश को बांटने वाली इस लहर में उन्होंने भी भाग लिया। क्या आपको उस तबाही की मिसाल दुनिया में मिल सकती है जो कि पंजाब में की जा रही है। इसके लिये चाहे कोई भी जिम्मेदार हो परंतु यह हमारे प्राचीन धर्म और नबी के मजहब पर एक कलंक है। देश में जो कुछ हो रहा है न तो उससे ऋषि और न ही महर्षि, यदि वे देख रहे होंगे तो संतुष्ट हो सकते हैं। क्या अब भी हमारे लिये बुद्धिपूर्वक यह सोचने का समय नहीं आया कि इन सब बातों के लिये कौन जिम्मेदार है। हम सब भाई-भाई हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि पोकर महोदय मेरे से भिन्न हैं। वह तामिल बोलते हैं और मैं भी तामिल ही बोलता हूं। वह हिंदुस्तानी नहीं बोल सकते और मैं थोड़ी-थोड़ी हिंदुस्तानी समझ और बोल सकता हूं। यदि कल को मैं मुसलमान हो जाऊं तो आपके विचार में क्या मैं 'मद्रासी' से कुछ न्यून बन जाऊंगा? दुर्भाग्यवश देश का विभाजन हो चुका है और इस बात के लिये जिम्मेदार व्यक्ति गर्वान्वित हो सकते हैं। आखिरकार यह दो भाइयों में लड़ाई के समान ही तो है। मैं एक वकील हूं और मुझे कई एक ऐसे झगड़ों का पता है जहां छोटे भाई ने बड़े भाई के विरुद्ध अभियोग चलाया हो और जहां बड़ा भाई यह कहे कि छोटा भाई तो मेरे पिता का असली पुत्र ही नहीं। झगड़े की समाप्ति के पश्चात यदि बड़े भाई के घर में कोई विवाह आ जाये तो छोटा भाई उसमें जाने से इन्कार करता है। तब बड़ा भाई कहता है कि 'इसमें शक नहीं कि हममें लड़ाई हुई थी, परंतु यदि मेरा छोटा भाई शामिल नहीं होता तो मैं विवाहोत्सव भी नहीं करता।' इसी तरह संभवतः किसी दिन पाकिस्तान पुनः हमारे पास लौट आये। मेरे मित्र पोकर महोदय के संशोधन का क्या प्रभाव होगा? आप प्रातः मस्जिद में जाते हैं और मैं मंदिर में। परंतु हमें एक संयुक्त वेदी (Platform) बनानी होगी जिस पर कि हम कई बातों के लिये इकट्ठे हो सकें। अगर दुर्भिक्ष पड़ जाये तो हम सबको ही इसका सामना करना पड़ेगा। हमें आशा है कि यदि चुनाव संयुक्त विधि से हुये तो एक दिन ऐसा आयेगा कि जब हम आपस में मिल जायेंगे। संयुक्त चुनाव विधि के

अनुसार एक हिंदू मुसलमानों का और एक मुसलमान हिंदुओं का प्रतिनिधि हो सकता है। मैं मुसलमानों की आपकी अपेक्षा से अधिक तरजमानी करूंगा, क्योंकि मुझे यह ज्ञान रहेगा कि मैं मुसलमान नहीं हूं और इस स्थिति में मैं सर्वदा न्यूनता के भाव से शंकित रहूंगा और इसीलिये आपके हितों की अधिक देखभाल करूंगा। अत: इस बात से लाभ क्यों न उठाया जाये? मेरे मित्र पोकर महोदय कहते हैं कि उन्हें एक अच्छा और ईमानदार प्रतिनिधि चाहिये। इस अच्छाई की क्या परिभाषा है? अच्छाई हिन्दू या मुसलमान होने से नहीं आती। मेरा विश्वास है कि वह एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं, जो मुस्लिम की सफलतापूर्वक सहायता करे। बंगाल के हत्याकांड में हमने यह पूछने की कोशिश ही नहीं की कि कितने हिंदू और कितने मुसलमान मारे गये और आज तक भी हमें इस बात का पता नहीं। अभाग्यवश कई हिन्दू भी यह सोचने लग जाते हैं कि: ''हम भी तो मनुष्य ही हैं। अब जब कि देश का बटवारा हो चुका है तो उनकी रक्षा क्यों की जाये। इस झगड़े को अब समाप्त ही होने देना चाहिये।'' ईश्वर के लिये इस उत्पात को रोकिये। वह मनुष्य जिसको कि मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं, किस प्रकार उनका उचित प्रतिनिधि नहीं हो सकता? यदि एक सांसारिक राज्य के स्थान पर भारत में एक मजहबी राज्य बन जाये, तो भी एक व्यक्ति ही सारे कार्य को चलायेगा, चाहे वह कोई हिंदू पुजारी हो या मुसलमान मुल्ला। इससे अधिक तो और कुछ नहीं हो सकता। अत: इन बातों से हम इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं एक हिंदू हूं और यदि आप मुझे अपना प्रतिनिधि बनने दें तो मैं न्यूनातिन्यून एक बार तो चार वर्ष में आपके पास अवश्य आऊंगा। इसी प्रकार एक मुसलमान को हिंदुओं के पास आना होगा। अन्तत: इस तरह हम एक हो जायेंगे। और यह तभी संभव हो सकता है कि यदि चुनाव संयुक्त विधि से किये जायें। मुझे उसके पास मत (vote) लेने के लिये जाना होगा। यदि मैं उसका प्रतिनिधि न होऊं तो दुनिया का कौन सा बंधन मुझे उससे संबंधित कर सकता है। यथार्थता की दृष्टि से भी मैं अपने उस मित्र से पूछता हूं कि यदि 200 सदस्यों की परिषद् में उसके साथ एक, पांच अथवा बीस सदस्य भी हों तो यह एक मामूली सी बात है। क्या ऐसी स्थिति में वह दूसरों के सहयोग बिना अपना काम चला लेंगे? क्या वह यहां इस्लाम का प्रचार करना चाहते हैं या कुरान का पाठ? क्या मुझे यहां वेद पढ़ने की आज्ञा होगी? इस परिषद् में बहुमत की सहायता के बिना कौन सी बात की जा सकती है? मैं आशा करता हूं कि बहुत शीघ्र ही यहां पर एक सांसारिक राजसत्ता बन जायेगी। क्या आप सांसारिक राजसत्ता निर्माण करने में हमारे रास्तों की रुकावट बनेंगे? क्या आप इतिहास में लिखी घटनाओं से लाभ न उठाओगे? 150 वर्ष पहले अमेरिका क्या था? क्या आप उनके इतिहास से कोई सबक न सीखेंगे? 150 वर्ष पूर्व की

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

बात है कि वे लोग जो अपने देश से निकाले गये थे, वे एस०एस० मेफ्लोवर नामी जहाज में समुद्र के बीच भूमि की खोज में निकले और चलते-चलते पश्चिमी इंडीज (West Indies) पहुंच गये। और वही भूमि अर्वाचीन अमेरिका है। आज आर्थिक क्षेत्रों में वे संसार के स्वामी हैं। वे लोग ही आज यह, वह अर्थात् सब कुछ कर रहे हैं। वे आज हमारे लोगों को दांत साफ करने और मुंह धोने की शिक्षा दे रहे हैं, हालांकि यह बातें हम 5,000 वर्ष पहले ही जानते थे। उन्हें इस बात का भी पता नहीं कि बिना स्नान किये हम भोजन भी नहीं करते। वे आज यहां आकर ये बातें हमें इसलिये बता रहे हैं क्योंकि देश में विकीर्णात्मक शक्तियां काम करने लगी थीं, जिनके कारण वे आगे निकल गये और उन्नत हो गये। क्या इटेलियन, फ्रांसीसी तथा स्पेन के लोग और दूसरे भी अमेरिका महाद्वीप में मिलकर इकट्ठे आये थे? अत: यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक सांसारिक राज्य सत्ता कायम करें। इस विषय में मि० जिन्ना को उद्धृत करना मेरे लिये असंगत न होगा, चाहे विभाजन से पूर्व उन्होंने कुछ ही क्यों न कहा हो। उन्होंने कहा कि: ''मेरा विचार एक सांसारिक राज्य सत्ता कायम करने का है।'' किसी ने पूछा कि मजहबी अथवा सांसारिक (secular)। उसने उत्तर में कहा कि: ''हिन्दू और मुसलमान मेरे लिये एक समान हैं। उन्हें समान अवसर प्राप्त होने चाहियें। मैं दोनों के लिये ही एक संयुक्त राष्ट्र बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं।'' हमारे मुसलमान मित्र जो मि० जिन्ना के भक्त हैं और जिसका वे बहुत मान भी करते हैं, जैसा कि मैं भी करता हूं, इस विषय में उससे भिन्न क्यों सोचते हैं? मैं तो 'अल्पसंख्यक' इस शब्द को ही पसंद नहीं करता। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि मैं इस संशोधन के विरुद्ध हूं।

***श्री बी० दास** (उड़ीसा: जनरल): श्री अध्यक्ष महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस प्रकार बरसों तक जिन बातों पर बहस होती रही हो, उनको ही इस परिषद् में पुन: बहस का विषय बनाने की क्या आप आज्ञा देंगे?

***अध्यक्ष:** मैं श्री बी० दास द्वारा उठाई गई वैधानिक आपत्ति की कद्र करता हूं। यह ठीक है कि प्रस्ताव का विषय ऐसा है कि उस पर बोलते हुये सब बातें बीच में कही जा सकती हैं, परंतु फिर भी मैं आशा करता हूं कि सदस्य बोलते समय अपने आपको प्रस्ताव के विषय तक ही सीमित रखेंगे। मैं यह भी आशा रखता हूं कि सदस्य घड़ी की ओर भी ध्यान रखेंगे। श्री आयंगर ने तो पहले ही 20 मिनट से अधिक ले लिये हैं।

***श्री एम॰ अनन्तशयनम् आयंगरः** हां श्रीमान्, यह पहला अवसर है कि मैं इस विषय पर, जो कि हमारे मन में सबसे अधिक महत्त्वशाली है, बोल रहा हूं। पंजाब की घटनाओं की ओर संकेत न करना कोई आसान नहीं। 165 नागरिक अफसरों में से जो यहां से रेलगाड़ी द्वारा कराची भेजे गये थे, केवल दो ही वापिस आये हैं। वे भारत में लौट आये हैं। यह खबर कल के हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। देहली के राज-कार्यालय (Secretariat) के शेष 163 अफसरों का क्या बना? उनकी किस्मत का क्या बना, यह अभी तक पता नहीं लग सका। मैं 20 मिनट तो क्या, ऐसी घटनाओं पर 20 वर्ष से भी अधिक रोता और चिल्लाता रहूंगा। मैं इसका कोई हल सोच रहा हूं। मैं अपने मित्र पोकर महोदय से प्रार्थना और अनुरोध करता हूं कि वे एक सांसारिक राजसत्ता का निर्माण होने दें। संस्कृति, भाषा और शिक्षा संबंधी विषयों के लिये बहुत शर्तें बनाई जा चुकी हैं; और यदि फिर भी कोई रुकावट पेश आये तो आओ, मिल कर उसे पार करें। किसी भी एक जाति और व्यक्ति का हित किसी दूसरे के लिये कुर्बान नहीं होने दिया जाना चाहिये।

राजनैतिक विषयों के संबंध में भी मुझे यही कहना है कि आओ, मिल-बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझा लें। हमने अपने मतभेद दूर कर लिये हैं और अब हम यदि सांसारिक राजसत्ता का निर्माण कर सकें तो दुनिया में हम सबसे ऊंची जाति की हैसियत से सिर ऊंचा कर सकेंगे। इन दिनों हम पाश्चात्य संस्कृति का ख्याल करते रहे हैं। बौद्धिक ज्ञान का सूर्य जो कभी पूर्व से उदय हुआ था, आज दुर्भाग्य से अस्त होकर पश्चिम में पहुंच गया है। आओ, इस सूर्य का हम पुनरुत्थान करें। आओ, हम इस सूर्य का उदय पूर्व में पुनः पहले से भी अधिक देदीप्यमान अवस्था में करायें। इन शब्दों के साथ मैं पोकर महोदय तथा उनके साथियों से, जिन्होंने कि यह संशोधन प्रस्तुत किया है, प्रार्थना करता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लें और सर्वसम्मति से मिलकर संयुक्त चुनाव विधि के हक में फैसला करें। *(तालियां)*

***अध्यक्षः** मैं अब श्री महावीर त्यागी को भाषण देने के लिये बुलाता हूं। मुझे आशा है कि वह विषय पर रहते हुये केवल थोड़ा ही बोलेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले मेरे द्वारा कहे हुये शब्द वह सुन ही चुके हैं।

श्री महावीर त्यागी (संयुक्त प्रांतः जनरल): *[मुझे खेद है कि पूर्व वक्ता ने आपको चकित कर दिया है।]

[श्री महावीर त्यागी]

सभापति जी, पोकर साहब ने जो तरमीम हाउस के सामने पेश की है, मैं उसका विरोध करने के लिये आया हूं। और जैसा कि आपका हुक्म है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा; पर मैं हाउस को इस सवाल पर गौर करने से पहले यह याद दिलाना चाहता हूं कि सैपरेट इलेक्टोरेट का तजुर्बा हमारे मुल्क ने बहुत ज्यादा कर लिया है। हिन्दू और मुसलमान जो यहां हैं, वे सब इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यह जहर का इंजेक्शन अंग्रेजों ने, जो हमारे पर हुकूमत करते थे, डाला था।

***श्री बी० पोकर साहब बहादुर:** श्रीमान्जी, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अंग्रेजी भाषा से खूब परिचित हैं। कुछ भी हो, यदि माननीय सदस्य अंग्रेजी में अपना भाषण दें तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूंगा, क्योंकि तब ही मैं उन्हें समझ सकता हूं।

***श्री महावीर त्यागी:** मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं, परंतु मेरी अंग्रेजी व्याकरण और मुहावरे की दृष्टि से शुद्ध न होगी, क्योंकि यह मेरी अपनी भाषा नहीं। इसलिये यदि आप इस प्रकार की अंग्रेजी भाषा सुन सकते हों तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं।

श्रीमान्! जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया तो जुदा होने के यह विचार उन्होंने ही हमारे अंदर दाखिल किये। और वे इसमें रहे भी सफल। उन्होंने ही देश में यह विष बोया जो आज इतना व्याप्त हो गया है। उन्होंने हमें सांप्रदायिक रूप में हिंदू तथा मुसलमान होने का अनुभव करा दिया है। उन्होंने इस विष-बीज का हमसे ही सिंचन करवाया और हमने भी पानी के स्थान पर इस बीज को अपने खून से सींचा। आखिर को यह खेती पक कर तैयार हो गयी और अब हम इस विषैली खेती के फल भुगत रहे हैं। उनकी कूटनीति का इस प्रकार तीव्र अनुभव करके आज जब कि नये सिरे से कार्य आरंभ किया जा रहा है और भावी संतानें तथा अपनी शांति और सुख के लिये विधान बनाया जा रहा है, यदि हम खड़े होकर पुन: उस विषैले टीके से ही शुरू करने की बात कहें, तो मैं इससे कदापि सहमत नहीं हो सकता। हमने इसका काफी परीक्षण कर लिया है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, आज हम अपने देश की सीमा पर सभ्यता के इतिहास में अनहोनी अराजकता और रक्तपात के रूप में इस विषैली खेती के फल भुगत रहे हैं। आज जब यहां से सौ मील की दूरी पर स्थित स्थान भी सुरक्षित नहीं है, क्या यह समय नहीं कि हम पहचानें कि यह सब उत्पात

उस जुदा रहने की प्रवृत्ति का परिणाम है जो कि अंग्रेजों ने हममें उत्पन्न की? अब जब कि हमने अंग्रेजों को सात समुद्र पार फेंक दिया है तो क्या यह अचम्भे की बात नहीं कि हमें फिर उसी जुदा रहने की प्रवृत्ति को अपनाने और बनाये जाने वाले विधान में इस विष को दाखिल करने के लिये कहा जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि सामूहिक रूप से देश इसके विरुद्ध है। मेरा अपना तो यह विश्वास है कि सम्पत्ति और राजनीति दोनों का ही पूरी तरह से सामाजिक-करण कर दिया जाना चाहिये। मैं सम्पत्ति का सामाजिक-करण किये जाने में यकीन रखता हूं। मैं विशुद्ध प्रजातंत्र में पूर्ण विश्वास रखता हूं। मैं चाहता हूं कि जनता को यथार्थ रूप से प्रतिनिधित्व मिले। यथार्थ से मेरा मतलब यह है कि किसी को न ही पासंग (weightage) दिया जाये, न ही किसी की रियायत की जाये और न ही किसी जनसमुदाय या व्यक्ति की उचित सुविधाओं की अवहेलना हो। किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित किये बिना सबको ही स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। साथ ही साथ केन्द्रीय तथा प्रांतीय धारासभाओं में सभी लोगों के स्वतंत्र विधि से प्रतिनिधि जाने चाहियें। यदि हम किसी के रास्ते में रुकावटें डालें अर्थात् कुछ लोगों के रास्ते को तो रोकें और दूसरों को सुविधायें दें, तो इसका मतलब यह होगा कि जन-सत्ता (Democracy) इतनी वास्तविक और साफ नहीं है जितनी कि एक विशुद्ध लोकराज में होनी चाहिये। जनता के किसी भाग को मजहबी आधार पर मत प्रदर्शन का अधिकार देना एक ऐसी बात है जो कि संसार की समझ में नहीं आती। आखिर को हम यहां मजहब के लिये कानून बनाने नहीं आये हैं। हम यहां पर ऐसे कानून बनाने के लिये आये हैं कि जिनको सारे ही देश को सामने रख सर्वत्र शांति स्थापित की जा सके। यहां कुछ लोगों के विरुद्ध और कुछ लोगों के हक में कानून बनाने की बात नहीं। यहां जनता के एक भाग अथवा दूसरे के हितों पर ही विचार नहीं करना; यहां तो विधान बनाते समय सारे ही देश का ख्याल रखा जाना है। अत: मजहबी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना बहुत ही हास्यप्रद है। आज तक हम ऐसा करते रहे हैं, परंतु आगे को यह न किया जा सकेगा, क्योंकि भावी विधान कोई मजहबी प्रकार का न होगा। कोई भी राजसत्ता इतने मजहबों, फिरकों और समुदायों का संघ-रूप नहीं हो सकती। देश का कानून और शासन उन्हीं को सौंपा जा सकता है जिसमें देश का सबसे अधिक विश्वास हो और वही लोग इसे सुचारू रूप से चला भी सकते हैं। साधारणतया देश का शासन सबसे बड़े राजनैतिक दल के ही हवाले किया जायेगा। और यह नियम हर जगह माना भी जा चुका है। अल्पसंख्या वाले लोग 'अल्पसंख्यक' ही रहने चाहियें। और अल्पसंख्यकों के सामने तो केवल एक ही मार्ग है और वह है कि वह बहुसंख्यकों के प्रति सर्वदा भक्तिमान रहकर उसे

[श्री महावीर त्यागी]

सहयोग दें और इस प्रकार बहुसंख्यकों का विश्वास प्राप्त करें। और भी कई रास्ते तो हैं परंतु मैं न उनके पक्ष में हूं और न ही उनकी सिफारिश कर सकता हूं, क्योंकि उनका अनुसरण करने से अल्पमत की समाप्ति कर दी जाती है। हमारी सीमा के दूसरी ओर आज यही किया जा रहा है। आप मुझे यहां यह कहने की आज्ञा देंगे कि हम देश के उस भाग से संबंधित हैं कि जिसने आरंभ से ही देश के प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक व्यक्ति के जान और माल की जमानत दी हुई है। हमने अपनी राजनीति का आधार प्रेम और सच्चाई बनाया है। परंतु इसके विपरीत हमारे पश्चिम में राजनीति को डर और घृणा पर आश्रित किया जा रहा है। हम अल्पमतों को परे फैंकने या उन्हें समाप्त करने अर्थात् उन सबको कत्ल करने में विश्वास नहीं रखते। हम तो परिवर्तन के मानने वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम उन सबको एक ही पक्ष में ले आयेंगे। हम समझते हैं कि अल्पमत आखिरकार एक इकाई में परिणत हो जायेंगे और वह इकाई लोगों का विशुद्ध संगठन होगा जिसे प्रजातंत्र भी कहा जा सकता है। हम न्याय द्वारा अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों में घुला-मिला दें। हम इस देश में न्याय के आधार पर राज करना चाहते हैं और इसी आधार पर हम इसका शासन चलायेंगे। इन अल्पमतों की सत्ता को पृथक स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस देश के शासन के संबंध में यह माना जाये कि केवल मात्र न्याय को आधार मानकर वह चलाया जायेगा तो अल्पमत और बहुमत का तो वहां कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहां तो सारे व्यक्ति एक समान समझे जायेंगे। जहां तक राजसत्ता का संबंध है, हम मजहबों की सत्ता मानने के लिये तैयार नहीं। मुझे बहुत अचम्भा होगा यदि मेरे वे मित्र जिन्होंने अल्पमतों के लिये 'पृथक चुनाव' का सुझाव प्रस्तुत किया है हिंदुस्तान के एक बड़े नेता के इन शब्दों की कद्र करेंगे। मि॰ जिन्ना ने पाकिस्तान विधान-परिषद् के सामने भाषण देते हुये कहा कि: ''आज हम सब इस मौलिक सिद्धांत को सामने रखकर कार्यारम्भ कर रहे हैं कि हम सारे के सारे एक ही राजसत्ता के नागरिक हैं—और नागरिक भी ऐसे कि जो सब आपस में बराबर हों—हम इस सिद्धांत को अपना आदर्श मानकर सर्वदा सामने रखेंगे। और क्योंकि मजहब तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी विश्वासमात्र ही है, अत: कुछ समय के पश्चात् आप देखेंगे कि राजनैतिक अर्थों में न हिन्दू हिन्दू रहेंगे और न मुसलमान मुसलमान।'' ये हैं वे शब्द जो कि भारत के एक भाग के गवर्नर-जनरल ने कहे। श्रीमान्, वह यहां पर सबसे बड़े सांप्रदायिक मनुष्य के रूप में माना जाता था। परंतु ज्यों ही उसने एक राजसत्ता का कार्यभार संभाला, या यों कहिये कि ज्यों ही उसने एक सांप्रदायिक राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली, अर्थात् ज्यों ही

एक बड़े देश का, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहते हैं, शासन उसे संभालना पड़ा तो वह भी एकदम इस प्रकार बोलने लग पड़ा। यह सब कोई जानते हैं कि उसका राज्य एक मुसलमानी राज्य है और वे उसके मुसलमानी होने में गर्व अनुभव करते हैं और वे बड़े अभिमान से इसे पाकिस्तान पुकारते हैं। उसी राज्य में यह महोदय साफ कह रहे हैं कि राजसत्ता मजहब का कोई खयाल न रखेगी। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति ही होगा और हिन्दू, जहां तक राजनैतिक अधिकार और सुविधाओं का संबंध है, अपना हिन्दूपन खो बैठेंगे। श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि वे भी जनता की एकता में विश्वास रखते हैं। तो फिर हम क्यों अपनी राजनीति में जुदा रहने की इस प्रवृत्ति को दाखिल होने दें? श्रीमान्, एक और स्थान पर भी उक्त बड़े नेता ने कहा है कि ''आपको पाकिस्तान राज्य में अपने धार्मिक मंदिरों में जाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। आप किसी भी मजहब, जाति अथवा मत को मानें, राजकार्य का इससे कोई वास्ता नहीं।'' श्रीमान मेरा निवेदन है कि विधान-निर्माण राजकार्य है और मुसलमानों का इससे कोई वास्ता नहीं। वे यहां पर इसलिये हैं कि वे भारत के नागरिक हैं। हम सब एक कौम हैं जो न्याय के लिये खड़ी है। हम इस प्रकार के कानून बनायेंगे जो अन्याय के विरुद्ध जमानत हों और हम किसी भाग की पृथक् सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। श्रीमान्, यह संशोधन उन उच्च सिद्धांतों के अनुकूल नहीं, जिन्हें मान लिया गया है और जो पहले प्रस्तावों के रूप में पास किये जा चुके हैं।

अब कुछ रिपोर्ट के बारे में। मैं यह कहता हुआ प्रसन्नता अनुभव करता हूं कि यह प्रायः सर्वसम्मत है। यद्यपि मैं अभी तक ''स्थानों'' की ''सुरक्षा'' के सिद्धांत के साथ सहमत नहीं हो सका और क्योंकि हम इस समय अल्पमतों को प्रतिनिधित्व देने के लिये एक अस्थायी प्रबंध कर रहे हैं, इसलिये मैं आपके रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहता। संभवतः यह उनकी उन आशंकाओं को कि उनकी इच्छाओं की ओर ध्यान न दिया जायेगा, शांत करने के लिये हैं। परंतु मैं इस बात को नहीं जान पाया कि उन्हें साधारण ''स्थानों'' पर खड़ा होकर चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता क्यों दे दी गई है। प्रत्येक मनुष्य यह जानता है कि सुरक्षित स्थानों के रूप में अपने उचित भाग को प्राप्त कर लेने के पश्चात् चुनाव में वे किसी ''साधारण स्थान'' पर कदापि जीत नहीं सकते। भविष्य में उनकी हारें इस सुरक्षा-वाक्य-खंड (reservation clause) को हटाने के लिये पेश की जाया करेंगी। फर्ज करो कि एक उम्मीदवार किसी ''साधारण स्थान'' पर खड़ा होकर चुनाव लड़ता है, तो किसी हिन्दू से यह आशा लगाना कि वह अपना मत (Vote) किसी मुसलमान को देगा और खास करके पंजाब प्रांत में, यह अत्यंत ही असंभव है। कोई भी

[श्री महावीर त्यागी]

उस उम्मीदवार को मत (Vote) न देगा। हालात इस समय कुछ ऐसे ही हो गये हैं। और यह भी उस पृथक् चुनाव विधि का परिणाम है जिसका कि हमें काफी तजुरबा हो चुका है। अल्पमत के उम्मीदवारों को ''साधारण स्थानों'' पर चुनाव के लिये खड़े करना उनकी हंसी उड़ाने के तुल्य होगा। श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि हमें तो चुनाव की एक विधि को ही अपनाना चाहिये और वह है संयुक्त विधि। अल्पमतों को दस वर्ष के लिये रियायतें दिये रखना भी सिद्धांतों के सर्वथा अनुकूल नहीं। मैं समझता हूं कि हम काफी झुक चुके हैं। मुझे डर है कि यह समझौता भी कहीं व्यर्थ ही न सिद्ध हो। इससे भी कहीं बुरे परिणाम न निकलें। परंतु इस समझौते के होते हुये भी मैं समझता हूं कि रिपोर्ट बहुत अच्छी है और हमें समिति के सदस्यों का इस रिपोर्ट के लिये जो कि प्रायेण सर्वसम्मत है और इस समय परिषद् के सामने पेश की गई है, धन्यवाद करना चाहिये। हमें उन पर गर्व है और साथ ही हमें संयुक्त चुनाव-विधि पर भी जिसकी कि हम देश से सिफारिश कर रहे हैं, अभिमान है। मैं आशा करता हूं कि ये प्रस्ताव (proposals) इसी रूप में स्वीकार कर लिये जायेंगे।

***श्री टी॰ प्रकाशम्** (मद्रास: जनरल): तथाकथित अल्पसंख्यकों के बहुत-से नेताओं ने समिति के माननीय सदस्यों और उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल को उस उदारता के लिये जो कि बहुसंख्यकों ने इस विषय में दिखाई है, धन्यवाद और बधाई दी है। श्रीमान्, मैं कहता हूं कि उनको धन्यवाद तो दिया जाना चाहिये, परंतु प्रदर्शित उदारता के लिये नहीं अपितु कर्तव्यपूर्ति के लिये जो कि उन्होंने ऐसा करके की है। श्रीमान्, समिति के अध्यक्ष की हैसियत से आपने तथा समिति के सदस्यों ने कोई उदारता तो दिखलाई नहीं। हां, यह तो बहुसंख्यकों का एक कर्तव्य था जो कि आज तक पूरा नहीं किया जा सका था; जिसे आपने आज पूरा कर दिया है। इन अल्पसंख्यकों को अब तक कायम रहने और परिवर्धित होने की पूरी आजादी रही है, और आज हालत यह हो गई है कि सांप्रदायिकता के विष ने जो कि इतनी देर से अपना काम करता रहा है, आज हमारा गला रोंध दिया है। यह सब कुछ बहुत पहले ही रोका जा सकता था। श्रीमान्, हम इस समय बहुमत द्वारा किये गये पापों और न किये गये सत्कार्यों की सजा भुगत रहे हैं। श्रीमान्, यह बहुमत का कर्तव्य था कि वह जुदा होने की प्रवृत्ति को न बढ़ने देता ताकि अल्पमतों की जुदा हस्ती उत्पन्न ही न होती। अब वे सारे इकट्ठे कर दिये गये हैं, जैसे कि कभी पहले वे हुआ करते थे। सब जानते हैं कि यह वह देश है कि जहां आरंभ में केवल एक ही धर्म, एक ही ईश्वर और

पूजा का प्रकार भी एक ही था। ये सारी पिछली बातें बाद में धीरे-धीरे उत्पन्न हुईं। जरा इन मजहबों की जो कि प्रचलित हो रहे हैं, उत्पत्ति के तिथिक्रम को तो देखिये। उदाहरणार्थ ईसाई मत को ही लें और उस समय को ध्यान में रखें जब कि इसकी उत्पत्ति हुई थी। फिर मुसलमानी मजहब को लें और उसकी उत्पत्ति के समय को ध्यान में रखें। जब ये मजहब अभी उत्पन्न नहीं हुये थे तो संसार की क्या हालत थी। दो हजार वर्ष और तेरह सौ वर्ष से पहले संसार में ऐसी बातें न थीं जैसी कि आजकल प्रचलित हैं।

परंतु ये मजहब आज के दुखों का न तो कारण बन सकते हैं और न ही वास्तव में वे हैं ही। मैं उस समय मुलतान में ही था जबकि सबसे पहला हिन्दू-मुस्लिम दंगा वहां हुआ। तब से आरंभ होकर इतने लंबे अरसे तक साल-साल के अंतर से ये दंगे अभी तक होते ही रहे हैं और आज तो स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है। यह तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जो कि बहुत ही पहले रोक दी जानी चाहिये थी। आखिर को इन सब बातों का कारण क्या है? मजहब इनका कारण नहीं हो सकता। पंजाब में जो आज कत्ल और जुर्म हो रहे हैं ये केवल मजहबी मतभेद के कारण से नहीं। तथाकथित मजहब से भी बढ़कर जो बात इन दंगों के लिये जिम्मेदार है, वह है इच्छा और वह भी किसी और वस्तु की नहीं अपितु लाभ प्राप्ति की, या उच्चपद प्राप्त करने की या दूसरे की सम्पत्ति को हथियाने की। यह है असली बात जो कि आज सबसे अधिक बलशाली बन गई है। श्रीमान्, महात्मा गांधी के देश में आने के पश्चात् के 27 या 31 वर्ष तक के हमारे संघर्ष को सामने रखते हुये मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। पहले ही वर्ष से या यूं कहो कि दूसरे वर्ष से सारे मामलों ने हिंसा का ही रूप धारण कर लिया था। परंतु फिर भी देश के बहुसंख्यक लोग इस प्रयत्न में लगे रहे कि ये बातें किसी प्रकार पाट दी जायें। अन्ततः इस संघर्ष को सफलतापूर्वक समाप्त करने का श्रेय और फक्र राष्ट्रीय सभा (National Congress) के राष्ट्रीय निमित्त को ही प्राप्त हुआ। आखिरकार सफलता प्राप्त हुई और अंग्रेजों को इस देश से जाना पड़ा। उनके देश से चले जाने से जो जागृति उत्पन्न हुई उसने कई प्रकारों से इन दंगों का रूप धारण किया। मैं सरदार पटेल तथा इस समिति को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उन सारे अल्पसंख्यकों को जो कि बहुत देर से कानून द्वारा जुदा हो चुके थे, यह अनुभव कराया कि वे एक हैं। इस बात को मनवा कर उन्होंने हम सब को इकट्ठा कर दिया है और यह एक बहुत बड़ी बात है जो कि प्राप्त कर ली गई है। श्रीमान्, देश के बंटवारे द्वारा पाकिस्तान के बन जाने के पश्चात् मुसलमानों में भी बहुत से भाई ऐसे हैं जो संयुक्त निर्वाचन विधि से सहमत

[श्री टी. प्रकाशम्]

हैं। और तो और यहां उपस्थित मुसलमानों की भी जिनमें कि प्रायः सब प्रांतों के प्रतिनिधि विद्यमान हैं, यही सम्मति है। यदि पिछले 25 वर्षों से हमारे यहां संयुक्त चुनाव विधि प्रचलित होती तो आज देश में कहीं भी दंगे न होते। यह केवल पदों की भूख, लाभ प्राप्ति की इच्छा, दूसरों के अधिकारों पर छापा मारने की लालसा तथा औरों को किसी न किसी तरह परे हटाकर उनकी सम्पत्ति पर कब्जा करने का जनून ही है जो कि इस समय देश में होने वाले संहार का मूल कारण है। महात्मा गांधी के अधीन चलाये गये राष्ट्रीय आंदोलन तथा संघर्ष ने भी इसी बात को काबू में लाने, रोकने तथा एक जगह एकाग्र करने का प्रयत्न किया था। अतः मैं सरदार पटेल को उस तरीके के लिये धन्यवाद देता हूं कि जिसके द्वारा वह इन विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों को इकट्ठा करने और उनसे वह बातें मनवाने में सफल रहे हैं।

यह श्रेय इस समिति को ही प्राप्त है या यूं कहो कि यह इस समिति का एकाधिकार है अथवा इस देश के वासियों का भी इसमें भाग है कि जिन्हें यह सफलता प्राप्त हुई। और उन्हें इस प्रकार का विधान जो कि इस समय बनाया जा रहा है, प्राप्त होगा। इसी विधान में कल या इससे एक दिन पहले संकेत किया गया था कि वे जातियां जो कि आज तक पृथक गिनी जाती रहीं, आगे से जुदा न समझी जायेंगी। इस अवसर पर हम एक विधान बना रहे हैं जो कि संघ-विधान (Union Constitution) होगा और जिसका उद्देश्य है लोगों को इकट्ठा करना। आओ, हम उन्हें विरुद्ध मत वाले न होने दें और बहुसंख्यकों का अंग ही मानकर उनसे व्यवहार करें। इस प्रकार से आजकल बातों को ढाला जा रहा है। मैं यह मानता हूं कि वे बातें बहुत पहले सैकड़ों वर्षों से बिगड़ी हुई हैं और इन्हें एक क्षण में ठीक नहीं किया जा सकता और न ही सबको पल भर में इकट्ठा किया जा सकता है। इसी कारण इस समिति ने रिपोर्ट को इतनी सावधानी से तैयार किया है। और यह समिति के लिये श्रेय और मान की बात है कि उसे इतनी ऊंची सफलता प्राप्त हुई है। अतः मैं इस समिति और उसके अध्यक्ष सरदार पटेल को बधाई देता हूं।

मुझे इस बात का गर्व है कि आप, मैं और बाकी सारे जिन्होंने इस संघर्ष में भाग लिया था, इसके परिणाम और उस रूप को जो कि यह परिणाम धारण कर रहा है, देखने के लिये अभी जीवित हैं। अब तो मानो हम इस संघर्ष के अंत को पहुंच चुके हैं। यह कहा गया है कि दस वर्षों में ही ये सब बातें लुप्त हो जायेंगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि दस वर्षों में ये बातें समाप्त हो जायेंगी।

संभवत: ये उससे पहले ही समाप्त हो जायें। इस देश में रहने वाले हममें से प्रत्येक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इतने से ही देश की सेवा करने का हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। अत: हमें देश से उच्च स्थान, बड़े पद (office) और दूसरे लोगों की सम्पत्ति को हड़प कर जाने की लालसा को मार भगाना चाहिये।

उच्च स्थिति के लोगों की सम्पत्ति और सुविधाओं को हथियाने के लिये आज जो कुछ पंजाब में हो रहा है वह हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल तथा हमारी सरकार दोनों को ही चाहिये कि पंजाब में जो हालात हो रहे हैं उन्हें रोकें। मुझे कोई शक नहीं कि जहां तक हमारी सरकार का संबंध है, वह सब कुछ कर रही है। मुझे आशा है कि पाकिस्तान के बड़े गवर्नर-जनरल तथा वहां की सरकार ऐसा प्रबंध करेगी कि जिससे लोग पश्चिमी पंजाब में स्वयं जाकर हालात को देख सकें। यदि मुझे आज्ञा मिल सके तो मैं आज ही पश्चिमी पंजाब जाना चाहता हूं। क्या मेरे लिये रास्ते का प्रबंध हो सकता है? क्या मुझे वे सुविधायें दी जायेंगी जिससे कि पश्चिमी पंजाब में मैं जाकर अपनी आंखों से वहां के हालात को देख सकूं। पूर्वी पंजाब में तो मैं जाकर वहां क्या हो रहा है, यह स्वयं देख सकता हूं। ये बातें हैं कि जिन्हें हमें प्राप्त करना है और मुझे विश्वास है कि हमारे नेता अवश्य ही इन्हें प्राप्त करेंगे। अत: मुझे समिति को बधाई देते हुये और रिपोर्ट का समर्थन करते हुये बहुत ही प्रसन्नता होती है।

***चौधरी खलीकुज्जमां** (संयुक्त प्रांत: मुस्लिम): श्रीमान्, पिछले 30 वर्ष से संयुक्त चुनाव और पृथक चुनाव के पक्ष और विपक्ष में इतना कहा जा चुका है कि अब किसी के लिये इस विषय में पक्ष या विपक्ष में कोई भी नई युक्ति देना संभव नहीं। परंतु फिर भी पृथक चुनाव विधि के विरुद्ध उठाई गई एक बड़ी गंभीर आपत्ति की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आपत्ति यह है कि इस विधि से तीसरे दल के हाथ मजबूत हुये। सौभाग्यवश वह तीसरा दल आज नहीं रहा। असल में यदि हम आज की स्थिति को वर्तमान हालात की यथार्थ भित्ति के सम्मुख रखकर देखें तो पृथक चुनाव विधि के संबंध में फैली हुई बहुत सी भ्रांतियां अवश्य ही दूर हो जायेंगी। अगर पृथक् चुनाव का अधिकार हमें दे दिया जाये तो आखिर बहुमत की इससे हानि तो नहीं होती। यह तो हम महसूस कर चुके हैं कि तीसरे दल के न होने के कारण आज हम किसी अन्य के पास जाकर सहायता के लिये प्रार्थना नहीं कर सकते। हमें आना तो आखिर बहुमत के पास ही होगा। यदि पूर्वी पंजाब में कोई बात हो जाती है या देहली

[चौधरी खलीकुज्जमां]

में ही कोई बुरी घटना हो जाती है, तो हम फरियाद लेकर गवर्नर-जनरल या किसी अन्य के पास नहीं जा सकते। हमे तो सरदार पटेल के पास ही आना होगा, क्योंकि देश के अल्पमतों की किस्मत का निर्णय करने वाला उनके सिवा आज और कोई नहीं। अत: इस विषय में गुजरी हुई बातों को जोकि आज सर्वथा प्रभावरहित हो गई हैं, बहस में लाने से क्या लाभ? सचमुच पृथक् चुनाव विधि के विरुद्ध बहुत सारी आपत्तियां उठाई जा चुकी हैं। परंतु गलत समझिये या ठीक, मुसलमानों ने अभी तक यह नहीं अनुभव किया कि पृथक् चुनाव विधि विविध जातियों में फूट का कारण थी। परंतु आज वे पुरानी युक्तियां कदापि लागू नहीं होतीं। यदि मुसलमानों को पृथक् चुनाव का अधिकार दे दिया जाये तो वे समझेंगे कि उनकी उचित शिकायतों और मांगों को व्यक्त करने के लिये धारासभाओं में वे अपने सच्चे प्रतिनिधि भेज सकते हैं। इन प्रतिनिधियों को इस मकसद के लिये किसी दूसरी शक्ति या सरकार अर्थात् पाकिस्तान सरकार के पास नहीं जाना है। उन्हें तो ये शिकायतें और मांगें आपके सामने ही रखनी हैं। अत: मैं आपसे तथा इस परिषद् से अनुरोध करूंगा कि वे इन नये हालात पर, जिनमें कि इस प्रश्न पर बहस हो रही है, गौर करें।

मैं जानता हूं और मुझे इस बात का पूरा ख्याल है कि इस परिषद् का एक बड़ा भाग पृथक् चुनाव विधि के विरुद्ध है। यह ख्याल करते हुये कि उपसमिति तथा अल्पमतों के लिये बनाई गई परामर्श समिति में दूषित घोषित की जाने से पहले इस मांग को बहुत थोड़ा समय दिया गया था, तो मुझे यह आशा नहीं होती कि हमारी यहां पर सुनवाई होगी। परंतु सुनवाई होने या न होने का यह प्रश्न नहीं, प्रश्न तो यह है कि क्या बहुमत उन नये हालात पर गौर करेगा जिनमें कि यह मांग की जा रही है? आप अपनी आशंकायें दूर कर दीजिये। मुझे पता है कि इस परिषद् के भीतर और बाहर एक बहुत बड़ा दल है; ऐसा है जो कि मुसलमानों के प्रति अतीत में उत्पन्न हुई उनकी आशंकाओं को त्यागने के लिये तैयार नहीं। मैं आपसे इस बात की प्रार्थना करूंगा कि आप समझें कि इस राष्ट्र की नागरिकता को अंगीकार करते समय हम ईमानदार और सच्चे थे। हमें यहां अल्पमत की हैसियत से रहना है। परंतु अल्पमत की हैसियत से किसी देश का नागरिक होने का यह मतलब नहीं कि अपनी जाति के लिये किसी बात की प्रेरणा करने का हमें कोई अधिकार ही नहीं, या हम ऐसा करने से बंद हो जायेंगे। परंतु हम अपनी जाति के हित की कोई बात करें तो मुझे विश्वास है कि पुरानी आशंकाओं को दोहराया नहीं जायेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विषय

में जो कुछ भी होगा अर्थात् बहुमत जो कुछ भी फैसला करेगा, मुसलमान उसे स्वीकार करेंगे। परंतु यह देखना अब आपका कर्तव्य है कि मुसलमानों की उस मांग पर जिससे कि उन्हें अधिकतर रक्षा प्राप्त होने की आशा है, इस परिषद् में विचार हो और उसे स्वीकार भी कर लिया जाये। अत: और कोई युक्ति न देता हुआ क्योंकि और कोई नई युक्ति मेरे पास है ही नहीं; मैं तो केवल आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप इस समस्या पर बदले हुये हालात की रोशनी में विचार करें और यह विश्वास रखता हुआ कि अपनी मांगों की पूर्ति के लिये हम केवल बहुमत का ही सहारा लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस मांग को स्वीकार कर लेंगे।

***माननीय पं. गोविंद वल्लभ पंत** (संयुक्त प्रांत: जनरल): श्री अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि प्रस्तावक महोदय ने वर्तमान हालात के होते हुये और फिर इस स्थिति में इस विषय को आरंभ किया है। मेरा ख्याल था कि हम उस स्थिति में से गुजर चुके हैं कि जब युक्तियों के स्थान पर भावनायें हम पर कब्जा पा सकती थीं। मुस्लिम लीग दल के नेता मेरे मित्र ने हमें बदले हुये हालात की ओर ध्यान देने के लिये कहा है और यही चीज मैं भी उनसे कहता हूं। मुझे दुख है कि देश में जो इतनी बड़ी क्रान्ति हो चुकी है, न तो उसके मूल्य को और न ही उसके महत्त्व को अभी समझा जा सका है। ऐसा जान पड़ता है कि प्रस्तावक महोदय इस बात को नहीं समझ पाये कि 15 अगस्त के पश्चात् इस देश के शासन की बागडोर और संचालन अर्थात् सब कुछ ही जनता के हाथ में आ गया है। मैं उन्हें और उनके साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस प्रश्न पर केवलमात्र अल्पमतों के दृष्टिकोण से ही देख रहा हूं। मैं उन लोगों में से एक हूं जो यह अनुभव करते हैं कि प्रजातंत्र राज की सफलता इस बात से मापी जानी चाहिये कि कौम के भिन्न-भिन्न भागों में इसने कितना विश्वास उत्पन्न किया है।

मेरा विश्वास है कि स्वतंत्र राज्य में प्रत्येक नागरिक से इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिये कि जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकतायें ही पूरी होनी चाहियें, अपितु आत्मसम्मान की आध्यात्मिक भावना भी संतुष्ट हो। मैं यह भी समझता हूं कि न केवल इन प्रश्नों पर विचार करते समय ही बहुमत को न्याय्य होने का प्रयत्न करना चाहिये, अपितु उसे तो सर्वदा ही अल्पमतों के प्रति सच्चे आदर के भावों से पेश आना चाहिये; और कि उसके सारे निश्चय ही अल्पमतों की स्थिति को समझने की सच्ची भावना और सहानुभूति से प्रेरित होकर किये जाने

[माननीय पं. गोविन्द वल्लभ पंत]

चाहियें। अत: जब मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं तो यह इसलिये कि मुझे यकीन है कि यदि पृथक् चुनाव को प्रोत्साहना दी गई और जारी रखा गया तो यह अल्पमतों के लिये आत्महत्या के तुल्य होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसा जान पड़ता है कि देश की राजनैतिक स्थिति में आये हुये इतने बड़े इंकलाब को हम भूल से गये हैं। चाहे नाम कुछ भी दिया गया हो, पुराने समय में हमारी धारासभाओं का जिस प्रकार से कार्य होता था, उसे देखकर तो कहा जा सकता है कि वे परामर्श समितियों से किसी हालत में भी बढ़कर न थीं। अत्यावश्यक शक्ति तो अंग्रेजों के हाथों में थी और अंग्रेजी पार्लियामेंट ही हमारे भाग्य की अंतिम विधायक थी। जब तक शक्ति विदेशियों के हाथ में थी तब तक तो मैं समझ सकता हूं कि पृथक चुनाव विधि का कुछ लाभ था। उस समय संभवत: भिन्न-भिन्न जातियों के प्रतिनिधि अपने आपको अपनी-अपनी जातियों के सबसे बड़े वकील के रूप में जाहिर करने में कामयाब हो सकते थे और क्योंकि निश्चय करना उस समय देश की जनता के हाथ में न था, इसलिये वे इस स्थिति से संतुष्ट रह सकते थे। परंतु अब यहां केवल वकालत करने का ही प्रश्न नहीं है। किन्तु अब तो प्रश्न यह है कि इस स्वतंत्र देश की पार्लियामेंट (Parliament) और धारा-सभाओं के विचार विनिमय तथा कार्यों में एक प्रभावशाली और निश्चयात्मक आवाज कैसे प्राप्त की जाये? परामर्शदाता की स्थिति में भी एक व्यक्ति अच्छा वकील साबित हो सकता है, परंतु यदि न्यायाधीश जिसको कि उन्हें मुखातिब करना है ही, उसके हार्दिक उद्‌गारों, भावों तथा युक्तियों की कद्र न करता हो, और उस वकील की न्यायाधीश बनने की भी कोई संभावना न हो तो वह अपने लिये और अपने मुवक्किल के लिये किसी प्रकार से लाभकारी नहीं हो सकता। मैं तो वकील को जज बनने की आशा दिलाना चाहता हूं। मेरा विचार है कि बदले हुये हालात में नया दरजा (status) प्राप्त कर लेने के बाद इस देश के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण उन्नति करने के और इस तरह देश में किये जाने वाले प्रत्येक निश्चय को सफलतापूर्वक प्रभावित करने के उचित अवसर प्राप्त होंगे। अत: मैं समझता हूं कि पृथक चुनाव विधि अल्पमतों के लिए अत्यंत हानिकर होगी। यह उनकी आत्महत्या के तुल्य है। यदि वे अलग-अलग हो गए तो वे भविष्य में अपने आपको बहुमत में कभी भी परिणत न कर सकेंगे और निराशा के भाव तो उनकी आरंभ में ही कमर तोड़ देंगे। जरा सोचें कि आप क्या चाहते हैं और इधर हम आपको कितना ऊंचा ले जाने के मंसूबे बांध रहे हैं। क्या अल्पमत हमेशा अल्पमत ही रहना चाहते हैं या उनके दिल में यह भी इच्छा है कि कभी इस बृहत् जाति का एक निजी अंग बनकर इसके भाग्य के विधायक और प्रदर्शक भी बनें? यदि

उनकी यह आशा है तो क्या वे सारी जाति से अलग-अलग रहकर इस कामना और उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि सारी जाति से अलग होकर एक ऐसे डिब्बे में बंद रहना कि जहां हवा भी न जा सके, उनके लिये अत्यंत ही घातक होगा। ऐसी दशा में तो उन्हें श्वासार्थ वायु के लिये भी अन्यों पर निर्भर होना पड़ेगा। मैं उन्हें एक ऐसा दर्जा (position) दिलाना चाहता हूं कि जहां उनकी आवाज में से चीत्कार और असमता तो दूर हो जाये परंतु वह हो जाये शक्तिशाली। अल्पमतों ने यदि अपने प्रतिनिधि पृथक चुनाव विधि से चुनकर भेजे तो उन विचारों की आवाज कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकती। और यही बात है जिसे मि॰ जिन्ना और मुस्लिम लीग के अन्य नेता बार-बार दोहरा चुके हैं। उन्हें तो पृथक चुनाव विधि के साथ-साथ पासंग (weightage) भी प्राप्त था, परंतु पिछले तीस साल के अनुभव के आधार पर उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा की थी कि यह सब कुछ धोखे की टट्टी थे और इनसे उनके अधिकारों और हितों की रक्षा नहीं हो सकी। बावजूद कि हिंदू और मुसलमान दोनों को पृथक चुनाव विधि तथा पासंग प्राप्त था; परंतु बताइये, पिछले तीन महीनों में वह कौनसी बुरी बात है जो कि बंगाल, बिहार और सीमा प्रांत में होकर न सुनी गई हो? क्या पृथक् चुनाव विधि ने उनकी कुछ सहायता की है? क्या इस आड़े समय में पासंग (weightage) सहित पृथक चुनाव विधि उन बेचारों के कुछ काम आई है? यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि इतने कटु अनुभव के होते हुये भी आज हम फिर पृथक चुनाव विधि की मांग कर रहे हैं।

अच्छा, तो अल्पमत चाहते क्या हैं? क्या वे देश की सरकार और उसके शासन में कोई भाग लेना चाहते हैं? मै आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि यदि आप सारी जाति से अपने आपको अलग-अलग रखेंगे तो मंत्रिमंडल में आपको कोई ''स्थान'' प्राप्त न होगा क्योंकि मंत्रिमंडल को तो एक टोली (team) के रूप में अनुकूल विधि से व्यवहार करना होता है। जब तक मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मतदाताओं के सामान्य निर्वाचन को जवाबदेह न हों तो सफलतापूर्वक कार्य नहीं चल सकता। क्या आप सरकार में अपने प्रतिनिधित्व के अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार हैं? आप अपने संप्रदाय के केवल वकील बनना चाहते हैं। परंतु क्या आप इस दयनीय अवस्था से संतुष्ट हो सकेंगे? खासकर उस हालत में जब कि आपकी वकालत को यदि नफरत और मखौल से नहीं तो सर्वथा अनादर और अवहेलना की दृष्टि से देखा जायेगा। और यह होना अनिवार्य भी है क्योंकि वे लोग जो निश्चायक होंगे, वे तुम्हारे मतदाताओं के मंडल को जवाबदेह न होंगे।

आपका बचाव इसी बात में है कि आप अपने आपको उस गतिशील सम्पूर्ण का निजी अंग बना दें जो कि वास्तविक और सच्ची राजसत्ता है।

[माननीय पं. गोविन्द वल्लभ पन्त]

और भी, आपका अंतिम ध्येय क्या है? क्या आप वास्तविक राष्ट्रीय सांसारिक राजसत्ता चाहते हैं या कि मजहबी राजसत्ता? यदि आप उत्तर कथित चाहते हैं तो इस भारतीय संघ (Union of India) में मजहबी राजसत्ता तो केवल हिंदुओं की ही हो सकती है। इस प्रकार अपने आप को अलग-अलग कर लेना क्या आपके लिये हितकर होगा? क्या ऐसी राजसत्ता उन लोगों की कोई परवाह करेगी जिनका राजकार्य पर वास्तविक आधिपत्य रखने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव में न कोई हाथ है और न ही उनकी वहां कोई सुनवाई है। क्या इससे अधिक घातक और कोई वस्तु हो सकती है? आपको यह भी विचार कर लेना चाहिये कि यदि इस विधि से कार्य आरंभ हो गया तो इस समय और इसके पश्चात् आप पर इसका क्या असर होगा। यदि आपको अल्पमतों के लिए पृथक् चुनाव का अधिकार मिल जाये तो उसका अनिवार्य रूप से यह परिणाम होगा कि बहुमत अल्पमतों से अलग-अलग हो जायेगा और अल्पमतों से अलग-अलग होकर बहुमत उनको अनायास ही कुचल कर रख देगा।

अत: मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप बहुमत को अल्पमत से अलग-अलग करना चाहते हैं? यदि यह बात है तो सोच लें कि ऐसी स्थिति में बहुमत आप में से किसी के सामने उत्तरदायी न होगा, न ही बहुमत में से कोई आपके भावों की परवाह करेगा और न ही उन्हें इस बात की चिंता होगी कि उनके कार्यों से आप या आपके साथियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और मेरी समझ में इससे बढ़कर और कोई वस्तु हानिकारक नहीं हो सकती। क्या आपको आज ही इसके लक्षण दिखाई नहीं देते? क्या आपको उन हलकों में जो आज तक सर्वदा ही शांत रहे हैं, भड़के हुए सांप्रदायिक भाव दिखाई नहीं देते? मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, जुदा चुनाव के लिये आपकी चीख व पुकार आपके हितों के लिये अत्यंत ही घातक होगी। और सब बातों के अतिरिक्त यह आज असामयिक और असंगत कही जायेगी। आखिरकार प्रजातंत्र का निष्कर्ष क्या है? प्रजातंत्र की सफलता के लिये आत्म-नियंत्रण की शिक्षा मनुष्य को लेनी होगी। प्रजातंत्र राजसत्ताओं में मनुष्य को अपने हितों का कम और दूसरों के हितों का अधिक ध्यान करना चाहिये। वहां पर विभक्त वफादारी नहीं रह सकती। सब प्रकार की वफादारियां पूर्णतया राज्य की ओर ही केन्द्रित होंगी। यदि किसी प्रजातंत्रात्मक राज्य में आप पारस्परिक विरुद्ध वफादारियां उत्पन्न करेंगे या आप एक ऐसी विधि बनायेंगे कि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या व्यक्ति-समूह दूसरे बड़े हितों

की परवाह न करता हुआ अपनी फजूलखर्ची को बंद नहीं करता है तो वहां प्रजातंत्र की समाप्ति हो जायेगी। इसलिये पृथक चुनाव विधि न केवल राजसत्ता (State) और समाज के लिये ही घातक है, अपितु वह अल्पमतों के लिये तो विशेष करके हानिकारक है। हमें इस संबंध में पर्याप्त अनुभव हो चुका है और यह सचमुच दुखदायक है कि उस सारे अनुभव को कुएं में फेंककर आज लोग पुनः समाप्त हुए नारों और जयकारों का आलिंगन करें। बीते हुए जमाने में कोई मनुष्य यह आवाज लगा सकता था। परंतु आज और विशेषकर इन दिनों में जब कि हम अपनी आंखों से हिंसा की तबाहकारियां देख रहे हैं और जब कि हर समय ही नरहत्याओं, लूटमार और बलात्कार तथा अन्य-अन्य बातों की दिल हिला देने वाली कहानियां हमारे कानों में पड़ती रहती हैं, तो क्या हमारे दिल में यह विचार नहीं उठता कि हमने पृथक रहने की घृणाजनक प्रवृत्ति की पर्याप्त सजा पा ली है और कि अब हमें बुद्धिपूर्वक कार्य करना चाहिये। इन कहानियों को सुनकर हममें से प्रत्येक वस्तुतः नहीं तो शर्म के मारे तो अवश्य ही मरा जाता है।

हम अब स्वतंत्र होने लगे हैं और इस स्वतंत्रता की हमने पूरी कीमत भी अदा कर दी है। हमारे एक ओर तो आज पाकिस्तान है और दूसरे ओर भारतीय संघ (Union of India) अर्थात् हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ विदेशियों का-सा व्यवहार करने के संबंध में बहुत चर्चा हो चुकी है। पृथक चुनाव की संस्था क्या इन तोड़-फोड़ की प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन करेगी या उस संघ-शक्ति का उत्पादन करेगी कि जिसके बिना दोनों राजसत्ताएं (States) ही स्थिर नहीं रह सकतीं? क्या आप यह चाहते हैं कि एक राजसत्ता (State) के नागरिक अपनी रक्षा के लिये दूसरी राजसत्ता (State) में स्थित सहधर्मियों की ओर देखें या आप यह चाहते हैं कि उनके साथ स्वकीय स्वतंत्र अधीश्वर राजसत्ता (Free Sovereign State) के नागरिकों का-सा व्यवहार हो? मेरी इच्छा है कि सब अल्पमतों को भारतीय संघ (Union of India) में मानपूर्वक स्थान मिले। मैं चाहता हूं कि उन्हें आत्मज्ञान (Self-realisation) और आत्मपूर्ति (Self fulfilment) का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। मेरी इच्छा है कि सभ्यताओं का यह सम्मिश्रण जारी रहे ताकि हम एक ऐसी राजसत्ता (State) प्राप्त कर सकें कि जहां सब मिलकर भाइयों की तरह जीवन व्यतीत करें और समता, स्वतंत्रता और भ्रातृभाव के नियमों पर पूरी तरह चलते हुए उन लोगों की कुर्बानियों के फल का जिन्होंने स्वतंत्रता की राह में सब कुछ न्योछावर किया है, हम सब उपभोग प्राप्त कर सकें *(घोर करतलध्वनि)*।

***अध्यक्षः** अब परिषद् विसर्जित होती है और 3 बजे दिन के पुनः बैठक होगी।

***एक माननीय सदस्यः** प्रश्न परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये।

***अध्यक्षः** यदि परिषद् की यही इच्छा है तो मैं वाद-विवाद को समाप्त किये देता हूं और प्रश्न मत-प्रदर्शन के लिये परिषद् के सामने पेश करता हूं। अब प्रश्न है कि परिषद् से भी पूछ लिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार हो गया।

***अध्यक्षः** मैं माननीय सरदार पटेल को जवाब देने के लिये, यदि वह कुछ कहना चाहते हों, तो बुलाता हूं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे यह जानकर कि इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है कुछ अफसोस हुआ है। इसका कारण यह है कि जब यह प्रश्न परामर्श समिति के सामने आया था तो इस पर इतनी बहस नहीं हुई थी जितनी आज हुई। मुस्लिम लीग के मेरे उन मित्रों ने जिन्होंने कि यह संशोधन प्रस्तुत किया है और उनके समर्थकों ने इस कार्य को अपना कर्तव्य समझ कर निभाया है, वे इतने वर्षों से पृथक चुनाव के लिये जोर देते रहे और उसके परिणामस्वरूप इसे प्राप्त करके उपभोग करते रहे। अब वे महसूस करते हैं कि इसे एकदम न हटाया जाये। इसी कारण उन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है, ताकि परिषद् की राय ली जा सके। परंतु जब मैंने यहां पर हुये विस्तृत भाषण सुने तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि मैं उस जमाने में जीवन व्यतीत कर रहा हूं कि जब सांप्रदायिक प्रश्न पर सर्वप्रथम बहस अभी आरंभ ही हुई थी। प्रारंभ के दिनों में जब मजहब के आधार पर चुनाव का प्रश्न राष्ट्रीय सभा (Congress) में रखा गया तो मुझे उन भाषणों के सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। परंतु फिर भी कई बड़े-बड़े मुसलमान ऐसे हैं जिनकी ऐसी लिखित सम्मत्ति मिलती है कि देश में लाई गई बुराइयों में पृथक् चुनाव विधि सबसे अधिक हानिकारक है। पृथक् चुनाव विधि का आरंभ एक विष था जो कि हमारे देश के राजनैतिक कलेवर में दाखिल कर दिया गया है। कई अंग्रेजों ने भी जिनका कि इसे आरंभ करने में पूरा-पूरा हाथ था इस बात को स्वीकार किया है। परंतु आज जबकि पृथक चुनाव के परिणामस्वरूप देश के दो टुकड़े किये जा चुके हैं तो मेरा यह ख्याल न था कि इस प्रस्ताव को इस प्रकार गंभीरतापूर्वक प्रस्तुत किया जायेगा। और यह तो कदापि भी ख्याल न था कि यदि यह गंभीरतापूर्वक प्रस्तुत किया भी गया तो अन्य सदस्य इस दृष्टिकोण को इतना महत्त्व देंगे। अच्छा,

जब पाकिस्तान को स्वीकार किया गया तो यह बात समझी गई थी कि शेष हिंदुस्तान में जो कि पूर्ण भारत का 80 प्रतिशत है, केवल एक राष्ट्र ही माना जायेगा और कि उसमें फिर दो राष्ट्रों की बात को न उठाया जायेगा। 'हम पृथक् चुनाव को इसलिये मांगते हैं क्योंकि इसमें हमारा भला है' यह कहने से अब कोई लाभ नहीं। हम इसे पर्याप्त समय तक सुन चुके हैं। हम इसे वर्षों तक सुनते रहे हैं और इस आंदोलन के परिणामस्वरूप ही आज हम एक जुदा राष्ट्र बन गये हैं। आंदोलन यह था कि ''हम एक पृथक् जाति हैं अतः पृथक चुनाव, पासंग (Weightage) और ऐसी ही दूसरी सुविधायें हमारी रक्षा के लिये पर्याप्त नहीं। इसलिये हमें एक पृथक् राजसत्ता (State) दे दीजिये।'' परंतु शेष हिंदुस्तान में अर्थात् बाकी के 80 प्रतिशत हिंदुस्तान में क्या आप केवल एक जाति के अस्तित्व को अंगीकार करेंगे? या आप अब भी यहां पर दो जातियों की बात को पुनः उठाना चाहते हैं? मैं पृथक चुनाव के विरुद्ध हूं। मुझे कोई भी स्वतंत्र देश ऐसा दिखलाइये कि जहां पृथक चुनाव-विधि प्रचलित हो। यदि कहीं भी ऐसा हुआ तो मैं इसे यहां पर भी मान लूंगा। परंतु यदि देश विभाजन के पश्चात भी इस अभागे देश में पृथक् चुनाव को जारी रखा गया तो सर्वत्र कष्ट ही कष्ट उदय होगा, जिसके कारण यहां रहना भी मुश्किल हो जायेगा। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह केवल मेरे भले के लिये ही नहीं, अपितु आपका अपना भला भी इसमें है कि गुजरी हुई बातें भूल जाओ ताकि हम संगठित हो सकें। मैं पाकिस्तान का भला चाहता हूं। यह सफल हो और वे अपने ढंग पर निर्माण कर सकें। प्रभु करे कि वे खुशहाल हों। आओ, हम खुशहाली के लिये प्रतिस्पर्धा करें। किन्तु हमें उस प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होना चाहिये जो कि पाकिस्तान में आज की जा रही है। आप नहीं जानते कि देहली में हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं। आपको पता नहीं कि हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उसके कारण हम पर कितना बोझ पड़ रहा है। मेरे मित्र संशोधन के प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि मुस्लिम जाति आज सुसंगठित है। बहुत अच्छा, यह बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इसीलिये तो मैं कहता हूं कि आपको अब और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं *(करतल ध्वनि),* क्योंकि देश में आपके अतिरिक्त और अल्पमत भी हैं जो कि सुसंगठित नहीं हैं। इस कारण वे विशेष सहायता और सुविधाओं के पात्र हैं। इसलिये हम उनके प्रति अधिक उदार होना चाहते हैं। परंतु इसके साथ ही हमने आपको जनसंख्या के अनुपात से सुरक्षा दे दी है। यह इसलिये किया गया है कि आपको, जिन्होंने पृथक् चुनाव इत्यादि का इतने समय तक उपभोग किया है, कहीं व्यवहार भेद

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

की शिकायत उत्पन्न न हो। संसार के स्वतंत्र देशों में इस प्रकार की 'सुरक्षा' कहीं भी नहीं दी गई। क्या आप मुझे दिखा सकेंगे? यह मैं आपसे पूछता हूं। आप एक सुसंगठित संप्रदाय हैं। मुझे बतायें कि फिर आप एक पंगु की तरह क्यों व्यवहार करते हैं? क्योंकि आप सुसंगठित हैं अतः आपको एक वीर और शक्तिशाली मनुष्य की तरह आचरण करते हुये सीधे खड़े हो जाना चाहिये। जो देश के इस ओर नई जाति निर्माण की जा रही है, उसका ध्यान कीजिये। हमने एक नई जाति की नींव रख दी है। श्री चौधरी खलीकुज्जमा का कहना है कि क्योंकि इस विधान के अधीन देश से अंग्रेजी अंश (element) चला गया है अतः हमें आपस की आशंकायें भूल जानी चाहियें। अंग्रेजी अंश (element) तो चले गये हैं परंतु वे शरारत तो पीछे छोड़ गये हैं। हम इस शरारत को जारी रखना नहीं चाहते (सुनो, सुनो की आवाजें)। अंग्रेजों ने जब इसका आरंभ किया था तो उन्हें ख्याल न था कि उन्हें इतनी जल्दी जाना पड़ेगा। उन्होंने शासन को आसानी से चलाने के लिये यह किया था। यह तो ठीक है, परंतु वे अपने पीछे अपनी विरासत तो छोड़ गये हैं। क्या हम इससे छुटकारा पायेंगे या नहीं? अतः मैं आपसे अनुरोधपूर्वक यह कहता हूं कि तनिक विचारिये कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको आशा है कि इस देश में मुस्लिम लीग के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकेगा जो कि यह कहे कि आओ, पृथक चुनाव को स्वीकार कर लें और कि ऐसा करने में कोई हानि नहीं। यदि आप कहें कि देश के इस पार जाति के आप वफादार रहना चाहते हैं तो मेरा प्रश्न है कि क्या यही वफादारी है? और कि क्या इस वफादारी का आपको उचित जवाब मिल ही रहा है न? मेरा इस विषय में बोलने का कोई इरादा न था परंतु जब इस संशोधन के प्रस्तावक महोदय ने इस विषय पर इतना लंबा भाषण दिया और फिर विरोधी दल के नेता ने भी इसका समर्थन किया तो मैंने अनुभव किया कि देश में अभी तक फिर बुराई चली आ रही है। अतः मेरे प्यारे मित्रों! मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इस देश में अब शांति चाहते हैं? यदि आप शांति चाहते हो तो इस बात को त्याग दो। मेरा आपसे यह प्रश्न भी है कि यदि आप शांति नहीं चाहते तो क्या जो इस समय हमारे आसपास हो रहा है, आपको स्वीकार है? यदि स्वीकार है तो बहुत ठीक, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं; परंतु फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आओ, कम से कम देश के इस ओर तो हम यह दिखला दें कि हम सब कुछ भूला चुके हैं। यदि हम भुलाने के लिये तैयार हैं तो आओ, हम पिछली बातों को भूल जायें और साथ ही उस वस्तु को जिसके कारण से आजकल का

सब अनर्थ किया जा रहा है, उसे भी भुला दें। अतः मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप संशोधन लौटा लें ताकि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हो सके और बाहर की दुनिया को यह पता लगे कि हम एक हैं *(करतल ध्वनि)*।

***माननीय सदस्यगणः** संशोधन लौटा लीजिये।

***अध्यक्षः** मैं अब पहले संशोधन पर मत (vote) ग्रहण करूंगा। संशोधन इस प्रकार है:

''अल्पमतों के मौलिक आधार इत्यादि पर विचार करने के लिये बनाई गई परामर्श समिति को अल्पमत के अधिकारों के विषय पर तैयार की गई रिपोर्ट पर विचार करके विधान-परिषद् की यह बैठक निश्चय करती है कि जहां तक मुसलमानों का संबंध है, केन्द्रीय और प्रांतीय धारासभाओं के सारे चुनाव पृथक् विधि के अनुसार किये जायें।''

यह संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** मैं अब वास्तविक प्रस्ताव पर मत (vote) लेता हूं। यह इस प्रकार है:

''केन्द्रीय और प्रांतीय धारा-सभाओं के सब चुनाव संयुक्त विधि से होंगे।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

इसके पश्चात् 3 बजे दोपहर तक परिषद् की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

माननीय डा॰ राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में दोपहर के भोजन के पश्चात् दिन के 3 बजे भारतीय विधान-परिषद् की दोबारा बैठक हुई।

***अध्यक्षः** हम अब आगे मदों पर बहस को आरंभ करेंगे। सरदार पटेल!

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, मैं प्रथम मद को प्रस्तुत करता हूं। यह इस प्रकार है:

''बशर्ते कि साधारण नियम के तौर पर परिगणना में प्रदर्शित किये गये अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से विविध धारा-सभाओं में 'स्थानों' की 'सुरक्षा' दी जायेगी।

और बशर्ते कि स्थानों की यह सुरक्षा दस वर्षों के लिए होगी और इस अवधि के पश्चात् एतद्विषयक स्थिति पर पुनः विचार किया जायेगा।''

मैं इस प्रस्ताव को परिषद् के सामने स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

***अध्यक्षः** इस पर कई संशोधन हैं। इसमें सबसे पहला श्री पंडित ठाकुरदास भार्गव का है।

***पं॰ ठाकुरदास भार्गव** (पूर्वी पंजाबः जनरल): श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं प्रथम सूची में अंकित 18वें स्थान पर अपना 19वां संशोधन प्रस्तुत करने का विचार रखता हूं। यह इस प्रकार है कि:

''प्रथम पैरा (Para) की प्रथम व्यवस्था में 'स्थानों' इस शब्द की जगह 'प्रतिनिधित्व' यह शब्द रख दिया जाये।''

मुझे इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय प्रसन्नता है क्योंकि इससे श्री मुंशी महोदय को अपने संशोधन को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है और मेरे विचार में उनका वह संशोधन ठीक ही है। मुझे यह कहते हुये अफसोस होता है कि वर्तमान परिस्थिति में अपने संशोधन के पक्ष में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

***श्री के॰एम॰ मुंशी** (बम्बईः जनरल): श्रीमान्, अध्यक्ष महोदय, मैं श्री पंडित ठाकुरदास महोदय के संशोधन पर अपना निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि:

''प्रथम सूची के 25-8-47 तिथि के 19वें संशोधन में 'स्थानों' इस शब्द की जगह 'प्रतिनिधित्व' यह शब्द रख दिया जाये,' इन शब्दों के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें:

'परिगणना' इस शब्द के पश्चात् ये शब्द 'और हिन्दू जाति का वह भाग जिसका कि आगे प्रथम पैरा (अ) में संकेत है' रख दिये जायें।''

व्यवस्था के शब्द निम्न प्रकार हैं:

''बशर्ते कि साधारण नियम के तौर पर परिगणना में प्रदर्शित किये गये अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से विविध धारा-सभाओं में 'स्थानों' की 'सुरक्षा' दी जायेगी।''

और यदि मेरा संशोधन स्वीकार हो जाये, तो यह इस प्रकार होगी:

''परिगणना में प्रदर्शित किये गये अल्पसंख्यकों को तथा हिन्दू जाति के उन अंगों को कि जिनका संकेत इसके प्रथम पैरा 1(अ) में पाया जाता है सुरक्षा दी जायेगी।''

मैं 85वें संशोधन पर भी एक संशोधन प्रस्तुत कर चुका हूं। इस संशोधन द्वारा परिगणित जातियों की मद को उठाकर एक पृथक पैरा 1 (अ) में रख दिया जायेगा, तब इसको परिगणना में न गिना जायेगा।

इस संशोधन का आशय तथाकथित परिगणित जातियों की स्थिति को स्पष्ट करना है। जहां तक अन्तर्जातीय संधियों और अन्तर्जातीय कानून का संबंध है, 'अल्पसंख्यक' यह शब्द केवल जाति, भाषा और मजहब संबंधी अल्पमतों के अर्थों में ही सीमित है। हरिजन जिन्हें कि प्राय: परिगणित जातियां कहा जाता है, न तो जाति संबंधी, न ही भाषा संबंधी और न ही वास्तव में मजहबी अल्पमत है। अत: परिभाषा की यथार्थता के लिये यह संशोधन आवश्यक जाना गया है। परिषद् के सदस्यों को स्मरण ही होगा कि जब भारतीय सरकार-एक्ट प्रस्तुत किया गया था, तो सर सेमुलहोर ने 'अल्पसंख्यकों' की परिभाषा को इस तरह विस्तृत कर दिया था कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समूह जिसे गवर्नर उचित समझे, 'अल्पसंख्यक' करके गिना जाये। इस परिभाषा के अर्थों का यह विस्तार बहुत ही शरारत से भरा हुआ है। मेरा संशोधन, इस विषय को जहां तक कि परिगणित जातियों का संबंध है, स्पष्ट करना चाहता है। ये जातियां परिभाषा के यथार्थ अर्थों में ''अल्पसंख्यक'' नहीं। इस संशोधन से यह व्यक्त करना भी अभीष्ट है कि हरिजन हिन्दू जाति का निजी अंग हैं और कि ये सुविधायें उन्हें उनके हितों के रक्षार्थ दी जा रही हैं और कि ये केवल तभी तक जारी रहेंगी कि जब तक वे अपने आपको हिंदुओं में पूर्णतया मिला नहीं लेते। दूसरा कारण यह है और मैं यह बता दूं कि यह दूसरा कारण उन निश्चयों पर आश्रित है, जो कि परिषद् अब तक कर चुकी है। हिन्दू जाति में परिगणित जातियों का अन्य हिंदुओं से भेद करना ही छूतछात कहलाती

[श्री के.एम. मुंशी]

है। अत: मौलिक अधिकार जो हम स्वीकार कर चुके हैं वे कानूनन छूतछात की मनाई करते हैं और भारतीय संघ में इस प्रथा को कानून द्वारा अपराध करार दिया जा चुका है। मौलिक अधिकारों में हमने यह भी स्वीकार कर लिया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश जन्म के आधार पर निषिद्ध न किया जा सकेगा। जहां तक संघ (Federation) का संबंध है, हमने हिन्दू जाति के भिन्न-भिन्न अंगों के मध्य से कृत्रिम दीवारों को हटा दिया है। ऊपर की बातों को ध्यान में रखते हुये परिगणित जातियों को अल्पसंख्यक की हैसियत की किसी भी प्रकार की सुविधाओं का दिया जाना अवैध होगा। और संभवत: यह हिन्दू जाति में उनके पूर्णतया मिल जाने के मार्ग में भी बाधक हो। अत: मेरा निवेदन है कि यह संशोधन जो कि मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इस विषय में स्थिति को स्पष्ट कर देता है।

***श्री एच॰जे॰ खांडेकर:** सभापति महोदय, मेरा जो संशोधन है, वह बहुत ही सीधा है और वह ऐसा है कि जहां भी 'पापुलेशन' शब्द आया है जैसा कि नंबर 1 में: ''बशर्ते कि साधारण नियम के तौर पर परिगणना में प्रदर्शित किये गये अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से विविध धारासभाओं में 'स्थानों' की 'सुरक्षा' दी जायेगी।'' उसके बाद मैं यह एड करना चाहता हूं: ''परिगणित जातियों के संबंध में 1931 के जनगणना के अनुसार।''

इस संशोधन को रखने का मेरा खास कारण जो है वह मैं इस हाउस के सामने बतलाना चाहता हूं। हिन्दोस्तान की तादाद दिनोंदिन बढ़ रही है और 1911 के सेंसस से 1941 तक के सेंसस को देखा जाये तो आज हिन्दोस्तान की तादाद 40 करोड़ तक बढ़ गयी और मैं आपके सामने, जो आप सब जानते हैं, एक बात रखना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट गिरी हुई श्रेणी से आते हैं, मगर संख्या बढ़ाने में वह किसी भी उच्च श्रेणी के लोगों से कम नहीं हैं। अगर कास्ट हिन्दू के यहां एक बच्चा पैदा होता है, तो शेड्यूल्ड कास्ट के यहां चार बच्चे पैदा होते हैं। मगर दुख और बड़े आश्चर्य की बात है कि अछूतों की तादाद सन् 1911 से लेकर बराबर क्यों घटती जा रही है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जब हमने इसका कारण ढूंढा तो यह मालूम हुआ कि 1941 के सेंसस में बंगाल और दीगर प्रांतों में कुछ तो हमारे मुसलमान भाइयों ने सेंसस में हिस्सा लेकर शेड्यूल्ड कास्ट के भाइयों को मुसलमान लिखवा लिया और कास्ट हिन्दुओं ने उन्हें हिन्दू लिखवा दिया। और यही कारण है कि 1931 के सेंसस के बाद हमारी

तादाद बराबर घटती रही है और 1941 के सेंसस में शेडूल्ड कास्ट की तादाद 1931 के सेंसस से दो करोड़ घट गयी। इसलिये मैं इस संशोधन को आपके सामने रख रहा हूं जबकि संख्या के अनुसार हर माइनोरिटी को प्रोविन्शियल और सेंट्रल असेंबली में उसके हक मिल रहे हैं और चूंकि हमें 1941 के सेंसस के मुताबिक हक मिलेंगे तो हमारे बहुत से नुमाइंदे खत्म हो जायेंगे। 1931 की संख्या के अनुसार भी हम बहुत कम हैं, फिर भी यह सन् 1941 के सेंसस से तो गनीमत है, क्योंकि सन् 42 का सेंसस जब लिया गया उस वक्त लड़ाई चल रही थी और लड़ाई के जमाने मे शायद यह हो सकता है कि सेंसस ठीक तरीके से न लिया गया हो और खासकर शेडूल्ड कास्ट का ठीक तरीके से न लिया गया हो। कास्ट हिन्दुओं ने शेडूल्ड कास्ट के लोगों को हिन्दू लिखवा दिया और मुसलमानों ने मुसलमान लिखवा दिया। इसलिये मुझे इस बात का शक है कि हमारा जो सन् 1941 का सेंसस है, वह बिल्कुल गलत है और इस बात पर मैं ही नहीं बल्कि देश की सारी अछूत जाति चिल्लायी और बार-बार यह कहा कि हमारा जो सन् 1941 का सेंसस है, उसके ऊपर हमारी नुमाइंदगी और गिनती न होनी चाहिये। अब दूसरा कोई जरिया बाकी नहीं रहता। जरिया एक बाकी रहता है और वह यह कि अगर इस प्रस्ताव के मूवर हमें इस बात का आश्वासन दे दें कि सेंसस फिर से किया जायेगा और सेंसस करने के बाद वह जगह निर्धारित की जायेगी, तो मैं एमेंडमेंट वापस लेने को तैयार हूं। अगर ईमानदारी से सेंसस लिया गया होता तो हमारी संख्या कहीं अधिक होती; लेकिन सन् 1941 के सेंसस के बारे में पूरा शक है और वह ठीक तरह से हमारा सेंसस नहीं है और इसी बुनियाद पर मैं इस संशोधन को आपके सामने रखता हूं। मुझे मालूम है कि इस हाउस के प्रत्येक सदस्य को शेडूल्ड कास्ट के बारे में बहुत हमदर्दी है। मैंने बहुत सी स्पीचेज सुनीं। बहुत से लीडरान हमारी बातों से हमदर्दी रखते हैं, लेकिन वह हमदर्दी अगर सिर्फ लिप सिम्पेथी हो तो उसमें कोई मजा नहीं है। लोग यह कहते हैं कि हम हिन्दू कोम्यूनिटी के पार्ट और पार्सल हैं और मैं भी इस चीज को मानता हूं। अगर आप मेरे इस संशोधन का विरोध करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमको सन् 1941 के सेंसस के आधार के अलावा आप ज्यादा नहीं देना चाहते। जब आप कहते हैं कि दो चार जगह कम क्या और दो चार जगह ज्यादा क्या, वह तो हिन्दू ही हैं; तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि 1931 के सेंसस के मुताबिक अगर शेडूल्ड कास्ट वालों को दो चार जगह ज्यादा मिल जाती हैं तो हमें देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को मान लें और शेडूल्ड कास्ट के लोगों को सन् 1931 के मुताबिक हक दें। इन शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि प्रस्तावक महोदय मेरे इस एमेंडमेंट को मानेंगे।

***श्री वी०आई० मुनिस्वामी पिल्ले** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, मेरे मित्र श्री मुंशी महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परिगणित जातियां अल्पसंख्यक हैं, पर क्योंकि उनका शुमार अल्पसंख्यकों की उपर्युक्त तीनों कक्षाओं में से किसी में भी नहीं किया जा सकता; अत: उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। श्रीमान्, मैं इस परिषद् को बता देना चाहता हूं कि 16 मई से पहले तो परिगणित जातियों का इस विषय में अल्पसंख्यक करके ही शुमार होता था। परंतु इसके पश्चात् जब मंत्रिशिष्टमंडल यहां आया तो न जाने किस प्रकार से उन्होंने दलित जातियों अर्थात् परिगणित जातियों को इस गणना से निकाल दिया और केवल तदतिरिक्त जातियों को ही इस विषय में सामने रखा। पर क्योंकि मेरे मित्र श्री मुंशी महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परिगणित जातियों के मार्ग में कई एक मजबूरियां दर पेश हैं। अत: उन्हें अल्पसंख्यक होने के सारे लाभ प्राप्त कराये जायेंगे तथा उन्हें किसी प्रकार से भी वांछित सुविधाओं से वंचित न रखा जायेगा। इस दृष्टि से मेरा विचार है कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

***एक माननीय सदस्य:** श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब तक एक संशोधन पेश न हो जाये, तब तक कैसे उस संशोधन का कोई अन्य संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है।

***अध्यक्ष:** यह एक वैधानिक बात है। इसीलिये मैंने इस संशोधन को इस समय ही प्रस्तुत करने की आज्ञा दे दी है।

***श्री एस० नागप्पा:** श्रीमान्, मेरे मित्र श्री खांडेकर महोदय ने अभी-अभी 88वां संशोधन प्रस्तुत किया था कि 1931 की जनगणना.....।

***श्री के०एम० मुंशी:** मैं वैधानिक आपत्ति उठाने के लिये खड़ा होता हूं। यह तो खंड 3 के संबंध में है और परिगणना में हम तो अभी पैरा 1 पर ही आये हैं।

***श्री एस० नागप्पा:** वह तो प्रस्तुत कर दिया गया था।

***श्री के०एम० मुंशी:** वह तो पैरा 1 पर एक संशोधन था। परिषद् तो इस समय पैरा 1 पर विचार कर रही है।

***श्री एस० नागप्पा:** मैं तो यह कह रहा हूं कि यह भी उसी प्रकार का संशोधन है।

***अध्यक्षः** जब हम उस पर विचार आरंभ करें तो आप वह संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

***श्री के०एम० मुंशीः** श्रीमान्, मेरा एक और संशोधन भी है। मेरा दूसरा संशोधन पैरा 1 के संबंध में है। यह तो केवल पहले प्रस्तुत किये जा चुके संशोधन में संकेत की गई विधि को कार्यरूप में परिणत करने के लिये है।

***अध्यक्षः** यह परिणामस्वरूप है।

***श्री के०एम० मुंशीः** पूर्वकथित विचारों को जारी रखता हुआ श्रीमान्, मैं आपसे इसको प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। संशोधन, जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इस प्रकार है किः

''7 'परिगणित जातियां' इन शब्दों को परिगणना से निकाल दिया जाए और तदनंतर निम्न पैरा रख दिया जाएः

'1 (अ) हिंदू जाति का वह भाग जो कि परिगणित जातियों के नाम से पुकारा जाता है और जिसकी परिभाषा भारतीय सरकार के सन् 1935 के एक्ट (Government of India Act, 1935) की परिगणना 1 में की गई है, को वही अधिकार और लाभ प्राप्त कराये जायेंगे जो कि अल्पसंख्यकों को दिये गये हैं और जिनको कि परिगणना के पैरा 1 में निश्चित कर दिया गया है'।''

हरिजनों को अल्पसंख्यकों की कक्षा से निकाल कर एक स्वतंत्र कक्षा में हिन्दू जाति के अंग के रूप में रखा जाने के परिणामस्वरूप यह संशोधन है। अतः मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

***श्री बी० दास** (उड़ीसाः जनरल): श्रीमान्, मैं श्री मुंशी महोदय द्वारा पेश किये गये संशोधन का संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि ''हिन्दू जाति का वह भाग जो कि परिगणित जातियों के नाम से पुकारा जाता है और जिसकी परिभाषा भारतीय सरकार के सन् 1935 के एक्ट (Government of India Act, 1935) की परिगणना 1 में की गई है''। इस पर मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं किः ''जिसकी परिभाषा भारतीय सरकार के सन् 1935 के एक्ट की

[श्री बी. दास]

परिगणना 1 में की गई है'' इन शब्दों के स्थान पर ''जिसकी परिभाषा संघ-विधान-एक्ट (Union Constitution Act) की परिगणना में की गई है'' ये शब्द रख दिये जायें।

मैं भारतीय सरकार के सन् 1935 के एक्ट (Government of India Act, 1935) में इस नाम की आवृत्ति नहीं चाहता। समिति ने भारतीय सरकार के उस एक्ट (Government of India Act, 1935) की परिगणना पर विचार कर लिया है जिसकी ओर कि यहां पर संकेत किया गया है। हम उसे संघ-विधान-एक्ट (Union Constitution Act) की परिगणना के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यही वह संशोधन है कि जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

'' 'भारतीय सरकार के सन् 1935 के एक्ट' इन शब्दों को निकाल कर 'जिसकी परिभाषा संघ-विधान-एक्ट (Union Constitution Act) की परिगणना में की गई है' ये शब्द रख दिये जायें।''

यह संशोधन है जो कि मैं पेश करना चाहता हूं।

***श्री के॰ संतानम्:** श्रीमान्, मैं श्री बी॰ दास महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए सबसे अंतिम संशोधन के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं। यदि हमने परिगणना बना ली होती, तो अच्छा होता। परिगणना के अभाव में अविद्य-मान परिगणना की ओर किसी विषय का संकेत मैं उचित नहीं समझता। भारतीय सरकार के सन् 1935 के एक्ट (Government of India Act, 1935) की ओर ही संकेत ठीक है क्योंकि इससे एक यथार्थ बात का ज्ञान होता है। मैं यहां तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, इस व्यवस्था में 'धारासभाएं' यह शब्द आता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह 'सुरक्षा' क्या दोनों ही भवनों (Houses) ऊपरले (Upper) और निचले (Lower) के लिए होगी? मेरा अनुमान है कि सुरक्षा केवल निचले भवन (Lower House) के लिये ही होगी, क्योंकि हमारे पास किये गये विधान के अनुसार प्रांतों में ऊपरले भवनों (Upper Houses) का चुनाव आयरिश ढंग (Irish model) पर होगा और संघ (Federation) के ऊपरले भवन (Upper House) का निर्वाचन अमरीकी सैनेट (American Senate) के ढंग पर प्रांतीय धारा-सभाओं द्वारा किया जायेगा। मैं नहीं समझता कि धारासभाओं के ऊपरले भवन (Upper House) में 'सुरक्षा' का कोई मतलब हो सकता है। अत:

मेरा ख्याल है कि 'विविध असेम्बलियां' (various assemblies) ये शब्द रखकर इस विषय को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात कि जिसकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूं, यह है कि यह वाक्य-खंड (Clause) पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल पर लागू नहीं किया जाना चाहिये। विभाजन के परिणामस्वरूप वहां के हालात विचित्र ही हैं। हमें पता नहीं कि आज वहां भिन्न-भिन्न जातियों की आबादी किस अनुपात से है। जब तक हमको आबादी के अनुपात का पता न लग जाये, तब तक आबादी को आधार मानकर स्थानों की सुरक्षा का नियम वहां लागू नहीं किया जाना चाहिये। क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो ऐसे परिणाम निकलेंगे, जिनका आज अनुमान नहीं किया जा सकता। अत: मेरा विचार है कि जब तक हमें यथार्थ रूप से इन दोनों प्रांतों में आबादियों के अनुपात का पता न लग जाए तब तक यह वाक्य-खंड (Clause) वहां पर लागू न किया जाए। मेरा ख्याल है कि साधारणतया अपवाद रूप से इन दोनों प्रांतों को इस रिपोर्ट से परे ही समझा जाये।

एक और बात जिसकी ओर मैं इस संशोधन के प्रस्तावक का ध्यान खींचना चाहता हूं, वह यह है कि यदि किसी निर्वाचन मंडल (Constituency) में उस अल्पसंख्यक की बहुसंख्या हो जिसके लिये 'सुरक्षा' का प्रबंध किया गया है तो वह निर्वाचन मंडल (Constituency) 'सुरक्षा' के बिना ही 'सुरक्षित स्थान' समझा जाए। उदाहरण के तौर पर फर्ज कर लीजिये कि एक जिले में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और वह जिला 'निर्वाचन मंडल' है और उसमें एक या दो 'स्थान' हैं। अब कोई भी ऐसी युक्ति नहीं मिल सकती कि जिसके द्वारा इस निर्वाचन मंडल में सुरक्षा लगाई जाए। मेरे विचार में अमली तौर पर इसे सुरक्षित स्थानों की गिनती में समझा जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो इसके कई दुष्परिणाम निकलेंगे। फर्ज करो, सारे ही जिले में मुसलमानों की बहुसंख्या है और उस जिले में तीन या पांच 'स्थान' हैं। क्या आप मुस्लिम 'स्थानों' को उस 'निर्वाचन मंडल' में सुरक्षित कर रहे हैं कि जहां पर उनकी बहुसंख्या है? मेरे विचार में यह तो व्यर्थ होगा। और यदि आप इन स्थानों को 'सुरक्षित' नहीं करते तो ये 'सुरक्षित' किए जाने वाले स्थानों में न गिने जायेंगे। इस समस्या को अवश्य हल कर दिया जाना चाहिये और विशेष करके कि जब यह नियम पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब में लागू किया जाए तो बिहार और यू॰पी॰ के कतिपय भागों में भी यह समस्या बड़ी महत्त्वशाली बन जायेगी। अत: मेरा सीधा सुझाव यह है कि यदि किसी निर्वाचन मंडल में किसी ऐसे अल्पसंख्यक की बहुसंख्या हो कि जिसके लिए सुरक्षा दी

[श्री के. संतानम्]

गई हो तो उस 'निर्वाचन मंडल' को अवश्य ही 'सुरक्षित' समझ लिया जाना चाहिये, क्योंकि वहां पर मतदाताओं में उनकी बहुसंख्या तो पहले ही विद्यमान है। तदनन्तर इस निर्वाचन मंडल के स्थानों को 'सुरक्षा' की गणना में से कम कर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस बात का विवरण तो प्रत्येक प्रांत की स्थिति को विचार में लाकर ही किया जाना चाहिये। परंतु इस बात पर विचार अवश्य किया जाना चाहिये।

जनगणना के आधार पर 'सुरक्षा' को स्वीकार कर लेने से और कई विचारणीय बातें उठ खड़ी होती हैं। मैं यहां पर उनका जिकर नहीं करूंगा। और अन्य विषयों पर विचार करते समय मैं उन पर अपनी राय जाहिर करूंगा। मेरा सुझाव है कि इन तीनों बातों को यहां पर ही स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये या इन पर किसी समय भविष्य में अवश्य ही विचार हो और तदनन्तर वहां पर निश्चय भी कर लिया जाए। वे तीनों बातें ये हैं कि क्या सुरक्षा केवल ऊपरले भवनों (Upper Houses) पर ही लागू की जानी है? और कि इस नियम का प्रयोग क्या पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब में नहीं किया जाना तथा उन निर्वाचन-मंडलों (Constituencies) का जहां कि उन अल्पसंख्यकों की बहुसंख्या हो, जिन्हें कि सुरक्षा दी जानी है, किस प्रकार से निपटारा किया जाना है।

प्रो॰ शिब्बन लाल सक्सेना: श्री मुंशी महोदय ने परिगणना का संशोधन प्रस्तुत किया। परंतु वह परिगणना अभी तक पेश नहीं की गई। मेरा ख्याल है कि उनका संशोधन मेरे संशोधन के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही आ सकता है।

***अध्यक्ष:** श्री मुंशी महोदय ने तो प्रथम वाक्यखंड के किसी एक आदेश पर अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। उन्होंने आपके संशोधन को तो छुआ तक भी नहीं।

***श्री रेवरेण्ड जे॰ रोम डीसूजा, एस॰जे॰** (मद्रास: जनरल): श्री अध्यक्ष महोदय, मैं इन आदेशों पर जो कि सरदार पटेल ने परिषद् के सामने पेश किये हैं, अपने कतिपय साधारण अनुभवों का थोड़े से शब्दों में वर्णन करूंगा। परंतु इससे पहले मैं यद्यपि विलंबित हो गया हूं, तो भी उस तरीके पर जिससे कि अल्पसंख्यक संबंधी प्रश्न को यहां पर निबटाया गया है, अपनी अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मैं उस निपुणता और चतुराई से, जिसके द्वारा विचारों का समन्वय इस रिपोर्ट में प्राप्त किया गया है और उस अत्यधिक कृपालुता तथा समझ के भावों से,

जो कि सरदार पटेल ने इन प्रश्नों पर वाद-विवाद के समय प्रदर्शित किए हैं, बहुत ही प्रभावित हुआ हूं।

मैं जानता हूं कि 'सुरक्षा' का प्रश्न एक ऐसी बात है जिसने यहां पर बैठे हुए हममें से बहुत से लोगों के मनों को संतप्त कर दिया है। पृथक् चुनाव-विधि का तो अब खात्मा होना ही चाहिये। और यदि इस बात में अभी शक है तो इस विषय में अत्यंत उचित और शक्तिशाली व्याख्यान जो कि हमने आज सुना है, इन सब संदेहों को शांत कर देगा। इसको सुनकर तो संदिग्धात्मा व्यक्ति भी ''पृथक् चुनाव का खात्मा हो जाना चाहिये'' इस निबंध से सहमत हो गए हैं। परंतु दूसरी ओर यह सर्वथा स्पष्ट नहीं हुआ और कइयों को अभी तक इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ कि 'सुरक्षा' उसका सबसे अधिक हर्षोत्पादक स्थानापन्न है। यह तो एक समझौता है और अन्य समझौतों की तरह यहां भी तर्क-शून्यता का कुछ न कुछ अंश अवश्य है। मैं कहता हूं कि यह इसलिये नहीं कि सुरक्षा कोई बुरी वस्तु है; अपितु इसका कारण यह है कि सर्वत्र यह संस्कार फैल गया है कि 'सुरक्षा' प्रजातंत्र विरोधी बात है और आगामी दस वर्षों में हमें इससे किसी न किसी तरह छुटकारा अवश्य पा लेना चाहिये। मेरा निवेदन है कि मैं इससे सहमत नहीं। चुनाव के नियम को संतोषजनक तरीके से चलाने के लिये यह एक उपाय है। श्रीमान्, आखिर को हम स्वयं ही इसी परिषद् में तथा प्रांतीय दायरे में भी ऊपरले भवनों (Upper Houses) की व्यवस्था कर ही रहे हैं, जहां कि भिन्न-भिन्न व्यवसायों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। व्यावसायिक आधार पर दिया गया प्रतिनिधित्व अपने ढंग से विशेष प्रकार की 'सुरक्षा' से किसी प्रकार भी कम नहीं। यहां पर आप हित विशेषों के लिए 'स्थानों' को 'सुरक्षित' करते हो। अभाग्य की बात यह है कि यहां पर 'सुरक्षा' सांप्रदायिक लाइनों पर दी जाती है। और दूसरी मुश्किल है कि 'सुरक्षा' में 'सुरक्षित स्थानों' पर चुनाव केवल उन लोगों द्वारा ही नहीं किया जाता कि जिनके लिये सुरक्षा दी गई है अपितु साधारण निर्वाचक-मंडल (Constituency) में मिले-जुले मतदाताओं द्वारा ही चुनाव किया जाता है। और यही मुसीबत की जड़ है। मैं इस परिषद् से प्रार्थना करूंगा कि वह यह समझ ले कि इस विषय में जो कुछ एक संदेह व्यक्त किए गए हैं उनका कारण भी यही चीज है और कुछ नहीं। किंतु फिर भी मेरा यह विश्वास है कि साधारण मतदाताओं द्वारा किए जाने वाले चुनाव में 'सुरक्षा' का नियम एक बहुत निर्भीक परीक्षण है। यह ठीक है कि इसमें खतरे बहुत हैं परंतु फिर भी इस नाजुक समय में सबके संतोष के निमित्त यह अवश्य ही किया जाना चाहिये। यह त्यागा नहीं जा सकता। इस परिषद् में बहुमत-दल को मैं स्मरण करा देना चाहता हूं कि वर्षों

[श्री रेवरेण्ड जे. रोम डीसूजा, एस.जे.]

तक लगातार कांग्रेस दल ने अपने आपको इस मांग से कि देश में चुनाव 'सुरक्षा' के साथ संयुक्त विधि से होने चाहियें, संबंधित रखा है। अगर इस स्थिति में 'सुरक्षा' को त्याग दिया जाये, जैसा कि मेरे कुछ-एक मित्र करना चाहते हैं, तो यह उन वायदों के विरुद्ध होगा जो यदि स्पष्ट नहीं तो अभिप्रेत रूप (implicit) से तो अवश्य किये गये थे। यह है एक कारण, जिससे कि हम इन वायदों से पीछे नहीं हट सकते। मुझे यह कहते हुये फिर प्रसन्नता होती है कि जिस विधि से सरदार पटेल ने एतद्विषयक अल्पसंख्यकों के भावों को व्यक्त किया है, उससे हम में संतोष और विश्वास की लहर दौड़ गई है और उसके लिये हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हम सबको उस दिन सचमुच प्रसन्नता होगी यदि किसी दिन यह सुरक्षा भी हटाई जा सके। और मुझे यकीन है कि यदि दूसरा मार्ग जो कि इस समय परिषद् और देश के सामने खुला है, अपनाया गया अर्थात् यदि उन जातियों के सदस्यों को जिनके लिये कि 'सुरक्षा' दी गई है, साधारण स्थानों पर खड़ा होने दिया गया और यदि यह मार्ग कुछ संतोषजनक सिद्ध हुआ अर्थात् यदि उसे आधार मानकर कतिपय प्रमुख और सर्वप्रिय लोग चुन लिये गए, तो मैं समझता हूं कि इससे अल्पसंख्यकों को इस बात के लिये प्रोत्साहन मिलेगा कि कुछ समय के पश्चात् वे 'सुरक्षा' का भी त्याग कर दें। इससे उनके ऐसे संशय कि वर्तमान प्रबंधानुसार शायद उनके ऐसे प्रतिनिधि चुने जायें जो कि वास्तव में उनका ठीक प्रतिनिधित्व न करते हों या जो उनके हृदय की बातों को उस ढंग से व्यक्त न करते हों जैसे कि उनसे आशा की जाती हो, दूर हो जायेंगे। अत: अपने कथन को समाप्त करने से पहले मैं परिषद् से प्रार्थना करूंगा कि वे इस महत्त्वशाली परीक्षण को इस प्रकार चलायें जिससे कि यह सफल हो जाये। परंतु यह तभी हो सकता है यदि इससे उन अल्पसंख्यकों का संतोष किया जा सके जिनके लिए कि यह परीक्षण किया जा रहा है। इसका सीधा रास्ता यह है कि ऐसे ही व्यक्ति चुने जायें जो अपने विचारों के लिये दु:ख उठाने का साहस रखते हों और कि यदि साहसपूर्वक वे अपने विचारों को व्यक्त करें तो बहुसंख्यक इससे रुष्ट अथवा अप्रसन्न न हों, अपितु उनकी इस साहस तथा सच्चाई के लिए प्रशंसा की जाये। इस प्रकार का व्यवहार उन भावनाओं के व्यक्त होने के लिये एक सुरक्षित मार्ग बना देगा जो अन्यथा दबकर रूपोश हो जायेगी। इस प्रकार यह प्रजातंत्र को चलाने के लिये एक प्रभावशाली संरक्षक सिद्ध होगा।

हमें पता है कि पार्लियामेंट के ढंग का प्रजातंत्र इंग्लैंड में बहुत ही अच्छी तरह से सफल रहा है। परंतु अन्यत्र सर्वत्र यह असफल सिद्ध हुआ है। इस असफलता का असली कारण यह है कि बहुसंख्यक दल अथवा समुदाय को

चुनाव-यंत्र (Machinery of election) पर अधिकार करने की विधि आ गई है, जिससे कि वे जनता के विचारों पर अधिकार जमा लेते हैं। कतिपय योरोपियन (European) देशों में इन तरीकों के विरुद्ध बड़ी प्रबल प्रतिक्रिया का उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप तानाशाही (Fascism) रूपी दानव संसार में प्रकट हुआ। परन्तु तानाशाही (Fascism), जो कि अभी अपने भद्दे रूप में ही थी, ने भी व्यक्ति अथवा अल्पसंख्यक के विचारों को संभवतया दबाने के लिये एक तदबीर सोची। यह तदबीर थी, कार्याधार पर प्रतिनिधित्व का दिया जाना। इसका उन्होंने सामष्टिक राजसत्ता (Corporative State) नाम रखा। यह तदबीर आज संसार में तानाशाही (Fascism) से संबंधित होने के कारण अत्यंत ही बदनाम हो गई है। कहा जाता है कि इसमें सब बुराइयां ही बुराइयां हैं और गुण कोई भी नहीं। श्रीमान्, यदि इन बातों को ध्यान में रखा जाये और 'सुरक्षा' सहित संयुक्त चुनाव-विधि की पद्धति को उचित अवसर दिया जाये, तो संभव है कि हमारा देश इस नई पद्धति का आविष्कार करके या यों कहो कि इसका साहसपूर्ण परीक्षण करके प्रजातंत्र को सामने दृष्टिगोचर होने वाले एक बहुत बड़े खतरे से बचा ले। और यह भी मुमकिन है कि अल्पसंख्यक की समस्या के हल करने का यह एक ऐसा तरीका सिद्ध हो कि जिसका अनुकरण शेष संसार के लोग करने लग जायें। यह कहते हुए मुझे अच्छी तरह पता है कि जिन अर्थों की ओर मैंने संकेत किया है, उन अर्थों में सफलता की कोई अधिक आशा नहीं। परंतु फिर भी मुझे उम्मीद है कि इसे अप्रसन्न और मजबूर होकर अल्पसंख्यकों के लिये दी गई सुविधा के रूप में न समझा जायेगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि इस पद्धति को उन ही भावों से चलाया जायेगा जिनसे प्रेरित होकर यह बनाई गई है, ताकि अल्पसंख्यकों को वह आश्वासन मिल सके जिनके लिए कि उन्होंने आपसे प्रार्थना की है।

पं. चतुर्भुज पाठकः माननीय सभापति जी, मेरे भाई खांडेकर साहब ने जो अपने एमेंडमेंट में यह चाहा है कि सन् 1931 की जनगणना के अनुसार उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना स्वीकार किया जाये, इसके लिये मुझे थोड़ा-सा निवेदन करना है कि अगर 1941 की जनगणना के अनुसार आज हम सब माइनोरिटीज को प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं और सन् 1931 के अनुसार एक माइनोरिटी को इसका प्रतिनिधित्व दें तो उसका असर दूसरी माइनोरिटीज पर भी पड़ेगा; और जैसा कि उन्होंने बतलाया है कि जनगणना करने में गलतियां हुई हैं, उनको कहीं तो मुसलमान लिखवाया गया है और कहीं सवर्ण जातियों में दर्ज कराया गया है। चूंकि मुसलमानों की संख्या इस तरह से बंटी होगी, इसलिये वह भी सन् 1931 के अनुसार अपना

[पं. चतुर्भुज पाठक]

प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहेंगे और 4 साल बाद आने वाली जनगणना यदि ठीक हुई और उसमें अछूतों की संख्या बढ़ी तो खांडेकर साहब को फिर लालायित होना पड़ेगा कि हमको 1931 की जगह 1951 की सेंसस के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आती।

श्री एच॰जे॰ खांडेकरः मैं तो यही कहता हूं कि सीटों का बंटवारा करने के पहले सेंसस लिया जाये। यों तो 1951 के सेंसस के बाद सीटों का बंटवारा हो या 1921 के सेंसस के आधार पर हमारी संख्या समझी जाये। 1951 सेंसस में, या अभी सेंसस लिया गया तो जो भी हमारी संख्या रहेगी, उसके आधार पर मैं अपनी कौम के लिए जगह स्वीकार करूंगा। मगर 1941 का सेंसस बिलकुल गलत है। उस पर सीटों का बंटवारा करना हरिजनों के प्रति बड़ा अन्याय होगा।

पं. चतुर्भुज पाठकः खांडेकर साहब ने यह बतलाया है कि अछूतों में उत्पत्ति तो अधिक होती है, पर लेकिन मतगणना के समय उनकी गिनती कम हो गई है। इसका खास कारण यह है और यह खुशी की बात है, जैसा वह कहते हैं कि कई जगह उन्हें सवर्णों में मान लिया गया है। यह अच्छी बात है। सवर्णों ने ही यह बात उठाई थी कि हरिजन भाइयों के साथ बुरा व्यवहार न किया जाना चाहिए और उन्हें अपने जैसा ही मानना चाहिए। उस पर खांडेकर साहब को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री एच॰जे॰ खांडेकरः सिर्फ सवर्णों की संख्या बढ़ाने के लिए और हरिजनों की संख्या घटाने के लिए ही उन्हें सवर्णों में लिखा गया। इस कार्रवाई से हरिजनों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिन हरिजनों के नाम सवर्णों में लिखे गये, वे आज भी उसी बुरी दशा में हैं। उनका स्टैंडर्ड सवर्णों जैसा नहीं है।

पं. चतुर्भुज पाठकः मैं तो ऐसा नहीं समझता। वह जब सवर्णों में आते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड भी सवर्णों का बन जाता है। और सवर्णों के सभी अधिकार उन्हें आप से आप मिल जाते हैं।

मुझे यही निवेदन करना है कि खांडेकर साहब ने जो संशोधन रखा है कि ''सन् 1931 की जनगणना के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाये'' मैं इसका विरोध करता हूं। और इसमें (प्रस्तावित रिपोर्ट में) कोई संख्या नहीं दी गई है। इसमें लिखा है:–

''उनकी जनसंख्या के आधार पर'' अर्थात् उनकी जनसंख्या के अनुसार उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाये। इसका मैं समर्थन करता हूं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** इसके कई एक संशोधन प्रस्तुत हो चुके हैं। एक ऐसा संशोधन श्री मुंशी महोदय ने पेश किया है। इसके द्वारा श्री मुंशी महोदय 'परिगणना' इस शब्द के पश्चात् 'और हिन्दू-जाति का वह अंग जिसका संकेत कि इसके पैरा 1 (अ) में किया गया है' रखना चाहते हैं। यह तो स्पष्टता के लिये किया जा रहा है और इससे कोई बड़ा भेद नहीं पड़ता; अत: मैं इसे स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं।

जहां तक श्री खांडेकर महोदय के संशोधन का संबंध है, मेरे विचार में हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। परिगणित जातियों के लिये यह विशेष अपवाद बनाना कि उनको 'सुरक्षा' एक जनगणना के आधार पर दी जाये और अन्य अल्पसंख्यकों को 'सुरक्षा' किसी दूसरी जनगणना के आधार पर दी जाये, उचित न होगा। यह भेद ठीक नहीं और इससे ईर्ष्या भी उत्पन्न होगी। मैं समझ नहीं सका कि वह ऐसा क्यों करना चाहते हैं? संभवत: वह उन लोगों में से कुछ को जो कि 1931 की जनगणना में परिगणित जातियों में गिने गये थे, बाहर रखना चाहते हैं। मेरे विचार में ऐसा करना आजकल की हालत में उचित नहीं। वह प्रस्ताव जो कि मैंने प्रस्तुत किया है, उसमें तो किसी जनगणना का जिक्र नहीं। हमने तो केवल यह कहा है कि ''उनकी आबादी (population) के आधार पर,'' अत: इसे ऐसा ही रहने देना चाहिये। किसी भी जाति से अन्याय नहीं किया जा रहा और इसके साथ ही हम समता चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करना बड़ा आवश्यक है।

श्री के॰ संतानम महोदय ने भी एक संशोधन प्रस्तुत किया है और उसके साथ ही दो-तीन सुझाव भी पेश किये हैं। उनमें से एक अल्पसंख्यकों के लिये विविध धारासभाओं में दी जाने वाली 'सुरक्षा' से संबंध रखता है। उनका कहना है कि यहां 'विविध लेजिस्लेटिव एसेंबलियां (Legislative Assemblies)' ये शब्द होने चाहियें। इस संशोधन को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं।

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

उन्होंने यह बात भी कही है कि तीसरे वाक्यखंड से पूर्वी पंजाब को पृथक् रखना चाहिये।

***श्री के० संतानम्:** और पश्चिमी बंगाल को भी।

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल: मेरे विचार में इस संशोधन को स्वीकार करना आवश्यक नहीं, क्योंकि वे नियत रूप से तीसरे वाक्यखंड में पृथक् ही रखे गये हैं।

उनका तीसरा सुझाव यह था कि उन निर्वाचन-मंडलों में कि जहां कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्या में हों, तो वहां के 'स्थानों' की गिनती सुरक्षित स्थानों में की जानी चाहिये। मैं इस सुझाव को ठीक नहीं समझता। आबादी के आधार पर 'स्थान' सामूहिक तौर पर सुरक्षित किये जाते हैं, न कि किसी विशेष निर्वाचन स्थान को दृष्टि में रखकर। अत: मैं इसे स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव नहीं करता।

कहने का सार यह है कि मैं श्री मुंशी महोदय के संशोधन तथा श्री संतानम् महोदय के उस सुझाव को जो कि 'लेजिस्लेटिव एसेंबलियां' इन शब्दों को रखने के लिये है, स्वीकार करने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं परिषद् से इस प्रस्ताव (resolution) को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं अब पहले संशोधन पर, जोकि सरदार पटेल द्वारा कबूल कर लिया गया है, मत लेता हूं।

प्रश्न यह है कि:

''प्रथम सूची के 25-8-47 तिथि के 19वें संशोधन में ''स्थानों'' इस शब्द की जगह ''प्रतिनिधित्व'' यह शब्द रख दिया जाए, इन शब्दों के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें:

'परिगणना' इस शब्द के पश्चात् ये शब्द 'और हिन्दू जाति का वह भाग जिसका कि आगे पैरा (अ) में संकेत है' रख दिए जायें।''

संशोधन स्वीकार हो गया।

***श्री एच०वी० कामत:** श्री बी० दास ने इसका जो संशोधन पेश किया था, उसका क्या हुआ?

***अध्यक्षः** उनका संशोधन यह था कि 'भारतीय सरकार के सन् 1935 के एक्ट (Government of India Act 1935)' इन शब्दों के स्थान पर 'संघ-विधान-एक्ट (Union Constitution Act)' ये शब्द रख दिये जायें। यह एक शाब्दिक संशोधन है। और जब एक्ट (Act) का वास्तविक लेख तैयार किया जायेगा, तो वहां पर इसे उचित रूप में रखने का ख्याल रखा जायेगा। क्या वह इसके लिये जोर देते हैं?

***माननीय श्री एन॰ गोपालस्वामी आयंगरः** आप 'संघ-विधान-एक्ट (Union Constitution Act)' यह कह नहीं सकते। इस समय जो स्थिति है, वहां पर कोई भी परिगणना नहीं। श्री मुंशी महोदय ने जो कह दिया है, वह ही यथार्थ वर्णन है।

***अध्यक्षः** क्योंकि उक्त सदस्य उपस्थित नहीं है, अतः इस संशोधन को मुझे परिषद् के सामने मत (Vote) के लिये रखना पड़ेगा।

प्रश्न है किः

'' **'जिसकी परिभाषा भारतीय सरकार के सन् 1935 के एक्ट (Government of India Act, 1935) की परिगणना 1 में की गई है' इन शब्दों के स्थान पर 'जिसकी परिभाषा संघ-विधान-एक्ट (Union Constitution Act) में की गई है' ये शब्द रख दिये जायें।**''

यह संशोधन अस्वीकार हो गया।

***अध्यक्षः** इसके बाद श्री खांडेकर महोदय का संशोधन है।

***श्री एच॰जे॰ खांडेकरः** मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

परिषद् की अनुमति से यह संशोधन लौटा लिया गया।

***अध्यक्षः** इसके पश्चात् श्री मुनिस्वामी पिल्ले का यह संशोधन है कि 'दस वर्ष' इन शब्दों के स्थान पर 'बारह वर्ष' ये शब्द रखे जायें।

***श्री वी॰आई॰ मुनिस्वामी पिल्लेः** मैं इसे वापस लेता हूं।

परिषद् की अनुमति से यह संशोधन लौटा लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है कि दो आदेश, जो कि संशोधित किये जा चुके हैं, स्वीकार कर लिये जायें।

यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** अब हम परिगणना को लेते हैं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** मैं परिषद् के सामने स्वीकृति के निमित्त वह परिगणना प्रस्तुत करता हूं, जो कि प्रथम पैरा में रखी गई है। ऐसा करने के निमित्त सबसे पहले मैं इसे पढ़ता हूं।

परिगणना

कक्षा (अ) भारतीय संघ में रियासतों को छोड़कर आधे प्रतिशत से न्यून आबादी वालेः

(1) एंग्लो इंडियन।

(2) पारसी।

(3) [चाय के बागों में रहने वाले कबीलों से भिन्न] आसाम के मैदानों में रहने वाले कबीले।

कक्षा (इ) वे जिनकी आबादी $1^{1}/_{2}$ प्रतिशत से अधिक नहीं।

(4) भारतीय ईसाई।

(5) सिख।

कक्षा (उ) वे जिनकी आबादी $1^{1}/_{2}$ प्रतिशत से अधिक है।

(6) मुसलमान।

(7) परिगणित जातियां।

यह परिगणना अल्पसंख्यकों के बल पर निर्धारित है। यह इसलिये बनाया गया है कि पीछे आने वाली धारा में सम्बद्ध व्यवस्थायें (Provisions) अनुकूलता-पूर्वक रखी जा सके। अतः यह रिवाजी कार्य है। इस विषय के संबंध में कोई वाद-प्रतिवाद (Controversy) नहीं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह परिगणना स्वीकार कर ली जाए।

अध्यक्षः इसका तो एक ही संशोधन आया है और उसके भेजने वाले हैं प्रो॰ शिब्बनलाल सक्सेना। वैसे तो यह उस संशोधन के जो कि हमने अभी-अभी

स्वीकार किया है, अन्तर्गत ही आ जाता है। परंतु फिर भी नियमानुसार यह पेश ही किया जाना चाहिये। अतः वह इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

***प्रो॰ शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रांतः जनरल): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन 85वां है। इसका कहना है कि 'परिगणित जातियां' ये शब्द परिगणना से निकाल दिये जाएं। संशोधन का आशय यह है कि परिगणित जातियों को एक जुदे अल्पमत के तौर पर नहीं माना जाना चाहिये। अपितु इसे तो हिंदू जाति का एक निजी अंग करके गिना जाना चाहिये। मेरे संशोधन के शब्द इस प्रकार हैं कि:

''परिगणना के प्रथम पैरा के (उ) कक्षा में से '(7) परिगणित जातियां' ये शब्द निकाल दिये जाएं।''

मैं इस सभा का ध्यान एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह है। सभा को याद होगा कि मि॰ जिन्ना ने परिगणित जातियों को अल्पसंख्यकों में रखने की प्रायः चेष्टा की है। 26 जून 1946 को मौलाना अबुल कलाम आजाद के पत्र के उत्तर में कहा जाता है कि लार्ड वावेल ने यह कहा था:

''अल्पसंख्यकों को दिये हुए स्थानों में अगर कोई स्थान रिक्त होगा तो उसकी पूर्ति के पहले अवश्य ही मैं दोनों दलों से परामर्श करूंगा।''

इस तरह मि॰ जिन्ना ने परिगणित जातियों को अल्पसंख्यकों में शामिल किया है। किन्तु जहां तक हम लोगों का संबंध है, हम परिगणित जातियों को हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। वे अल्पसंख्यक नहीं हैं। वे सदा हमारे ही अंग रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि श्री मुंशी ने अपना संशोधन रखा है जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। अतः उनके संशोधन के पक्ष में मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

***श्री के॰एम॰ मुंशी** (बम्बईः जनरल): श्रीमान्, क्योंकि प्रो॰ शिब्बनलाल महोदय ने 85वां संशोधन प्रस्तुत कर दिया है, अतः अब मैं अपना संशोधन पेश करता हूं कि:

''तीसरी सूची के 26-8-47 तिथि के 85वां संशोधन में '(7) परिगणित जातियां' इन शब्दों को निकाल दिया जाये और पैरा 1 के पश्चात् निम्न पैरा डाल दिया जाये:

'1 (अ) हिंदू जाति के उस अंग, जिसे कि परिगणित जातियां कहा जाता है और जिसकी परिभाषा भारत सरकार के सन् 1935 के

[श्री के.एम. मुंशी]

एक्ट (Government of India Act, 1935) की परिगणना 1 में की गई है, को वही अधिकार और लाभ प्राप्त होंगे जो कि यहां उन अल्पसंख्यकों को दिये गये हैं जो कि परिगणना के पैरा 1 में नियत कर दिये गये हैं।' ''

***श्री लक्ष्मीनारायण साहू** (उड़ीसा: जनरल): श्रीमान्, इस परिगणना पर आदिवासियों के संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे विचार में यहां कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जो कि आदिवासियों को भी इस परिगणना में शामिल कर ले। यह एक सच्चाई है कि देश में आदिवासी ढाई करोड़ हैं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** आदिवासी और दूसरे कबीलों से संबंधित प्रश्न पर जुदा समिति विचार कर रही है। इसकी रिपोर्ट भी शीघ्र ही पेश होने वाली है।

***श्री लक्ष्मीनारायण साहू:** परंतु क्या हम इस विषय में यहां पर कोई व्यवस्था नहीं रख सकते?

***अध्यक्ष:** आदिवासियों तथा अन्य कबीलों के लिये एक जुदा समिति बनाई गई है। और यदि ऐसी कोई सिफारिश उस समिति की रिपोर्ट में हुई तो उस रिपोर्ट पर विचार करते समय हम उस पर भी विचार कर लेंगे।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार: जनरल): श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विचार न था कि मद अ॰ 3 ''आसाम में मैदानी कबीले'' पर तब तक विचार न किया जाये जब तक कि समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त न हो जाये? मेरा ख्याल था कि परामर्श-समिति में यह निश्चय किया गया था कि मद अ॰ 3 पर विचार न किया जाये; परंतु इस मद को मैं यहां पर सम्मिलित पाता हूं।

***अध्यक्ष:** मुझे डर है कि जो कुछ आपने कहा है उसे मैं समझ नहीं पाया।

***श्री जयपाल सिंह:** समिति की रिपोर्ट कल दोपहर पश्चात् (After noon) से पूर्व ही हमारे सामने आ जायेगी। क्योंकि वह अभी तक विचाराधीन है, अत:

मेरा सुझाव है कि मद अ॰ 3 को अलग ही रख दिया जाये। इसके शब्दों को छुआ न जाये और न ही उस पर इस समय विचार हो। हम इस पर बाद में विचार कर लेंगे, कल ही सही।

***अध्यक्ष:** तो क्या आपका यह सुझाव है कि अ॰ 3 ''आसाम के मैदानी कबीले'' को सूची से निकाल दिया जाये?

***श्री जयपाल सिंह:** हां, इसे सूची से इस समय के लिये निकाल लिया जाये और इसके शब्दों का कल निश्चय किया जाये।

***अध्यक्ष:** इस पर तब विचार किया जायेगा जब कि कबीलों संबंधी समिति की रिपोर्ट पेश होगी। इस समय तो यह पृथक् कर दिया जायेगा।

***माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलोई** (आसाम: जनरल): श्रीमान्, मुझे डर है कि श्री जयपालसिंह महोदय एक भूल कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या आसाम के मैदानी कबीलों को अल्पसंख्यक के रूप में माना जाना है? और इसका निश्चय अल्पसंख्यक समिति ने कर दिया है। और यही बात है कि जिस पर हम विचार कर रहे हैं। परंतु उन्हें कौन सी सुविधायें दी जानी हैं, इस बात का निश्चय 'परामर्श समिति' से प्राप्त होने वाली सम्मिलित रिपोर्ट पर छोड़ दिया गया है। और यह रिपोर्ट हमारे सामने कल या फिर कभी इसके पश्चात् आ जायेगी।

***श्री अमिय कुमार दास** (आसाम: जनरल): श्रीमान्, मैं 57वें संशोधन पर कह रहा था कि:

> ''पैरा 1 में 'आसाम के मैदानी कबीलों' इन शब्दों के स्थान पर 'चाय के बागों पर कार्य करने वालों के अतिरिक्त आसाम के मैदानी कबीलों' इन शब्दों को रख दिया जाये।''

क्या इस समय मुझे इसे प्रस्तुत करना है? या मैं यह समझूं कि वह पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** यह स्वीकार कर लिया गया है कि ''चाय के बागों पर कार्य करने वालों के अतिरिक्त आसाम के मैदानी कबीले'' ये शब्द ''आसाम के मैदानी कबीले'' इन शब्दों के स्थान पर रख दिये जायें।

***अध्यक्षः** हां, यह उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

***श्री लक्ष्मीनारायण साहूः** अब जब कि उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है तो क्या मैं यह जोर नहीं दे सकता कि आदिवासियों को भी परिगणना में सम्मिलित कर लिया जाये? श्रीमान्, उड़ीसा के पहाड़ी कबीलों की संख्या पंद्रह लाख है और कुल आबादी का छठा हिस्सा हैं।

***अध्यक्षः** परंतु आपने ऐसे किसी संशोधन की सूचना (Notice) तो नहीं दी। शायद हरएक ने यही समझा कि यह विषय किसी न किसी तरह उस उपसमिति की रिपोर्ट के साथ ही पेश होगा जो कि बनाई जा चुकी है। अतः किसी ने भी इस विषय में कोई संशोधन पेश नहीं किया। मेरा ख्याल है कि जब उस उपसमिति की सिफारिशें प्राप्त हो जायें और उनमें से कोई यहां पर किये गये निश्चयों के विरुद्ध हो तो वह स्वयंमेव ही एक संशोधन का काम करेगी।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** उस उपसमिति की रिपोर्ट जब पेश होगी तो कबीलों को दिये जाने वाले संरक्षणों का निश्चय उस रिपोर्ट के अनुसार ही किया जायेगा। यहां पर भिन्न-भिन्न प्रकार के अल्पसंख्यकों की उनके बल के क्रमानुसार गिनती की गई है। अतः जहां तक परिगणना का संबंध है, किसी प्रकार के संदेह या आशंका के लिये वहां कोई जगह नहीं। उपसमिति ने जिन-जिन संरक्षणों की सिफारिश की है वे हर हालत में दिये जायेंगे। इस बात में संदेह के लिये कोई अवसर ही नहीं है।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहारः जनरल): श्रीमान्, एक वैधानिक आपत्ति है। अब हम क्योंकि अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात को क्या परामर्श-समिति ने या अल्पसंख्यक-समिति ने ही केवल पेश किया है? यदि मैं भूलता नहीं तो मुझे स्मरण पड़ता है कि यह मद विशेष करके रोक ली गई थी और इस बात पर सब सर्वसम्मत थे कि जब तक कबीलों-संबंधी दोनों समितियों की रिपोर्टें पेश न हो जायें तब तक इस विषय पर विचार न किया जाये।

***श्री के॰एम॰ मुंशी** (बम्बईः जनरल): क्या इस विषय में एक शब्द कह सकता हूं? इस बात पर कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। परंतु यदि आप रिपोर्ट को देखें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। रिपोर्ट के पैरा 8 में कहा गया है कि इन कबीलों

के लोगों का मामला तब उठाया जायेगा जब कि पृथक तथा अर्ध-पृथक क्षेत्रों की उपसमिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी। परंतु इसके साथ ही आप पैरा 5 पर दृष्टि डालें। यहां पर उन अल्पसंख्यकों की गिनती की गई है जो कुछ न कुछ अधिकारों के अधिकारी हैं। इसलिये समूह (अ) में आपको ''आसाम में मैदानी कबीलों के लोग'' ये शब्द मिलते हैं। अतः जो चीज स्थगित की गई है, वह मैदानी कबीलों के लोगों की परिगणना में शामिल किया जाना नहीं अपितु वे संरक्षण हैं कि जिनको पृथक् क्षेत्रों-संबंधी समिति की रिपोर्ट के पश्चात् परिषद् को विस्तृत करना या बदलना है। अतः जिस बात को पूरा करने की कोशिश की जा रही है वह है ''आसाम में मैदानी कबीलों के लोगों का परिगणना में शामिल किया जाना''। यह ऐसी बात नहीं कि जो यह निश्चय कर सके कि संरक्षण कौन-कौन से होंगे। यह है वास्तविक स्थिति। अतः यहां पर कोई भी वस्तु परस्पर विरुद्ध नहीं।

***माननीय रेवरेंड जे०जे०एम० निकोल्स-राय** (आसामः जनरल): मैं बात को स्पष्ट करने के हेतु एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। समूह (1) मद (3) में ''बागों में काम करने वालों के अतिरिक्त आसाम में मैदानी कबीलों के लोग'' यह लिखा है। मैं ''बागों में काम करने वालों के अतिरिक्त'' इन शब्दों को समझता हूं। बागों में कार्य करने वालों से मुराद है वे लोग जो मजदूरों के तौर पर बागों में काम करते हैं। यहां उन कबीलों से मुराद नहीं जो कि आसाम में आबाद हो चुके हैं और जिनके पास भूमि और दूसरी जायदाद हैं।

***अध्यक्षः** मेरे ख्याल में ये ही इसके अर्थ हैं।

***डा० पी०एस० देशमुख** (मध्य प्रांत और बरारः जनरल): मैंने एक संशोधन भेजा है। वह इस प्रकार है किः

''पैरा (1) की परिगणना में निम्न शब्द और जोड़ दिये जायें:

'समूह (घ) विविध प्रांतों में उन्नत तथा धनी अल्पसंख्यक जातियां और फिरकें।'

टिप्पणी 1–यह व्यवस्था कर दी जायेगी कि इन अल्पसंख्यकों से संबंधित लोगों को 'असुरक्षित स्थानों' पर चुनाव लड़ने की आज्ञा नहीं होगी।

[डा. पी.एस. देशमुख]

टिप्पणी 2–इन अल्पमतों की सूचियां विद्यमान प्रांतों की धारा-सभाओं द्वारा निश्चित की जाया करेंगी।''

मेरे संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन बहुत छोटे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना है जिनके लिये वयस्क मताधिकार के पश्चात् अपनी हस्ती को कायम रखना बहुत कठिन होगा। मेरा आशय उच्च शिक्षा प्राप्त फिरकों तथा उन जातियों से है जो कि इस समय देशभर की सम्पत्ति के एक बड़े भाग के मालिक हैं। इस समय तो दोनों ही बड़े शक्तिशाली हैं। पूर्व कथित लोगों का सरकारी नौकरियों तथा उच्चपदों पर एकमात्र अधिकार है। वेदी (Platform) के वे मालिक हैं और मुद्रण (Press) उनका एक तुच्छ सेवक है, जिस पर कि उनका एकाधिकार है। यही वे लोग हैं कि जिनकी संसार में पूछ है और कोई ऐसा कार्य नहीं जो वे चाहते हों पर कर न सकते हों। उच्च शिक्षा के कारण अंग्रेजी हितों की सेवा करने के उन्हें असीमित अवसर मिले हैं और उन्होंने इस कार्य को किया भी बहुत वफादारी से है। यही कारण है कि पहले के अंग्रेज स्वामी इन पर बहुत खुश रहते थे। उन जातियों ने जो लेन-देन और व्यापार करती थीं अंग्रेजी शासकों को युद्धसामग्री भी दी और शांति की सब आवश्यकताओं को भी पूरा किया। इस समय देश में यदि केवल यही लोग भाग्यशाली दिखाई देते हैं तो इस पर किसी को अचम्भा नहीं होना चाहिये। भारत में अंग्रेजी राज्य को कायम और जीवित रखने का श्रेय इनको ही है। 1942 के विप्लव में भाग लेकर अपनी जानों को खतरे मे डालना उनके लिए अनुकूल न था। उस समय देश के कुछ लोग तो चुपचाप जेल चले गये और दूसरे लोगों ने, जिन्हें अंग्रेजों से कम मुहब्बत थी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यहां तक कि जान भी दे दी। वे लोग जिन्होंने इस प्रकार का त्याग किया था इस समय महसूस करते हैं कि उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही और यह कि उनके त्याग की इस समय कद्र नहीं हो रही है। इसलिये उनके विचार में मौखिक सहानुभूति के अतिरिक्त उनके लिये और कुछ भी नहीं किया जा रहा। ऐसी हालत में खाते-पीते उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को यहां बड़ी घृणा से देखा जाया करेगा और संभव है उन पर अत्याचार भी होने लगें। हमें इस समय दूरदर्शी बनकर इन लोगों के हितों की रक्षा के निमित्त विधान में कोई व्यवस्था (Provision) अवश्य बना देनी चाहिये। इन जातियों को इस समय शिक्षा में उच्च स्थिति अथवा दौलत के बल पर दूसरों से आगे बढ़ जाने का चाहे कितना ही विश्वास क्यों न हो, पर मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि उनके अंदाजे अशुद्ध साबित हो सकते हैं। मुझे ज्ञात है कि संभवतः मेरी

दिली मंशा पर वे संदेह ही करते हों, परंतु मेरा उनसे यही कहना है कि मैं उनके लिये शुभकामना ही चाहता हूं। *(रुकावट)*

***श्री एच॰वी॰ कामठ** (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): क्या मैं आपसे ''उच्च शिक्षा प्राप्त और धनी'' इन शब्दों की परिभाषा करने के लिये कह सकता हूं?

***डा॰ पी॰एस॰ देशमुख:** जब मेरे माननीय मित्र संशोधन को स्वीकार कर लेंगे तो मैं यह परिभाषा भी कर दूंगा। मुझे ज्ञात है कि वे मेरे दिली आशयों पर संदेह भी कर सकते हैं। परंतु उन्हें अन्य स्थानों पर चुनाव लड़ने की आज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आखिर को हैं तो वे ''अन्यों का अत्यधिक खून चूसने वाली (worst parasitic)'' जातियों के ही न! फिर उस सच्चे प्रजातंत्र में जो कि हमारा ध्येय है, इन लोगों को दूसरों के अधिकारों को रौंधने की अबाधित और असीमित शक्ति कैसे दी जा सकती है? अन्यथा आप किस प्रकार इन लोगों को, यदि मैं श्री त्यागी महोदय के शब्दों में कहूं, 'विनाश' से बचा सकते हैं? मेरे विचार में तो ऐसा करने का एक ही मार्ग है और वह यह कि इन्हें ''सुरक्षित स्थान'' दे दिये जायें, परंतु साथ ही इन्हें 'असुरक्षित स्थानों' से परे रखा जाये। परंतु श्रीमान्, मुझे ज्ञात है कि ये भाव जो मैं व्यक्त कर रहा हूं तथा ये सामाजिक झुकाव जिन्हें कि मैं विधान में देखना चाहता हूं, इस परिषद् में जैसी कि वह आज बनी हुई है, अधिक पसंद नहीं किये जाते। इन हालात में तो मैं विधान-निर्माताओं से केवलमात्र प्रार्थनाा ही करूंगा कि वे इन बातों पर विचार करें। और मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना नहीं चाहता।

***अध्यक्ष:** मुझे यह कभी ख्याल न था कि डा॰ देशमुख अपने संशोधन को सचमुच इतनी गंभीरतापूर्वक प्रस्तुत करेंगे। मैं समझता हूं कि यद्यपि वह धनी, मानी और उच्च शिक्षाप्राप्त फिरके से संबंधित हैं, तो भी उन्हें किसी प्रकार की रक्षा की आवश्यकता नहीं। मैं इत्तफाक से उन्हें अपना संशोधन पेश करने के निमित्त बुलाना भूल गया। परंतु मुझे अब ज्ञात हुआ कि मैं जिसे इत्तफाकन भूल समझता था सचमुच एक यथार्थ बात निकली। (*हंसी*) खैर! ये हैं वे सारे संशोधन कि जिनकी सूचना (notice) मुझे प्राप्त हुई थी। सरदार वल्लभभाई पटेल यदि कुछ कहना चाहते हों तो कह लें।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल** (बम्बई: जनरल): मुझे आशा न थी कि इस पर कोई वाद-विवाद होगा; तथापि यह हो गया है। प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को तो मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं और अब परिषद् से इस परिगणना को स्वीकार कर लेने की सिफारिश करता हूं।

***अध्यक्षः** मैं अब श्री शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन पर, जो कि सरदार पटेल ने स्वीकार कर लिया है, मत (Vote) लेता हूं।

यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** मैं अब श्री शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन के श्री मुंशी महोदय द्वारा पेश किये गये संशोधन पर मत (Vote) लेता हूं।

यह संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** मैं अब संशोधित परिगणना पर मत (Vote) लेता हूं।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** अब हम वाक्यखंड (2) को लेते हैं।

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल (बम्बईः जनरल): प्रश्न है किः

''एंग्लो इंडियंसः (अ) एंग्लो इंडियनों के लिए 'स्थानों' की 'सुरक्षा' नहीं होगी। परंतु यदि साधारण चुनाव के परिणामस्वरूप वे धारा-सभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न कर सकें तो संघ (Union) के अध्यक्ष (President) तथा प्रांतों के गवर्नरों को केन्द्र तथा प्रांतों में यथासंख्य करके उनके प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का अधिकार होगा।''

जहां तक एंग्लो इंडियन जाति का संबंध है, यह एक सर्वसम्मत निश्चय है। क्योंकि परामर्श-समिति ने इसे स्वीकार कर लिया है और यह जाति भी इन प्रस्तावों से संतुष्ट हो गई है और यह है भी सर्वसम्मत। अतः मेरा ख्याल नहीं कि कोई इस पर संशोधन पेश करेगा। मैं परिषद् से इसे स्वीकार कर लेने की सिफारिश करूंगा।

***श्री के॰ संतानम्** (मद्रास: जनरल): इस विषय में मेरे एक दो संदेह हैं। मैं उन्हें दूर करना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि यहां धारा-सभाओं से परिषदें अभिप्रेत होंगी। तो क्या इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रांत में गवर्नर एंग्लो-इंडियन के प्रतिनिधि नियत करेगा?

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** इसका अर्थ यही है जो कि यहां पर लिखा हुआ है।

***अध्यक्ष:** मैं अब इस पर मत लेता हूं।

दूसरा वाक्यखंड स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** इससे मुझे स्मरण आ गया। प्रथम वाक्यखंड को प्रस्तुत करते समय मुझसे एक भूल हो गई। मैंने उस समय ''प्रांतीय परिषद्'' नहीं कहा। मैं समझता हूं कि परिषद् इसे स्वीकार करती है।

अब हम अगली मद को लेते हैं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** मैं प्रस्तुत करता हूं कि:

''पारसी–(इ) पारसी जाति के लिए वैधानिक सुरक्षा न होगी। परंतु उनका नाम स्वीकृत अल्पसंख्यकों की सूची पर अवश्य रहेगा; बशर्ते कि उस अवधि में जो कि पैरा (1) की व्यवस्था (2) में नियत की गई है, यदि चुनाव के परिणामरूप यह पता लगे कि पारसी जाति उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सकी तो सुरक्षित स्थानों के लिए उनकी उचित मांगों पर पुन: विचार किया जायेगा और उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाया जायेगा। परंतु यह उसी दशा में किया जायेगा यदि अल्पसंख्यकों का पृथक प्रतिनिधित्व देना उस समय के विधान की विशेषता हुई।''

पारसी जाति और परामर्श समिति दोनों ही इस बात पर सहमत थे। अत: मैं सिफारिश करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाये।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि इस पर किसी प्रकार के वाद-विवाद की कोई आवश्यकता नहीं।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** मैं प्रस्तुत करता हूं कि:

''3 (अ) भारतीय ईसाई–(अ) केन्द्रीय धारासभाओं तथा मद्रास और बम्बई की प्रांतीय धारासभाओं में भी, भारतीय ईसाइयों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से सुरक्षित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। अन्य प्रांतों में उन्हें साधारण स्थानों से खड़े होकर चुनाव लड़ने का अधिकार होगा।''

ईसाई जाति तथा परामर्श समिति दोनों ही इस बात पर सहमत थे। अत: मैं परिषद् से इसे स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

***माननीय बी॰ गोपाल रेड्डी** (मद्रास: जनरल): मेरा ख्याल है कि परामर्शक भी इसमें शामिल हैं। मद्रास कौंसिल (Council) में हमारे लिये 3 स्थान सुरक्षित किये गये हैं।

***अध्यक्ष:** हां, मैं समझता हूं कि यहां इससे लेजिस्लेटिव असेम्बली (Legislative Assembly) और कौंसिल (Council) मुराद है। मैं इसे मतप्रदर्शन के लिये परिषद् के सामने पेश करता हूं।

यह प्रस्ताव पास हो गया।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** हम पंजाब के प्रश्न को जब तक कि वहां के हालात का अच्छी तरह पता न लग जाये तथा वहां अमन कायम न हो जाये स्थगित कर देना चाहते हैं। हमें इस प्रश्न को स्थगित किये रखना चाहिये। मेरा ख्याल है परिषद् मेरे इस सुझाव से सहमत होगी।

***अध्यक्ष:** पूर्वी पंजाब में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रश्न पर पृथक् विचार किया जायेगा। मेरा ख्याल है कि यहां एक ऐसा संशोधन भी है कि जो यह कहता है कि पश्चिमी बंगाल को भी इसमें शरीक कर लिया जाये। क्या उसे भी शामिल कर लिया जाना चाहिये?

***श्री के॰एम॰ मुंशी** (बम्बई: जनरल): श्री पंडित ठाकुरदास भार्गव का 24वां संशोधन पूर्वी पंजाब से संबंधित है। उसका संशोधन (सं॰ 3) माननीय प्रस्तावक के आशय को पूरा करने के लिये मैंने पेश किया है।

***अध्यक्ष:** इस स्थिति में हम श्री मुंशी महोदय के संशोधन को लेते हैं।

***पं. ठाकुरदास भार्गव** (पंजाब: जनरल): मेरा संशोधन पैरा 3 के (3) भाग पर है। मैं इसे पेश करता हूं।

***श्री के०एम० मुंशी:** श्रीमान्, मैं संशोधन पेश करता हूं। वह इस प्रकार है कि:

''कि सूची 1 के 25 अगस्त' 47 के 24वें संशोधन में 'पैरा 3 के (3) के ''स्थान'' इस शब्द की बजाए ''प्रतिनिधित्व'' यह शब्द रख दिया जाये' इन शब्दों के स्थान पर निम्न शब्द रख दिए जाएं–

खंड 3 का (3) के 'सिख (इ)' इन शब्दों से आरंभ करके अंत तक के शब्द निकाल दिये जायें, और इसके स्थान पर निम्न शब्द रखे जाएं:

'पूर्वी पंजाब (इ) पूर्वी पंजाब की इस समय की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में सारे ही प्रश्न पर फिर कभी विचार किया जाए'।''

यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाए तो सारा वाक्यखंड इस प्रकार होगा–

''सिख–(इ) पूर्वी पंजाब की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में सारे ही प्रश्न पर फिर कभी विचार किया जाए।''

यह वर्तमान पैरा के स्थान पर आ जायेगा।

***श्री एस०एम० रिजवान अल्ला** (संयुक्त प्रांत: मुस्लिम): श्रीमान्, इस संशोधन पर मैं एक वैधानिक आपत्ति रखना चाहता हूं। यह अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट है। विविध अल्पसंख्यकों के संबंध में इस रिपोर्ट में भिन्न-भिन्न व्यवस्थायें रखी गई हैं। जहां तक सिखों का संबंध है, अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट में उनके संबंध में कोई निश्चय नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिखों से संबंधित विषयों पर बाद में निश्चय किया जायेगा।

अब सिखों के स्थान पर एक प्रांत को रखकर एक संशोधन पेश किया गया है। इस प्रकार एक अल्पसंख्यक के स्थान पर प्रदेश का सवाल सामने लाया गया है। यह अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट है। इसका किसी प्रांत से कोई संबंध नहीं। अत: यह संशोधन अप्रासंगिक है।

***अध्यक्ष:** मेरी समझ से वस्तुत: वैधानिक आपत्ति यहां उठती ही नहीं। वास्तविक बात यह है कि इस प्रान्त में और अल्पसंख्यक भी विद्यमान हैं। इसलिये यहां पर अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित सारे प्रश्न को ही स्थगित कर दिया गया है। अत: यह सुसंगत ही है।

***अध्यक्ष:** मैं अब श्री मुन्शी महोदय के संशोधन पर मत लेता हूं। यह इस प्रकार है:

''खण्ड 3 के (इ) के 'सिख (इ)' इन शब्दों से आरम्भ करके 'सिखों के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार एतत्सम्बन्धी प्रश्न पर जुदा विचार किया जाएगा' यहां तक के शब्दों को निकाल दिया जाये और इनके स्थान पर निम्न शब्द रख दिए जाएं:

''पूर्वी पंजाब (इ). पूर्वी पंजाब की इस समय की विशेष परिस्थिति को विचार में रखते हुए इस सम्बन्ध में सारे ही प्रश्न पर फिर कभी विचार किया जाये।''

यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''मुसलमान और परिगणित जातियां–(3) मुसलमान और परिगणित जातियों को केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात से 'स्थानों' की 'सुरक्षा' दी जाएगी।''

मैं उपरोक्त वाक्य-खण्ड को स्वीकृति के लिये परिषद् के सामने पेश करता हूं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, वाक्यखण्ड (1) के श्री मुन्शी महोदय तथा मेरे द्वारा पेश किये गये संशोधन क्योंकि स्वीकृत कर लिये गये हैं, अत: पैरा (3) में ''और परिगणित जातियां'' ये शब्द जहां कहीं भी आयें, अवश्य ही निकाल दिये जायें।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार में यह अनुवर्ती संशोधन है। हम पहले ही किसी और स्थान पर परिगणित जातियों की परिभाषा स्वीकार कर चुके हैं। वही चीज यहां पर भी दाखिल कर दी जाएगी।

यह संशोधन स्वीकार हो गया।

***अध्यक्षः** मैंने तो अभी तक केवल संशोधन पर मत लिये हैं।

संशोधित वाक्यखण्ड पर अब मत लिये जाते हैं।

संशोधित अनुखंड स्वीकृत हो गया।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''अल्पसंख्यकों को एतदतिरिक्त और अधिकारः किसी अल्पसंख्यक जाति के सदस्यों को जिनके लिए कि 'स्थान' 'सुरक्षित' किए गए हों, 'असुरक्षित' 'स्थानों' पर खड़े होकर चुनाव लड़ने का भी अधिकार होगा।''

यह वह मद है जिस पर कि अल्पसंख्यक और परामर्श-समितियों में बहुत ही तीव्र वाद-विवाद हुआ था और बहुत वाद-विवाद के पश्चात् यह बात स्वीकार की गई थी। और क्योंकि यह बात पहले ही दो स्थानों पर स्वीकृत हो चुकी है, अतः मैं इस पर दोबारा वाद-विवाद आरम्भ करना बुद्धिमत्ता नहीं समझता। आखिर को बहुत वाद-विवाद के पश्चात् हमें इसे इसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। मैं इस बात को परिषद् के सामने स्वीकृति-निमित्त पेश करता हूं।

सेठ गोविन्ददासः सभापति जी, इस क्लाज 4 के ऊपर जैसा अभी सरदार साहब ने कहा माइनोरिटी कोम्यूनिटीज और एडवाइजरी कमेटी में दोनों में काफी बहस हुई थी। इसके बाद मेम्बरों की आपस में भी इस मामले में काफी बहस हुई थी। जहां तक माइनोरिटीज का सम्बन्ध है, वहां बहुत माइनोरिटीज ऐसी हैं जो यथार्थ में माइनोरिटीज नहीं कही जा सकती हैं और शेडूल्ड क्लासेस जो हैं वह ऐसी माइनोरिटीज में आ जाते हैं।

शेडूल्ड क्लासेस यथार्थ में हिन्दू हैं; वह मुसलमानों के सदृश या ईसाइयों के सदृश माइनोरिटीज नहीं हैं। तो जहां तक शेडूल्ड क्लासेस का मामला है, हमें इस विषय को एक तरह से देखना चाहिये और जहां तक दूसरी माइनोरिटीज का मामला है, वहां हमें इस विषय को एक दूसरे की दृष्टि से देखना चाहिये। शेडूल्ड क्लासेस बहुत दबा कर रखे गये हैं। यह भी उनके विषय में एक अलग सोचने की बात हो जाती है। तो मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर यदि

[सेठ गोविन्ददास]

सरदार साहब आज हाउस का वोट न लें और कल के लिये मुल्तवी कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें अब भी बहुत से मेम्बर ऐसे हैं जो कि अभी विचार करना चाहते हैं और इसमें बहुत सी बातें अभी चल रही हैं। मैं यह चाहता हूं कि यह मामला इस तरह से निपटाया जाये जिसमें इस हाउस के सब मेम्बरों को और सब माइनोरिटीज को पूरा सन्तोष हो सके; और अगर आज इस पर वोट ले लिये गये तो यह मेरा ख्याल है कि यह ज्यादा अच्छा न होगा। इसलिये मैं सरदार साहब से अपील करता हूं कि वह इस मामले को कल के लिये मुल्तवी कर दें। अभी इस कमेटी की कई दूसरी सिफारिशें हैं जिन पर आज विचार किया जा सकता है।

श्री आर.वी. धुलेकरः सभापति जी, मैं भी यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह विषय बड़ा जटिल है और हम लोगों को इस विषय पर विचार करने देने के लिये इसे मुल्तवी कर दिया जाये।

***अध्यक्षः** यह सुझाव रखा गया है कि इस मद को विचारार्थ कल पर छोड़ दिया जाये।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, मैं तो परिषद् को पहले ही बता चुका हूं कि इस प्रश्न पर अल्पसंख्यक समिति तथा परामर्श-समिति दोनों में ही विचार हो चुका है और वहां पर इस पर खूब वाद-विवाद हुआ था। इसके बावजूद भी यदि हमारे मित्र इस प्रश्न को स्थगित करना चाहते हैं तो इस बात में मुझे उनका विरोध करना पड़ेगा; क्योंकि मैं इसमें कोई लाभ नहीं देखता। इस विषय पर दो बार लम्बा वाद-विवाद हो चुका है। मैं पहले ही बता चूका हूं कि उन वाद-विवादों के पश्चात् यह प्रस्ताव इसी दशा में जैसा कि अब पेश किया जा रहा है, स्वीकृत किया गया था। और इस बार भी इसे स्थगित करके कोई लाभ प्राप्त न होगा। मैं नहीं समझता कि इस विषय में कोई और बहस लाभदायक होगी। यदि मुझे इसमें थोड़ा सा लाभ भी दिखाई देता तो मैं मान गया होता। परन्तु स्थगित करने से तो तनिक भी फायदा न होगा। दो समितियों में यह बड़े भारी बहुमत से स्वीकृत किया जा चुका है। अतः मुझे इसमें कोई लाभ दिखाई नहीं देता। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि स्थगित करने से तो केवल समय का अपव्यय ही होगा। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाये।

अध्यक्षः कुछ भी हो परिषद् साढे चार बजे विसर्जित हो जायेगी। अतः अपने आप ही यह स्थगित हो जाएगा।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** हम परिषद् की इच्छा और अध्यक्ष महोदय के आदेश को शिरोधार्य करेंगे। परन्तु यदि इस पर मत लिये जायें तो यह तुरन्त ही स्वीकृत हो जाएगा।

***अध्यक्षः** परन्तु कुछ एक सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की है कि वाद-विवाद और लम्बा होना चाहिये। अतः मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। वे इस विषय पर बोलना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल की बैठक भी है और हम में से कुछ लोगों को 5 बजे वहां भी जाना है। अतः परिषद् को कल 10 बजे प्रातः तक स्थगित किया जाता है।

तब परिषद् (Assembly) बृहस्पतिवार, 28 अगस्त सन् 1947 के 10 बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हो गई।

CA/24/Com. 47

भारतीय विधान-परिषद्

कौंसिल हाऊस,
नई देहली, 8 अगस्त, 1947

अल्पमत सम्बन्धी 'परामर्श समिति' तथा मौलिक आधार इत्यादि समिति
के अध्यक्ष श्री माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल की ओर से
भारतीय विधान-परिषद् के अध्यक्ष के
प्रति

महोदय,

24 जनवरी, 1947 को विधान परिषद् द्वारा नियुक्त की गई और तदुपरान्त आप द्वारा मनोनीत की गई 'परामर्श समिति' के सदस्यों की ओर से आपकी सेवा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों सम्बन्धी इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसे उस रिपोर्ट का जो कि मैंने अपने पत्र सं. CA/24/Com./47. तिथि 23 अप्रैल, 1947 के साथ आपको भेजी थी और जिसको कि परिषद् ने अप्रैल के अधिवेशन में निपटा भी लिया था, उसके पूरक के रूप में समझा जाये। वह रिपोर्ट न्याय्य मौलिक अधिकारों के विषय में थी। जहां तक साधारणतया सब नागरिकों का तथा विशेषतया अल्पसंख्यकों के सदस्यों का सम्बन्ध है, ये अधिकार अल्पसंख्यकों को सामाजिक जीवन के पर्याप्त विस्तृत भाग में बहुमूल्य संरक्षण प्राप्त कराते हैं। वर्तमान रिपोर्ट में मोटे रूप से 'अल्पसंख्यकों के राजनैतिक संरक्षण' कहे जाने वाले विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में निम्न बातों का विवरण शामिल है:

(i) धारासभाओं में प्रतिनिधित्व का प्रश्न, चुनाव संयुक्त विधि से हो या पृथक् विधि से और पासंग (Weightage) का प्रश्न।

(ii) मन्त्रिमण्डलों में अल्पसंख्यकों के लिये 'स्थान' सुरक्षित रखने का प्रश्न।

(iii) सरकारी नौकरियों (Public Services) में अल्पसंख्यकों को 'सुरक्षा' देने का प्रश्न।

(iv) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन देने के लिये एक शासन रचना का प्रश्न।

(2) अल्पसंख्यक सम्बन्धी उप-समिति तथा मुख्य परामर्श-समिति में पूर्ण रूप से वाद-विवाद करके हमने ये सिफारिशें की हैं। यह मामला ही ऐसा है कि यहां हर एक बात में पूर्ण सर्वसम्मति की आशा करना बहुत कठिन था। मुझे आपको यह सूचना देते हुये प्रसन्नता होती है कि जहां पर हम सर्वसम्मति से निश्चय नहीं कर सके तो वहां पर हमने उस बात की सिफारिश की है कि जिसके पक्ष में अत्यधिक बहुमत हो। और यह बहुमत भी ऐसा है कि अल्पसंख्यक के बहुत से सदस्य इसमें सम्मिलित हैं।

संयुक्त अथवा पृथक चुनाव और पासंग (Weightage)

(3) सबसे पहला प्रश्न जिसको कि हमने निपटाया है, पृथक चुनाव का है। हमने स्वयं अल्पसंख्यकों के लिये तथा सामूहिक रूप में देश के राजनैतिक जीवन के निमित्त इसे अत्यन्त महत्वशाली समझा है। बहुत बड़े बहुमत से यह निश्चय किया है कि पृथक चुनाव विधि को अवश्य ही इस विधान से निकाल दिया जाना चाहिये। हमारे विचार में भूत में इस विधि ने साम्प्रदायिक भेदों को इस घातक सीमा तक भड़का दिया है कि वे आज स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन की उन्नति के रास्ते में मुख्य रुकावट का साधन बने हुये हैं। देश में जो नये राजनैतिक हालात पैदा हो गये हैं उनमें तो इन खतरों को हटाना और भी आवश्यक जान पड़ता है। इस दृष्टि को सामने रखते हुये तो पृथक चुनाव के विरुद्ध युक्तियां पूर्णरूपेण निश्चयात्मक प्रतीत होती हैं।

(4) अत: हम सिफारिश करते हैं कि केन्द्रीय और प्रान्तीय धारासभाओं के सब चुनाव सम्मिलित चुनाव विधि से होने चाहियें। हमने यह सिफारिश भी की है कि प्रायेण (as a general rule) विविध धारासभाओं में भिन्न-भिन्न स्वीकृत अल्पमतों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात से 'स्थान' भी सुरक्षित कर दिये जायें। यह इसलिये किया गया है कि कहीं अल्पमतों को यह आशंका न हो जाये कि असीमित सम्मिलित चुनाव विधि का प्रभाव धारासभाओं में उनके प्रतिनिधित्व के परिमाण (quantum) पर बुरा न पड़े। आरम्भ में यह 'सुरक्षा' दस वर्ष के

लिये होगी। तदन्तर स्थिति पर पुनर्विचार किया जायेगा। हमने उन अल्पमतों के सदस्यों को कि जिनके लिये 'स्थान' सुरक्षित किये गये हैं, असुरक्षित स्थानों पर खड़ा होकर चुनाव लड़ने का अधिकार देने की भी सिफारिश की है। साधारण नियम के रूप में हम किसी भी अल्पमत जाति को पासंग (weightage) देने के विरुद्ध हैं।

(5) उपरिकथित नियमों को विशेष-विशेष अल्पमतों पर लागू करने के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार करने के दो कारण हैं। पहला यह कि हमें यह ज्ञात था कि अल्पमत अपने हितों के निमित्त धारासभाओं से स्थानों की वैधानिक सुरक्षा को आवश्यक समझने में एकमत नहीं हैं। दूसरा यह कि ऐंग्लो इण्डियन जैसे अत्यन्त छोटे (microscopic) अल्पसंख्यकों पर उपरोक्त नियमों को कड़ाई से लागू करने के विषय पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना जरूरी ही था। परिणामतः हमने अल्पसंख्यकों को तीन समूहों में बांट दिया है। 'अ' समूह में वे शामिल हैं कि जिनकी जनसंख्या देशी राज्यों को छोड़कर भारतीय उपनिवेश में ½ प्रतिशत से न्यून है। 'इ' समूह में वे सम्मिलित हैं कि जिनकी जनसंख्या ½ प्रतिशत से तो अधिक है परन्तु 1½ प्रतिशत से न्यून है। और 'उ' समूह में वे अल्पसंख्यक शामिल हैं कि जिनकी जनसंख्या 1½ प्रतिशत से अधिक है। ये तीनों समूह निम्न प्रकार से हैं:

'अ' समूहः

1 एंग्लो इण्डियन।

2 पारसी।

3 आसाम में 'मैदानी' कबीलों के लोग।

'इ' समूहः

4 भारतीय ईसाई।

5 सिख।

'उ' समूहः

6 मुसलमान।

7 परिगणित जातियां।

(6) एंग्लो इण्डियनः देशी राज्यों को छोड़कर एंग्लो इण्डियनों की जनसंख्या एक लाख से कुछ ही अधिक है अर्थात्, 04 प्रतिशत। एंग्लो इण्डियन की ओर से श्री एन्थोनी महोदय ने यह साबित करने का प्रयत्न किया कि जनगणना के

आंकडे अशुद्ध हैं। परन्तु यदि जनगणना में दिये गये आंकड़ों से उनकी आबादी अधिक भी मान ली जाये तो भी तो यह एक अत्यन्त छोटी (Microscopic) जाति ही तो है। और यदि इससे कड़ाईपूर्वक आबादी के आधार पर व्यवहार किया जाये तो इसका यह अर्थ होगा कि इसे किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त न होगा। समिति में एंग्लो इण्डियन प्रतिनिधियों ने आदि में धारासभाओं में निम्नलिखित प्रतिनिधित्व की मांग की थी:

लोक-परिषद्	3
पश्चिमी बंगाल	3
बम्बई	2
मद्रास	2
मध्य प्रान्त और बरार	1
बिहार	1
संयुक्त प्रान्त	1

परन्तु बाद में उन्होंने यह कहा कि लोक परिषद् में दो 'स्थान' और एक-एक स्थान प्रत्येक उस प्रान्त में जहां कि इस समय उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अर्थात् सब मिला करके कुल 8 'स्थान' दिये जाने का उन्हें विश्वास दिलाया जाना चाहिये। एक बहुत लम्बे वाद-विवाद के पश्चात् जिसमें कि एंग्लो इण्डियन जाति के प्रतिनिधियों को अपने विचारों को पूर्णरूप से व्यक्त करने का अवसर मिला, समिति ने निम्नलिखित नियम सर्वसम्मति से स्वीकार किया। अर्थात् ''एंग्लो इण्डियनों के लिए 'स्थानों' की 'सुरक्षा' न होगी। परन्तु यदि वे साधारण चुनाव के परिणाम रूप धारासभाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में असफल रहें तो संघ के अध्यक्ष तथा प्रान्तों के गवर्नरों को यथासंख्य करके केन्द्र और प्रान्तों के निचले भवनों (lower house) के लिये एंग्लो इण्डियन जाति के प्रतिनिधियों को मनोनीत (nominate) करने का अधिकार होगा। हम समिति के एंग्लो इण्डियन प्रतिनिधियों को अपने प्रस्तावों के लिये अधिक जोर न देने पर बधाई देना चाहते हैं। यदि वे ऐसा करते तो न केवल विशेष पासंग (special weightage) का नियम ही जो कि साधारण प्रस्थापन (proposition) के रूप में पहले ही अत्यधिक बहुमत द्वारा अस्वीकृत हो चुका था, जारी हो जाता, अपितु इससे अन्य छोटे अल्पसंख्यकों को भी अपनी संख्या के अनुपात से बहुत ही अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करने में प्रोत्साहन

मिलता। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब वह नियम जिसकी कि हमने सिफारिश की है, कार्यरूप में परिणत हो जायेगा तो स्वयमेव एंग्लो इण्डियन यह महसूस करेंगे कि अपनी जाति के विशेष हितों को धारासभाओं में प्रभावोत्पादक तरीके से पेश करने के उन्हें पर्याप्त अवसर प्राप्त हो गये हैं।

(7) पारसी: अल्पसंख्यक उप-समिति में सर होमी मोदी ने यह प्रेरणा की कि पारसी जाति के महत्व तथा देश की राजनैतिक और आर्थिक उन्नति में जो भाग इसने लिया उसको ध्यान में रखते हुए पारसियों को केन्द्रीय और प्रान्तीय धारासभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। उप-समिति भी यह अधिकार स्वीकार कर लेने के पक्ष में थी। परन्तु जब कई सदस्यों ने सर होमी मोदी से यह कहा कि पारसियों जैसी जाति तो हर हालत में निश्चित ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेगी; अत: उन्हें विशेष सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं तो उन्होंने इस विषय पर और विचार करने की मोहलत मांगी।

जब यह मामला परामर्श-समिति के सामने आया तो सर होमी ने कहा कि यद्यपि समिति ने पहले ही पारसी जाति को स्वीकृत अल्पसंख्यक के रूप में मान लिया है जिससे कि 'अ' समूह के अन्य अल्पसंख्यकों की भांति और उसी आधार पर ही यह भी विशेष व्यवहार (Special consideration) प्राप्त करने की अधिकारिणी बन गई है। परन्तु फिर भी उन्होंने भूतकाल में जाति द्वारा इस विषय में निश्चित की गई परम्परा का अनुसरण करते हुये ''वैधानिक सुरक्षा'' की अपनी मांग को लौटा लेने का निश्चय प्रकट किया। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि पारसी स्वीकृत अल्पसंख्यकों की परिगणना में रखे रहेंगे; साथ ही उन्होंने यह प्रेरणा भी कि की सबसे पहली अवधि में जो कि अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिये निश्चित की गई है, यदि यह ज्ञात हुआ कि पारसी जाति पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सकी तो उसकी इस मांग पर पुन: विचार किया जायेगा और उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाया जाएगा; परन्तु यह उनके विचार में तभी हो सकेगा यदि अल्पसंख्यकों को पृथक् प्रतिनिधित्व देने की विशेषता विधान में तब तक बनी रही। समिति ने सर होमी की इस बात के लिये प्रशंसा की और इसे स्वीकार कर लिया।

(8) आसाम में मैदानी कबीलों के लोग: इन कबीलों के लोगों के मामले को पृथक् और अर्द्ध पृथक प्रदेशों के सम्बन्ध में बनाई गई उपसमिति की रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही हाथ लगाया जाएगा।

(9) भारतीय इसाई: भारतीय ईसाइयों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जहां तक उनकी जाति का सम्बन्ध है वे राष्ट्र निर्माण (nation building) के रास्ते में कोई

रुकावट बनना नहीं चाहते। वे अपनी जनसंख्या के अनुपात से केन्द्रीय धारासभाओं में तथा मद्रास और बम्बई की प्रान्तीय धारासभाओं में भी 'सुरक्षा' लेने के लिये तैयार थे। अन्य प्रान्तों में उन्हें साधारण स्थानों पर खड़ा होकर चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होगी ही। वे इस बात के विरुद्ध थे कि किसी जाति को पासंग (weightage) दिया जाये। परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया है कि यदि 'इ' तथा 'उ' समूह के किसी भी अल्पसंख्यक को पासंग (weightage) दिया गया तो वे भी उसी प्रकार के पासंग की मांग करेंगे। अब क्योंकि पासंग (weightage) किसी भी जाति को नहीं दिया गया, अत: इसका यह अर्थ हुआ कि भारतीय ईसाई अपनी जनसंख्या के अनुपात से केन्द्रीय तथा मद्रास और बम्बई प्रान्त की धारासभाओं में सुरक्षा लेकर अपने भाग्य को जनसाधारण के साथ सम्बद्ध करने के लिये उद्यत हैं।

(10) सिख: क्योंकि सीमा कमीशन (Boundary Commission) ने पंजाब में अभी तक अपना निर्णय घोषित नहीं किया। अत: सिखों की स्थिति इस समय अनिश्चित सी है। इस बात को ध्यान में रखते हुये समिति ने निश्चय किया है कि सिख जाति को दिये जाने वाले संरक्षणों सम्बन्धी सारा प्रश्न इस समय स्थगित रखा जाये।

(11) 'उ' समूह: मुसलमान और परिगणित जातियां: इस विषय में भी समिति इस निश्चय पर पहुंची है कि मुसलमान या परिगणित जातियों के मामले में भी साधारण नियम के विरुद्ध जाने के लिये कोई पर्याप्त कारण नहीं हैं। अत: परिणामत: यह सिफारिश कर दी गई है कि इन जातियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात से 'स्थान' 'सुरक्षित' कर दिये जायें और इन स्थानों पर भी संयुक्त विधि से ही चुनाव हुआ करें।

(12) समिति में यह एक प्रस्थापना (proposal) रखी गई थी कि सुरक्षित स्थानों पर सफल उद्घोषित होने से पूर्व अल्पसंख्यक जाति के सदस्यों के लिये अपनी जाति के मतों (votes) की एक न्यूनतम संख्या अपने पक्ष में प्राप्त करनी अनिवार्य करार दी जाये। यह सुझाव भी रखा गया था कि वर्द्धनीय मतप्रदर्शन (cumulative voting) की आज्ञा दे दी जाये। समिति की यह राय थी कि वर्द्धनीय मतप्रदर्शन (cumulative voting) तथा किसी जाति के प्राप्तव्य मतों के न्यूनतम प्रतिशत का अनिवार्य किया जाना, इन दोनों बातों का एकत्र हो जाने से पृथक् चुनाव विधि के सारे ही दोष आ जायेंगे। अत: इन दोनों में से कोई भी प्रस्थापना स्वीकार न की जाये।

मन्त्रिमण्डल में अल्पमतों का प्रतिनिधित्व

(13) कई सदस्यों ने यह प्रस्ताव पेश किया कि एक ऐसी व्यवस्था बना दी जानी चाहिये जिससे कि यह नियत हो जाये कि मन्त्रिमण्डलों में भी अल्पसंख्यकों के लिये स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात से सुरक्षित कर दिये जायेंगे। समिति ने बिना संकोच के यह निर्णय किया कि इस प्रकार की वैधानिक व्यवस्था से कई गहन कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। परन्तु इसके साथ ही समिति ने यह भी अनुभव किया कि विधान द्वारा संघ के अध्यक्ष तथा प्रान्तों के गवर्नरों का ध्यान विशेषतया इस वांछनीय बात की ओर दिलाया जाये कि वे यथासम्भव महत्वशाली अल्पसंख्यक जातियों के सदस्यों को मन्त्रिमण्डलों में अवश्य ही सम्मिलित करें। इसके परिणामस्वरूप हम सिफारिश करते हैं कि सन् 1935 के एक्ट (Act) के अनुसार गवर्नरों को जारी किये जाने वाले आदेश यन्त्र (Instrument of Instruction) के 7वें खण्ड (paragraph) की रूप-रेखा के ढंग पर परिगणना में एक परम्परा (convention) स्थापित की जाए। वह पूरा इस प्रकार है:

''7. मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति करते समय हमारा गवर्नर इस बात का पूरा प्रयत्न करेगा कि मन्त्रियों का चुनाव निम्न विधि से हो, अर्थात् वह उस मनुष्य से जिसके सम्बन्ध में कि उसको यह भरोसा हो कि उसकी धारासभा में स्थिर रूप से बहुपक्ष का विश्वास प्राप्त करने की सबसे अधिक सम्भावना है, सम्मति करके उन लोगों को (जिनमें कि यथासम्भव मुख्य अल्पसंख्यक जातियों के सदस्य भी शामिल हों) नियुक्त करे कि जिनकी स्थिति सबसे अधिक ऐसी हो कि वे सारे मिलकर धारासभा का विश्वास प्राप्त कर सकें। ऐसा करते समय वह मन में निरन्तर इस बात का ध्यान रखेगा कि जिससे उसके मन्त्रियों में सम्मिलित उत्तरदायित्व की भावना का विस्तार हो।''

नौकरियों में प्रतिनिधित्व

(14) हमारे सामने एक प्रस्ताव यह रखा गया था कि इस बात की वैधानिक गारण्टी होनी चाहिये कि अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से मिलेगा। हमें किसी और विधान का ज्ञान नहीं कि जहां ऐसी गारण्टी विद्यमान हो और गुण-दोष को विचार करते हुये एक साधारण प्रस्ताव के रूप में हम ऐसी गारण्टी को एक घातक नवप्रथा (innovation) समझते हैं।

परन्तु इसके साथ ही हम यह भी समझते हैं कि प्रबन्धोत्कर्ष (efficiency of administration) की आवश्यकता के लिये यह अनुकूल रूपेण जरूरी है कि राजसत्ता (state) सरकारी नौकरियों की नियुक्ति के समय अल्पसंख्यकों की उचित मांगों (claims की ओर उपयुक्त ध्यान दे। इसलिये हमने सिफारिश की है कि मन्त्रिमण्डलों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जैसा किया गया है वैसा ही एक अन्वादेश (exhortation) केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के लिये विधान के भाग में या परिगणना में ही अवश्य रखा जाये, जिससे कि प्रबन्धोत्कर्ष (efficiency of administration) की अनुकूलता को सामने रखते हुये, वे अल्पसंख्यकों की उचित मांगों (claims) को सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति करते समय अवश्य ध्यान में रखें।

समिति के एक एंग्लो इण्डियन सदस्य ने यह बात हमारे सामने पेश की कि उनकी जाति का आर्थिक ढांचा पूर्णतया कतिपय नौकरियों (services) में उनकी उच्च स्थिति तथा शिक्षा के बारे में उन्हें प्राप्त सुविधाओं पर आश्रित है। इस कारण उसने कहा कि इस मामले में उनसे विशेष व्यवहार किया जाना चाहिये। हमने इस प्रश्न पर विचारार्थ एक जुदा उप-समिति नियत कर दी है, जो जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

(15) समिति में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों ने स्वाभाविक रूप से शासन सम्बन्धी आदेशों (executive orders) तथा विधान, इन दोनों द्वारा ही जो जमानतें (guarantees) और संरक्षण दिये गये थे उनकी कार्यरूप में वास्तविक पूर्ति को सुरक्षित करने (ensure) के निमित्त बनाई जाने वाली शासक मशीन (administrative machinery) की शर्त्त (provision) को बहुत महत्व दिया। बड़े पर्याप्त लम्बे वाद-विवाद के पश्चात् हमें इस परिणाम पर आना पड़ा कि इसका सबसे उत्तम उपाय यह है कि केन्द्र और प्रत्येक प्रान्त एक-एक विशेष अल्पसंख्यक अधिकारी (special Minority Officer) नियुक्त करें जिसका काम उन झगड़ों (cases) की जांच-पड़ताल करना होगा कि जिनमें अधिकार और संरक्षणों के उल्लंघन की शिकायत की गई हो, और इस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी रिपोर्ट उचित कार्यवाही के लिये उपयुक्त धारासभा के सामने पेश करे।

(16) हम प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में से कुछ एक को अस्वीकार करने के लिये मजबूर हो गये हैं। इसका कुछ तो कारण यह है कि हमने अनुभव किया है कि कठोर वैधानिक व्यवस्था में पर्यालोचनात्मक प्रजातन्त्र (parliamentary domocracy) को व्यर्थ (unworkable) कर देंगी जैसा कि मन्त्रिमण्डल में

स्थानों की सुरक्षा के सम्बन्ध में हुआ, और कुछ इसलिये भी कि हमने यह आवयश्क समझा कि स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन के विकास के साथ अल्पसंख्यकों की विशेष मांगों (claims) को एकरस कर दिया जाये जैसा कि चुनाव सम्बन्धी प्रबन्धों के सम्बन्ध में हुआ। परन्तु फिर भी हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों की सारी समस्या को सुलझाने के लिये हमारा साधारण ढंग यह रहा है कि राजसत्ता (state) के कार्य को इस प्रकार से चलाया जाये जिससे कि वे केवल अल्पसंख्यक होने के कारण से ही दुखी रहने की भावना को त्याग दें और इसके विपरीत यह महसूस करें कि राष्ट्रीय जीवन में उन्हें उतना ही मानयुक्त भाग लेना है जितना कि जाति के किसी अन्य भाग को। विशेष रूप से, हम इसको राजसत्ता (state) का एक मौलिक कर्तव्य समझते हैं कि वह ऐसे साधन उपस्थित करे कि जिससे कि पिछड़े हुये अल्पसंख्यक सामान्य जाति की स्थिति तक पहुंच सकें। परिणामत: हम सिफारिश करते हैं कि सामाजिक तौर पर और शिक्षा में पिछड़ी हुई जातियों के हालात की जांच पड़ताल करने तथा उन कष्टों का जिनमें कि उन्हें श्रम करना पड़ता है, अध्ययन करने के लिये एक वैधानिक कमीशन (Commission) बनाया जाये। इस पंचायत का यह काम होगा कि वह संघ (Union) अथवा इकाई (Unit) सरकार को जैसा कि अवसर हो, उनके कष्ट निवारणार्थ करने योग्य कार्रवाई की सिफारिश करे तथा इस बात का संकेत करे कि उन्हें एतदर्थ कितनी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये और वह सहायता किन-किन व्यवस्थाओं के अधीन दी जानी चाहिये।

(17) हमारी सिफारिशों का एक संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट के रूप में साथ लगा दिया गया है।

भवदीय

8 अगस्त, 1947 वल्लभभाई पटेल

अध्यक्ष

परिशिष्ट 'क'

धारा सभाओं में प्रतिनिधित्व

(1) चुनाव विधि: केन्द्रीय और प्रान्तीय धारासभाओं के सारे चुनाव संयुक्त चुनाव विधि से हुआ करेंगे।

साधारण नियम के रूप में यह व्यवस्था की जाती है कि परिगणना में दिये गये अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात से विविध धारासभाओं में 'स्थानों' की 'सुरक्षा' दी जायेगी।

यह भी व्यवस्था की जाती है कि इस प्रकार की सुरक्षा केवल 10 वर्ष के लिये होगी। और इस अवधि के पश्चात् स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा।

परिगणना

कक्षा (अ) देशी राज्यों (state) को छोड़कर भारतीय संघ में $1^1/_2$ प्रतिशत जनसंख्या वाली जातियां:

1 एंग्लो इण्डियन।

2 पारसी।

3 आसाम में ''मैदानी'' कबीले।

कक्षा (इ) $1^1/_2$ प्रतिशत से कम जनसंख्या वाली जातियां:

4 भारतीय ईसाई।

5 सिख।

कक्षा (उ) $1^1/_2$ प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाली जातियां:

6 मुसलमान

7 परिगणित जातियां।

(2) एंग्लो इण्डियन: (अ) एंग्लो इण्डियनों को स्थानों की सुरक्षा न दी जाएगी। परन्तु संघ के प्रधान तथा प्रान्तों के गवर्नरों को यह अधिकार होगा कि यदि साधारण चुनाव के परिणामस्वरूप वे धारासभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न कर सके तो उनके प्रतिनिधियों को यथासंख्य करके केन्द्र और प्रान्तों में मनोनीत (nominate) कर दें।

पारसी: (इ) पारसी जाति के लिये कोई वैधानिक सुरक्षा न होगी। परन्तु स्वीकृत अल्पसंख्यकों की सूची पर वे बराबर रहेंगे।

यह व्यवस्था की जाती है कि यदि पैरा (1) की व्यवस्था (2) के अनुसार निर्धारित की गई अवधि में किसी चुनाव के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि पारसी जाति उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सकी तो सुरक्षित स्थानों के लिये

उनकी मांग पर पुनः विचार होगा और उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कराया जायेगा। परन्तु यह उसी दशा में होगा यदि अल्पसंख्यकों को पृथक् प्रतिनिधित्व देना उस समय तक विधान की विशेषता रही।

टिप्पणी (note): उपरोक्त सिफारिशें पारसी जाति के प्रतिनिधियों की राय का प्रतिनिधित्व करती हैं।

(3) भारतीय ईसाईः (अ) केन्द्रीय धारासभाओं तथा मद्रास और बम्बई की प्रान्तीय धारासभाओं में भारतीय ईसाइयों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से सुरक्षित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। अन्य प्रान्तों में उन्हें साधारण स्थानों पर खड़ा होकर चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा।

सिखः (इ) सिखों के लिये अल्पमत सम्बन्धी अधिकारों पर जुदा विचार होगा।

मुसलमान और परिगणित जातियांः (उ) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारासभाओं में मुसलमानों और परिगणित जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थानों की सुरक्षा दी जायेगी।

(4) अल्पसंख्यकों को एतदतिरिक्त अधिकारः अल्पसंख्यक जातियों के सदस्यों को जिन्हें सुरक्षित स्थान प्राप्त हैं असुरक्षित स्थान पर खड़ा होकर भी चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा।

(5) पासंग (weightage) नहीं होगाः वे अल्पसंख्यक जिनके लिये कि प्रतिनिधित्व सुरक्षित कर दिया गया है उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान प्राप्त कर पायेंगे। किसी भी जाति को कोई पासंग (weightage) नहीं मिलेगा।

(6) अपनी जाति से अनिवार्य रूपेण प्राप्तव्य मतों की न्यूनतम संख्या वाली व्यवस्था नहीं लगाई गईः इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं लगाई गई कि सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर चुनाव लड़ने वाले, अल्पसंख्यक के किसी उम्मीदवार को सफल उद्घोषित होने से पूर्व अपनी जाति के न्यून से न्यून इतने मत अवश्य प्राप्त करने होंगे।

(7) मत प्रदर्शन का प्रकारः बहुसदस्य निर्वाचन-मण्डल (plural member constituencies) तो हो सकते हैं। परन्तु वर्द्धनीय मतप्रदर्शन (cumulating voting) की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

मन्त्रिमण्डलों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

(8) अल्पसंख्यकों के लिये सुरक्षा न होगी: (अ) मन्त्रिमण्डलों में अल्पसंख्यकों के लिये कानून द्वारा स्थानों की सुरक्षा न होगी, परन्तु सन् 1935 के एक्ट के अधीन गवर्नरों को जारी किये हुए आदेश यन्त्र (Instrument of Instruction) के पैरा**7 के अनुसार एक प्रथा का विधान के परिशिष्ट में समावेश होगा।

**7. मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति करते समय हमारा गवर्नर इस बात का पूरा प्रयत्न करेगा कि मन्त्रियों का चुनाव निम्न विधि से हो, अर्थात् वह उस मनुष्य से जिसके सम्बन्ध में कि उसको यह भरोसा हो कि उसकी धारासभा में स्थिर रूप से बहुपक्ष का विश्वास प्राप्त करने की सबसे अधिक सम्भावना है, सम्मति करके उन लोगों को (जिनमें कि यथासम्भव मुख्य अल्पसंख्यक जातियों के सदस्य भी शामिल हों) नियुक्त करे, कि जिनकी स्थिति ऐसी हो कि वे संयुक्त रूप से धारासभा का विश्वास प्राप्त कर सकें। ऐसा करते समय उनके मन में निरन्तर यह ध्यान रहना चाहिये कि मन्त्रियों में सम्मिलित उत्तरदायित्व की भावना का विस्तार हो।

सरकारी नौकरियों में भर्ती

(9) सब अल्पसंख्यकों को उपयुक्त भाग दिये जाने की गारण्टी : प्रबंधोत्कर्ष (efficiency of administration) को ध्यान में रखते हुये अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय नौकरियों पर नियुक्तियां करते समय सब अल्पसंख्यकों की उचित मांगों (claims) को ध्यान में रखा जायेगा।

(10) एंग्लो इण्डियन जाति की स्थिति : एंग्लो इण्डियन जाति का आर्थिक ढांचा, क्योंकि पूर्णतया कतिपय नौकरियों में उनकी स्थिति तथा वर्तमान में उन्हें प्राप्त शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं पर आश्रित है, अत: इस विषय पर विचार करके रिपोर्ट करने में निमित्त निम्नलिखित सदस्यों की एक उपसमिति निर्धारित कर दी गई है:

1. पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त
2. श्री के.एम. मुन्शी

3. श्रीमती हंसा मेहता
4. श्री एस.एच. प्रेटर और
5. श्री एफ.आर. एन्थानी

संरक्षण का संचालन

(11) अधिकारी का नियुक्त किया जाना: केन्द्र में अध्यक्ष तथा प्रान्तों में गवर्नर एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेंगे जो कि यथासंख्य करके संघ (Union) और प्रान्तीय धारासभाओं को इस बात की रिपोर्ट करेगा कि अल्पसंख्यकों को दिये गये संरक्षण कार्यरूप में कहां तक परिणत किये जाते हैं।

(12) पिछड़ी हुई जातियों के लिये वैधानिक कमीशन (Statutory Commission) : एक ऐसी व्यवस्था रख दी जायेगी जिसके द्वारा कि सामाजिक तौर पर और शिक्षा में पिछड़ी हुई जातियों के हालात की जांच करने तथा उन कष्टों का जिनमें कि उन्हें श्रम करना पड़ता है, अध्ययन करने के लिये एक वैधानिक कमीशन (Statutory Commission) बनाई जायेगी। इस कमीशन का यह काम होगा कि वह संघ (Union) अथवा इकाई (Unit) सरकारों को, जैसा कि अवसर हो, उनके कष्ट निवारणार्थ करने योग्य कार्रवाई की सिफारिश करे तथा इस बात का संकेत करे कि उन्हें एतदर्थ कितनी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये और यह कि वह सहायता किन-किन व्यवस्थाओं के अधीन दी जानी चाहिये।

परिशिष्ट 'ख'

सं. CA/60/Com/46

भारतीय विधान-परिषद्

कौंसिल हाउस,

नई देहली, 25 अगस्त, 1947

अल्पमत सम्बन्धी परामर्श-समिति तथा मौलिक आधार इत्यादि
समिति के अध्यक्ष
माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल
की ओर से
भारतीय विधान-परिषद् के अध्यक्ष
के प्रति

श्रीमान्,

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पत्र सं. CA/24/Com/47 तिथि 8 अगस्त के 14वें पैरा की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसके साथ ही मैं कतिपय नौकरियों में एंग्लो इण्डियन की स्थिति तथा उन्हें शिक्षा सम्बन्धी विशेष सुविधायें दिये जाने के प्रश्न पर यह पूरक (Supplementary) रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करता हूं। हमारे द्वारा नियुक्त की गई एक उप-समिति के विचार-निष्कर्ष की यह रिपोर्ट परिणाम स्वरूप है।

(2) (अ) कतिपय नौकरियों में एंग्लो इंडियनों की स्थिति हम देखते हैं कि ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इस समय इस जाति का सारा आर्थिक ढांचा रेलवे, डाक और तार तथा बाह्य कर (custom) विभाग को कतिपय प्रकार की नौकरियों को प्राप्त करने पर ही आश्रित है। बम्बई के प्रान्तीय एंग्लो इण्डियन शिक्षापटल ने अभी-अभी जो निरीक्षण (survey) करवाया है, उससे ज्ञात होता है कि इस जाति के कार्य पर लगाये जाने योग्य लोगों का 76% भाग अपनी आजीविका के लिये इन्हीं नौकरियों पर निर्भर करता है। हमारे विचार में यह स्थिति सारे भारत में एक जैसी ही है। इन तीनों विभागों में लगे हुये एंग्लो इण्डियन की कुल संख्या इस समय 15,000 के लगभग है। भारतीय सरकार के सन् 1935 के एक्ट द्वारा दी गई विशेष सुरक्षा इन विभागों के सब प्रकार के पदों (posts) पर लागू

नहीं होती। वह तो केवल उन पर ही लागू होती है कि जिनके साथ इनका पूर्वोक्त दीर्घकालीन सम्बन्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुये हम अनुभव करते हैं कि इस सम्बन्ध में यदि वर्तमान संरक्षणों को किसी न किसी रूप में आगामी कुछ वर्षों के लिये जारी न रखा गया तो इस जाति पर अचानक ही एक ऐसा आर्थिक संकट आ जायेगा जिसे सम्भवतया यह पार न कर सके। अत: हम सिफारिश करते हैं कि:

(i) रेलवे, डाक और तार तथा बाह्य कर (customs) विभागों में एंग्लो इण्डियन की भरती का आधारभूत नियम (basis) अपरिवर्तित रूप में फेडरल विधान (Federal Constitution) के कार्यरूप में चालू हो जाने के दो वर्ष पश्चात् तक जारी रहेगा। इसके पश्चात् दो वर्ष की प्रत्येक अवधि के बाद सुरक्षित रिक्त स्थानों (Vacancies) को 10% घटा दिया जायेगा। तथापि इससे एंग्लो-इंण्डियन की भरती पर नौकरियों की उन कक्षाओं में जहां पर नियत किये गये परिमाण (quota) से अधिक स्थान उन्हें इस समय प्राप्त हैं, कोई प्रतिबन्ध न लगेगा; यदि वे अन्य जाति के साथ खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं में व्यक्तिगत गुणों के जोर से उन नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं। और न ही यह बात इन विभागों की अथवा अन्य विभागों की भी जहां पर कि इनके लिये परिमाण (quota) निश्चित नहीं किया गया, नौकरियों में योग्यता के आधार पर इनकी भरती को किसी प्रकार की क्षति पहुंचायेगी।

(ii) फेडरल विधान (Federal Constitution) के कार्य रूप में आ जाने की तिथि के दस वर्ष पश्चात् इस प्रकार की सब सुरक्षायें समाप्त हो जायेंगी।

(iii) इन नौकरियों में दस वर्ष के पश्चात् किसी भी जाति के लिये कोई सुरक्षा न होगी।

(इ) ऐंग्लो इण्डियनों के लिये शिक्षा सम्बन्धी विशेष सुविधायें–भारत में इस समय लगभग 500 एंग्लो इण्डियन स्कूल हैं। इन स्कूलों को सरकार की ओर से दी जाने वाली कुल आर्थिक सहायता लगभग 45 लाख रुपये सालाना है। यह सहायता इन स्कूलों पर किये जाने वाले व्यय का अनुमानत: 24 प्रतिशत है। हम अनुभव करते हैं कि इस आर्थिक सहायता में यदि एकदम कमी कर दी गई तो इन स्कूलों की आर्थिक स्थिति को बहुत सख्त धक्का लगेगा। हम यह भी उपयुक्त

समझते हैं कि इन स्कूलों को इन जैसी दूसरी शिक्षा संस्थाओं के स्तर पर धीरे-धीरे लाया जाना चाहये। देश के बदले हुये हालात के अनुकूल अपने आपको ढालने के लिये इन्हें पर्याप्त समय और उचित अवसर अवश्य मिलना चाहिये। हम यह भी महसूस करते हैं कि यदि ऐसा किया जाये तो ये संस्थायें एक बहुमूल्य शिक्षा सम्बन्धी पूंजी बन सकती हैं जो कि न केवल एंग्लो इण्डियन जाति की ही नहीं, अपितु सारे राष्ट्र की शिक्षा सम्बन्धी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करेगी। परिणामत: हम सिफारिश करते हैं कि:

(i) एंग्लो इण्डियनों की शिक्षा के लिये इस समय केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों द्वारा दी जाने वाली सहायता फेडरल विधान (Federal Constitution) के कार्य रूप में आ जाने के तीन वर्ष पश्चात् तक जारी रखी जाये।

(ii) तीन वर्ष की पहली अवधि के समाप्त हो जाने के बाद ये सहायतायें (grants) 10 प्रतिशत घटा दी जायें और छटे वर्ष के पश्चात् इनमें 10 प्रतिशत और कमी कर दी जाये। और फिर नवें वर्ष के पीछे 10 प्रतिशत न्यूनता और की जाये। दस वर्ष की अवधि के बाद एंग्लो इण्डियन स्कूलों को मिली हुई सुविधायें समाप्त हो जायेंगी।

(iii) दस वर्ष की इस अवधि में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले सारे स्कूलों में 40 प्रतिशत रिक्तियां (vacancies) अन्य जातियों के सदस्यों को पेश की जायेंगी।

इस रिपोर्ट में प्रयुक्त 'एंग्लो इण्डियन' शब्द के वही अर्थ हैं जो कि भारतीय सरकार के सन् 1935 के एक्ट में इसके किये गये थे।

आपके प्रति सच्चा
वल्लभभाई पटेल